गुरुवार,
१२ मार्च, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

Preservation

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

गुरुवार १२ मार्च १९५३

सदन का कार्य २ बजे आरम्भ हुआ
[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उड्डयन क्लब

*७०३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **संचरण** मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुयान चालकों को शिक्षा देने के लिये भारत सरकार ने सन् १९५२ में प्रत्येक उड्डयन क्लब को कितनी कितनी सहायता दी थी ?

(ख) सन् १९४७ से लेकर अब तक इन क्लबों में कितने वायुयान चालकों को तथा किस किस श्रेणी की शिक्षा उन्हें दी गई हैं ?

(ग) इस प्रकार के कितने प्रशिक्षित वायुयान चालक तथा किस किस श्रेणी के चालक आजकल बेकार हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) तक के प्रश्नों की वांछित जानकारी मैं संसद् के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २०**]

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वायुयान चालकों की शिक्षा पर खर्च किये जाने वाला सभी धन इन उड्डयन क्लबों द्वारा किया जाता है ?

श्री राज बहादुर : हां । किन्तु प्रशिक्षितों को भी कुछ न कुछ या तो शुल्क के रूप में या सहायता रूप में देना होता है जो शिक्षा देने तथा क्लब को चलाने के काम आता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रशिक्षितों का सभी खर्चा ये क्लब करते हैं अथवा नहीं ?

श्री राज बहादुर : क्लब के भी अपने साधन हैं । प्रत्येक क्लब को केन्द्रीय सरकार तथा वहां की प्रादेशिक सरकारों द्वारा सहायता मिलती है, और उस धन से इन क्लबों का खर्च चलता है ।

श्री कास्लीवाल : भारतवर्ष में कितने उड्डयन क्लब हैं ?

श्री राज बहादुर : भारतवर्ष में ११ उड्डयन क्लब हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि मद्रास सरकार द्वारा मद्रास क्लब को कितनी सहायता दी जाती है ?

श्री राज बहादुर: मद्रास के उड्डयन क्लब को मद्रास सरकार ने सन् १९४६-४७ तथा १९५१-५२ में १४६१०५ रुपया दिया है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि इस क्लब में जिनको शिक्षा दी जाती है उन को नौकरी दिलाने की भी कोई व्यवस्था है ?

श्री राज बहादुर : वास्तव में देखा जाय तो यह सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है कि वह सभी को नौकरी दिलाये किन्तु फिर भी इस बात का भरसक प्रयत्न करती है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को नौकरी मिल जाय ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात की भी कोई व्यवस्था है कि इन क्लबों में केवल उतने ही व्यक्तियों को शिक्षा दी जाय जिनको कि नौकरी मिल सके ताकि बेकारी न बढ़े ?

श्री राज बहादुर: हम उड्डयन एवं इसकी आदत को अधिक से अधिक मात्रा में प्रोत्साहन देना चाहते हैं। उड्डयन का मुख्य उद्देश्य केवल नौकरी पाना ही नहीं है । जो व्यक्ति नौकरी के विचार से इसे सीखते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस व्यवसाय में नौकरी का क्षेत्र बहुत ही सीमित है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: भारत सरकार की राष्ट्रीयकरण योजना को ध्यान में रखते हुए क्या ये क्लब उड्डयन उत्सुक विद्यार्थियों की भर्ती करने से पूर्व उन्हें नौकरी देने की प्रत्याभूति कर सकेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो प्रयोग में लाया जाने वाला सुझाव है ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन क्लबों में शिक्षा पाने वाले शिक्षिकों को यह सहायता व्यक्तिगत रूप से दी जाती है ?

श्री राज बहादुर : क्लब को सामूहिक रूप से सहायता दी जाती है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक कितने व्यक्तियों को शिक्षा दी जा चुकी है, और इनमें से कितनों को नौकरी दी जा चुकी है ?

श्री राज बहादुर : संसद् में दिये गये वृत्तांत में मैंने इसके बारे में बता दिया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इन क्लबों के अभिनवीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव कहां तक कार्यान्वित हो चुका है ?

श्री राज बहादुर : जैसा कि माननीय सदस्य को सम्भवतः पता हो कि इन उड्डयन क्लबों के वर्तमान प्रबन्ध के ढंग, एवं इनके पुनर्गठन के बारे में पूरी जानकारी करने के लिये हम ने एक समिति की नियुक्ति की थी जिसे 'मास्टर समिति' के नाम से पुकारा जाता है । इस समिति ने अपना विवरण प्रस्तुत कर दिया है जो कि आजकल विचाराधीन है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि इन क्लबों में शिक्षितों से कितना शुल्क लिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : इस के लिये मुझ विस्तृत व्याख्या करनी होगी जिसमें सदन का बहुत सा समय लग जायगा ।

उत्पत्ति अध्ययन सम्बन्धी विशेषज्ञ तथा परिणामों के अनुसार भुगतान की प्रणाली

*७०४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या श्रम मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने ऐसे कितने विशेषज्ञों को चुना है जो परिणामों के अनुसार भुगतान प्रणाली एवं कपड़ा बनाने तथा यन्त्र शास्त्र व्यवसायों के क्षेत्र में भारत सरकार की सहायता करेंगे ?

(ख) क्या वे लोग भारत में आ गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(ग) कब तक वे भारत में रुकेंगे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) ५ विशेषज्ञ आये हैं ।

(ख) हां, वे विशेषज्ञ ५ दिसम्बर १९५२ को आये थे ।

(ग) वर्तमान योजना के अनुसार तो इन विशेषज्ञों में से ४ विशेषज्ञों की मई १९५३ तक यहां रुकने की आशा है ; और एक विशेषज्ञ यहां से जा चुका है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इन विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से भारतीय विशेषज्ञ काम करने के योग्य हो सकेंगे ?

श्री वी० वी० गिरि : ये विशेषज्ञ आजकल काम कर रहे हैं इनके साथ साथ भारतीय विशेषज्ञ अध्ययन कर रहे हैं, उनका अध्ययन लगभग समाप्त हो चुका है । बम्बई में अभी अध्ययन चालू है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा अविकसित देशों को दी जाने वाली टैक्नीकल सहायता का ही एक भाग है ? अगर ऐसा है तो क्या हमें इस पर कुछ खर्च करना पड़ेगा ?

श्री वी० वी० गिरि : हम को खर्च करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है किन्तु उन विशेषज्ञों का खर्चा देना होगा ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि कृषि श्रम सम्बन्धी भी ऐसे कोई विशेषज्ञ हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : नहीं । आजकल कोई विशेषज्ञ नहीं है ।

रेलवे वैगनों से चोरी

*७०५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि नवम्बर सन् १९५२ के अन्त में पूर्वी रेलवे के गरबेता तथा चन्द्रकोना स्टेशनों के बीच वैगनों से माल चुराने वाले एक गिरोह ने एक वैगन तोड़ कर उसमें से माल चुराने का प्रयत्न किया था, किन्तु बाद को उस गिरोह का सुरक्षा पुलिस ने पता लगा लिया ?

(ख) यदि यह ठीक है, तो इस के लिए क्या प्रबन्ध किया गया ?

(ग) क्या भारतीय रेलों में उस प्रबन्ध से वैगनों से माल चुराने की स्थिति में कुछ कमी हुई या नहीं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) हां यह सत्य है ।

(ख) इन दुर्घटना ग्रस्त क्षेत्रों में चलने वाली सभी मुख्य मुख्य मालगाड़ियों पर सुरक्षा के लिये सुरक्षा पुलिस तथा सरकारी रेलवे पुलिस तैनात कर दी गई है । इन अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में चौकीदारी करने वाली पुलिस के दस्तों ने एवं स्थानीय पुलिस गुप्त रूप से घूम घूम कर देख भाल करनी भी शुरू कर दी है ।

(ग) हां । इस दुर्घटना ग्रस्त विशेष क्षेत्र में अपराधों की संख्या में कमी हो गई है । किन्तु भारतीय रेलवे में चोरी की घटनाएं अब भी काफ़ी मात्रा में हो रही हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को पुलिस उठा कर ले गई थी अथवा नहीं ?

श्री शाहनवाज खां : इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन घायल व्यक्तियों का अभिज्ञापन हो गया था या नहीं ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा कि मैंने अभी बताया है कि मेरे पास इसकी कोई विस्तृत सूचना नहीं है ।

श्री राघुनाथ सिंह : क्या उनका पोस्ट मार्टम एग्ज़ामिनेशन हुआ था ?

श्री शाहनवाज़ खां : जरूर हुआ होगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य नहीं है कि हावड़ा रेलवे पुलिस तथा स्थानीय मिदनापुर पुलिस ने इसके बारे में फिर भी जांच पड़ताल की थी, किन्तु उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): इसके बारे में हमारे पास कोई विस्तृत सूचना नहीं है । हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात् माननीय सदस्य को बता सकेंगे ।

जलनिधि पर्यालोकन

*७०६. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **कृषि एवं खाद्य** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा विन्ध्य प्रदेश की सरकारों ने उन जलाशयों का पर्यालोकन किया है जो इन राज्यों के अन्तर्गत बुन्देलखंड क्षेत्र में स्थित हैं ?

(ख) क्या इन जलाशयों पर थोड़ा सा धन खर्च करने के उपरान्त सिंचाई के लिये उपयोगी जलाशयों में परिवर्तित किया जा सकता है ?

(ग) क्या पंचवर्षीय योजना अथवा किसी अन्य दूसरी योजना के अन्तर्गत इन वर्तमान जलाशयों को सिंचाई के लिये उपयोगी बनाने का कोई प्रयत्न किया गया है अथवा कोई प्रयत्न करने का विचार है ?

(घ) यदि ऐसा कोई विचार है, तो इन दोनों प्रादेशिक सरकारों ने इस सम्बन्ध में क्या क्या प्रस्ताव और योजनायें तैयार की हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) से (घ). जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का प्रश्न है वहां तक इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और जैसे ही वहां से सूचना मिलेगी वैसे ही संसद् के सम्मुख प्रस्तुत की जायगी । किन्तु विन्ध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक सिंचाई इंजीनियर की नियुक्ति की है जो वर्तमान सभी जलाशयों के बारे में जिनमें बुदेलखंड क्षेत्र के जलाशय भी सम्मिलित होंगे, पर्यालोकन करेंगे, इसलिये उनके पर्यालोकन की समाप्ति के उपरान्त ही इस विषय की पूरी पूरी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं माननीय मन्त्री से यह पूछ सकता हूं कि जिन वाटर रिज़रवायर्स में अभी इर्रीगेशन का काम जारी नहीं हुआ है क्या वहां कोई दूसरा काम किया जा रहा है जैसे फिशिंग वगैरह ?

डा० पी० एस० देशमुख : विन्ध्य प्रदेश के बारे में मुझे मालूम नहीं है ।

बन्दरगाहों की मिट्टी या रेत निकालना

*७०७. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **यातायात** मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय बन्दरगाहों की मिट्टी या रेता निकालने के लिए भारतवर्ष को अमरीकी टैक्नीकल सहायता का आश्वासन मिला है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या अभी तक ऐसी कोई सहायता मिली है अथवा नहीं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां : (क) हां यह सत्य है ।

(ख) हां । दो विशेषज्ञ २१ फरवरी १९५३ को यहां आ गये हैं और उन्होंने अपनी जांच का काम शुरू कर दिया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : यह काम हिन्दुस्तानियों से हो सकता था कि नहीं ?

श्री शाहनवाज खां : हमारे पास इतने माहिर नहीं थे, इसीलिये उन लोगों को दावत दी जा रही है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे कितने बड़े बन्दरगाह हैं जिनकी मिट्टी निकालने की शीघ्र आवश्यकता है ?

श्री शाहनवाज खां : हमारे बड़े बड़े बन्दरगाहों की मिट्टी तो विदेशी सहायता के बिना ही निकाली जा सकती है, उनके पास साधन हैं । खोज की आवश्यकता तो केवल छोटे छोटे बन्दरगाहों को ही है ।

डा० राम सुभग सिंह : मिट्टी निकालने के लिये कितनी मशीनों को आवश्यकता पड़ेगी क्या इसका अनुमान सरकार ने कभी लगाया है ?

श्री शाहनवाज खां : छोटे छोटे बन्दरगाहों की मिट्टी निकालने का उत्तरदायित्व तो उनकी प्रादेशिक सरकारों पर है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इन विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

श्री शाहनवाज खां : ये विशेषज्ञ देश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और सभी छोटे छोटे एवं कलकत्ता और विज़गापटम जैसे दो बड़े बन्दरगाहों का भी पर्यालोकन कर रहे हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन बन्दरगाहों के विकास के लिये भारत सरकार कोई विकास फंड बना रही है अथवा नहीं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यह प्रश्न विचाराधीन है और हमने अभी तक इसके बारे में कोई निर्णय नहीं किया है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: क्या मैं जान सकता हूं कि आंध्र राज्य के छोटे छोटे बन्दरगाहों की भी जांच की जायगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : हां ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस काम के लिये बाहर से लोग आये हैं उस के लिये हिन्दुस्तानियों को शिक्षा देने का इन्तज़ाम ट्रान्सपोर्ट विभाग की तरफ से हो रहा है ?

श्री शाहनवाज खां : ड्रेज़िंग का काम जैसा मैंने पहले अर्ज किया हिन्दुस्तान के जो बड़े बड़े बन्दरगाह हैं उन में हिन्दुस्तानी खुद कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बन्दरगाह हैं उन के लिये हमारे पास काफी आदमी नहीं हैं लेकिन ट्रेनिंग का बन्दोबस्त किया जा रहा है ।

श्री नानादास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि सभी बन्दरगाहों में रेता निकालने का काम सन् १९४७ से शुरू हो गया था अथवा नहीं ? यदि शुरू हुआ था तो उसकी प्रणाली क्या थी ?

श्री अलगेशन : रेता निकालने का काम जारी है, किन्तु इन बन्दरगाहों का उपयोग पूरा साल किया जा सके इस विषय में विशेषज्ञों की सहायता ली गई है ।

श्री सी० भट्ट: एक स्कैंडेनेवियन विशेषज्ञ देश के विभिन्न भागों का दौरा करके जांच

कर रहा है क्या मैं जान सकता हूं कि उसकी नियुक्ति किस आधार पर हुई है ?

श्री अलगेशन : केन्द्रीय एवं प्रादेशिक सरकार दोनों ने ही उसकी नियुक्ति की है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि आंध्र राज्य के कौन कौन से छोटे बन्दरगाह हैं ?

श्री अलगेशन : आंध्र राज्य के सभी छोटे छोटे बन्दरगाह जैसे कोकनाडा, मछलीपटम.........

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इनके नाम जानते हैं।

श्री सी० भट्ट : क्या मैं जान सकता हूं कि वह विशेषज्ञ अन्तःस्थ बन्दरगाहों पर भी जायगा ?

श्री अलगेशन : वे बन्दरगाह जिन के नाम मैंने अभी बताये थे अन्तःस्थ बन्दरगाह कहे जाते हैं, वैसे तो इनके कोई परिनियत नाम नहीं हैं किन्तु फिर भी उनको अन्तःस्थ बन्दरगाहों के नाम से पुकारा जाता है।

डैक यात्रा

*७०८. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या यातायात मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार भारतीय समुद्र पार सेवा के अन्तर्गत डैक यात्रा के उन्मूलन का विचार कर रही है ?

(ख) कौनसी समुद्र पार सेवा पर डैक यात्रा का उन्मूलन पहिले किया जायगा ?

(ग) क्या समुद्री किनारे की सेवाओं पर भी डैक यात्रा का उन्मूलन किया जायगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां।

(ख) भारत और अफ्रीका के बीच की सेवाएं।

(ग) हां वैसे तो सभी डैक यात्राओं के उन्मूलन करने का हमारा लक्ष्य है किन्तु फिर भी समुद्री किनारे की सेवाओं के उन्मूलन प्रश्न को निकट भविष्य में क्रियान्वित करने की कोई सम्भावना नहीं दिखाई पड़ती। यद्यपि आजकल प्रत्येक यात्री को अधिक से अधिक स्थान और सुविधा देने का विचार किया जा रहा है।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि भारत से बर्मा तथा मलाया जाने वाले जहाज़ों में भी डैक यात्रियों को अधिक स्थान देने के बारे में भी क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : हां, इसकी सिफारिश की गई है।

डा० राम सुभग सिंह : इन दोनों लाइनों पर चलने वाले जहाज़ के डैक यात्रियों में से कितने प्रतिशत यात्रियों को सोने की पटरियां दी गई हैं ?

श्री शाहनवाज खां : अभी तो किसी को भी नहीं दी गईं ; किन्तु एक सिफारिश में २५ प्रतिशत यात्रियों को ये पटरियां देने का सुझाव दिया गया है।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, इन सिफारिशों को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : शीघ्रातिशीघ्र इनको क्रियान्वित किया जायगा।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सत्य नहीं है कि मद्रास एवं सिंगापुर के बीच चलने वाले स्टीमरों में सैकड़ों ही नहीं अपितु हजारों व्यक्ति डैक पर यात्रा करते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को इस बात का पता है या नहीं कि वर्कालाई के श्री परमेश्वरन पिल्ले जो अभी हाल में डैक पर यात्रा कर रहे थे घायल हो गये और डैक यात्रा करते

करते, यात्रा के बीच में ही इस आघात से उनकी मृत्यु हो गई ?

श्री अलगेशन : हमें इस घटना की थोड़ी सी सूचना मिली है। किन्तु प्रत्येक यात्री के लिये ९ वर्ग फुट के बजाय बढ़ा कर १२ वर्ग फुट स्थान कर दिया जायगा।

सेठ गोविन्द दास : भारत और अफ्रीका के बीच में जब यह डैक ट्रैवल बन्द की जा रही है ऐसी हालत में क्या फर्स्ट और सेकेन्ड क्लास का भी किराया कम किया जा रहा है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जो मसला दरपेश है वह सिर्फ डैक की मुसाफिरी का है।

सेठ गोविन्द दास : मैं यह जानना चाहता था कि जब डैक की मुसाफिरी बन्द की जा रही है तो क्या फर्स्ट और सेकेन्ड क्लास का किराया भी कम किया जा रहा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : यह हमारे अख्तयार में नहीं है कि हम किराया घटा दें। हम तो इस के लिये राय और सलाह दे सकते हैं। किराया तय करना प्राइवेट कम्पनियों का काम है।

खाद्यान्न (उत्पत्ति)

*७०९. **श्री बी० के० दास** : क्या **कृषि एवं खाद्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५२ में भारतवर्ष के खाद्यान्नों की उत्पत्ति बढ़ाने के लिये किन किन विशेष कार्यवाहियों को प्रयोग में लाया गया था ?

(ख) इन कार्यवाहियों में कहां तक सफलता मिली और क्या परिणाम रहा ?

(ग) इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में कितना खच हुआ ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) संसद् के समक्ष वक्तव्य प्रस्तुत है जिसमें निर्देशन किया गया है कि इस योजना में कौन कौन से कार्य तथा भारत सरकार ने उन के लिये कैसी सहायता दी, एवं तथा उन प्रोग्रामों या कार्यों पर कितना धन व्यय हुआ।

(ख) सभी उपलब्ध सूचनाओं सम्बन्धी वक्तव्य संसद् पटल पर रखा है। [**(क) और (ख) के लिए देखें परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २१**] इससे पूरी पूरी जानकारी मिल सकेगी किन्तु यह जानकारी केवल वर्ष के अन्तिम भाग की ही होगी क्योंकि जून १९५२ से जून १९५३ तक ही काम किया गया है।

(ग) ९ मार्च १९५३ तक के लिये स्वीकृत धन १७९१९८ लाख रुपया है। वास्तविक धन कितना खर्च हुआ इसके विषय में तो दो मास के उपरान्त जब जून १९५३ में वर्ष समाप्त होगा पता चलेगा।

श्री बी० के० दास : इस बात को देखते हुए कि "अधिक अन्न उपजाओ योजना" को केन्द्रीय सरकार एवं प्रादेशिक सरकारों ने मिल कर चलाया था, क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना पर प्रादेशिक सरकारों ने कितना खर्च किया ? जबकि केन्द्रीय सरकार ने इस योजना पर १७,९१,००,००० व्यय किया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रादेशिक सरकारों ने कितना व्यय किया ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, यह धन दो भागों में बांटा गया है। इसमें से १२६७,८०,००० तो उधार दिया गया है और केवल ४७३,३७,००० सहायता स्वरूप है। इस सहायता धन को भिन्न भिन्न अनुपात के आधार पर वितरण किया गया है। अतएव यह बताना सम्भव नहीं है कि प्रादेशिक सरकारों ने वास्तव में कितना धन खर्च किया

हैं। किन्तु जहां तक १२।½ करोड़ का प्रश्न है उसके लिये तो यह निश्चित है कि यह धन उधार दिया गया है। अतएव यह तो प्रादेशिक सरकारों का ही काम है कि इस धन को खर्च करे।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि खर्च में भी कोई अनुपात रखा गया है ताकि इन राज्यों को दिये जाने वाले ऋण एवं सहायता में भी योजनानुसार अनुपात रखा जा सके ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, बड़े विस्तृत नियम हैं जो योजना के प्रत्येक पद के अनुसार समय समय पर बदलते रहते हैं। उदाहरणतः तेल की खली या हड्डी का चूरा भेजने खाद के गढ़े बनाने तथा अन्य दूसरी चीज़ें भेजने के बारे में इन अनुपातों को नियन्त्रित करने में भिन्न भिन्न नियमों का पालन किया जाता है। कभी इनको ५० प्रतिशत मान्यता दी गई तो कुछ मामलों में केवल २५ प्रतिशत थी।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमन् यह सत्य है कि सन् १९४७ से खाद्यान्न उपजाने वाले क्षेत्र की बढ़ोतरी हो गई है जबकि कुल उत्पत्ति एवं प्रति एकड़ की औसत उत्पत्ति में कमी हो गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसे रोकने के लिये क्या कोई कार्रवाही की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमन्, उस दिन माननीय सदस्य ने अपने भाषण में जिन आंकड़ों का हवाला दिया था वे आंकड़ें सही हैं; तथा साथ ही साथ दूसरे सदन में जब मैं ने उत्पत्ति की प्रगति के बारे में जो भाषण दिया था वह भी ठीक था। एक ओर तो हम उत्पत्ति की प्रगति के बारे में कहते है किन्तु दूसरी ओर विशेष सालों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में बात तो यह है कि प्रति एकड की औसत उत्पत्ति कम हो गई है। किन्तु इसके बहुत से सहायक कारण हैं। जैसे वर्षा का न होना, बाढ़ों का आना आदि आदि इस प्रकार की बातें हैं। अतएव १९४७ से लेकर अब तक केवल थोड़ी सी एकड़ भूमि की औसतन उत्पत्ति घटनाओं की वास्तविक प्रवृत्ति का लक्षण नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार को इस स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान है तथा प्रति एकड़ की औसतन उत्पत्ति बढ़ाने के लिये प्रत्येक सम्भावित प्रयत्न कर रही है।

कुछ सम्मानित सदस्य उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बजट परवाद-विवाद कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनमें से प्रत्येक बात पर आप लोग बोल सकते हैं, अब पूरक प्रश्नों के पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है।

क्ष-रश्मि विद्या

*७१०. **श्री गिडवानी** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान मद्रास के डाक्टर के० एन० राय के उस भाषण की ओर आकर्षित किया गया है जो उन्होंने क्ष-रश्मि विद्या भारतीय कांग्रेस के ७वें अधिवेशन पर अध्यक्ष पद से ३ जनवरी को दिया था। जिसमें श्री राय ने क्ष-रश्मि विद्या के प्रयोग के नियन्त्रण के सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही करने की अपील की थी ;

(ख) यदि ऐसा है तो इस विषय में सरकार कौन सी कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) हां।

(ख) क्ष-रश्मि विद्या के प्रयोग पर नियंत्रण करने के लिये क्या कार्यवाही की जाय यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री एस० वी० रामास्वामी : भारत में ऐसी कितनी संस्थाएं हैं और क्या उनमें सभी टेक्नीकल आदमी काम कर रहे हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : श्रीमन्, इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य इसे एक अलग प्रश्न बनाते हैं तो मैं सूचना दे सकूंगी।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत से ठग क्ष-रश्मि विद्या का उपयोग कर रहे हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : नहीं श्रीमन्।

चितरंजन लोकोमोटिव कर्मशाला

*७११. **श्री नम्बियार**: (क) क्या रेल मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि चितरंजन लोकोमोटिव कर्म-शाला का नाम प्रारम्भ में चितरंजन लोको-मोटिव निर्माण कर्मशाला था; अगर यह ठीक है तो यह नाम परिवर्तन कब और क्यों हुआ ?

(ख) क्या यह सत्य है कि लोकोमोटिव के ५० प्रतिशत हिस्से तो यहां इस कर्मशाला में बनाये जाते हैं जबकि शेष ५० प्रतिशत इंग्लैण्ड से मंगाये जाते हैं ?

(ग) यदि ठीक है तो इन कर्मशालाओं में कौन कौन से हिस्से तैयार होते हैं और कौन कौन से हिस्से इंग्लैण्ड से मंगाये जाते है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) कर्मशाला का नाम प्रारम्भ में 'लोकोमोटिव निर्माण कर्मशाला मिहिजाम' था किन्तु पश्चात् को इसका नाम बंगाल के सुविख्यात नेता स्वर्गीय देशबन्धु चितरंजन दास के नाम पर १ नवम्बर सन् १९५० से बदल कर चितरंजन लोकोमोटिव कर्मशाला चितरंजन कर दिया गया।

(ख) और (ग). नहीं कुछ मुख्य मुख्य हिस्सों तथा कुछ अन्वायुक्तियों को छोड़ कर जिनका इन कर्मशाला में बनाना महंगा पड़ता है बाहर से मंगाये जाते हैं अन्यथा शेष सभी हिस्से यहां इन कर्मशालाओं में बनाए जाते और बनाये जायेंगे।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इसका नाम परिवर्तन क्यों हुआ ? नाम परिवर्तन के बारे में मैंने पूछा था जिसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। क्या मैं जान सकता हूं कि इसका नाम 'निर्माण कर्मशाला' की अपेक्षा बदल कर केवल 'चित-रंजन कर्मशाला' क्यों कर दिया गया ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यहां निर्माण नहीं हुआ करेगा।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस परिवर्तन में कोई रहस्य छिपा है, यदि नहीं तो फिर इसके नाम का परि-वर्तन क्यों किया गया ?

श्री अलगेशन : इस प्रकार हम भारत के एक विख्यात नेता को सम्मान देना चाहते थे बस यही कारण है इसके नाम परिवर्तन का।

श्री नम्बियार : जिस समय रेलवे आय-व्ययक पर वाद विवाद हो रहा था तो यह बताया गया था कि लोकोमोटिव के बनाने वाले सामान में ३० प्रतिशत वस्तुएं विदेशों से मंगाई जाती हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि बाहर से आने वाले इस ३० प्रतिशत सामान में कौन कौन से मुख्य भाग सम्मि-लित हैं ?

श्री अलगेश : कुछ ऐसी चीजें जैसे बाइलर की नलियां, उसकी प्लेटें जो आजकल भारत में नहीं बनाई जातीं, तथा ढलाई की हुई भारी भारी चीज़ों का ही विदेशों से निर्यात किया जाता है।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान्, कि विदेशों से आने वाली वस्तुओं का मूल्य लोकोमोटिव के मूल्य का कौनसा प्रतिशत पड़ता है ?

श्री अलगेशन : इस प्रश्न के उत्तर के लिये मुझे कुछ समय मिलना चाहिये ।

श्री नम्बियार : क्या यह सत्य है कि शून्यक नली (वेकम इजेकटर), पिस्टन एक्सिल इत्यादि इत्यादि विदेशों से मंगाये जाते हैं ?

श्री अलगेशन : यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रश्न करते हैं तो मैं इसकी सूचना उन्हें दे सकूंगा ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या यह सत्य है कि संसार की कोई भी लोकोमोटिव निर्माण शाला लोकोमोटिव सम्बन्धी सभी भाग अपने यहां नहीं बनाते ?

श्री अलगेशन: श्रीमन्, आप ठीक कह रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या मैं दूसरे पक्ष वालों को भी हंसने का अवसर दूं ? यदि माननीय सदस्य प्रश्न करते हों तो गम्भीरता के साथ करना चाहिये । यदि दूसरे पक्ष के कोई सदस्य कोई प्रश्न पूछते हैं तो उनकी हंसी उड़ाई जाती है । ऐसा करना उचित नहीं है ।

श्री नम्बियार : समस्त संसार की स्थिति के विषय में माननीय मन्त्री किस प्रकार उत्तर दे सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें अन्य स्थानों की स्थिति के विषय में भी ज्ञान है ।

चितरंजन लोकोमोटिव कर्मशाला (विशेषज्ञ)

*७१२. **श्री नम्बियार :** क्या रेल मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितरंजन लोकोमोटिव कर्मशाला में कितने विदेशी विशेषज्ञ काम करते हैं, उनकी जाति, उनका यथार्थतम कार्य, वेतन, भत्ता, मकान तथा अन्य सुविधायें तथा उनकी नौकरी सम्बन्धी अन्य क्या क्या शर्तें हैं ;

(ख) क्या यह सत्य है कि इन विशेषज्ञों को इंग्लैण्ड की लोकोमोटिव निर्माण-शाला कम्पनी लि० और उत्तरी ब्रिटिश लोकोमोटिव कर्मशाला से ठेके पर लिया गया है ;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन विशेषज्ञों द्वारा ही उत्पादन योजना, प्रतिकृति, विस्तृत विवरण, निश्चित लक्ष्य एवं उत्पत्ति का अभ्यंश एवं नियंत्रण, समय के नियंत्रण चाल, विशेषता एवं परिमाण द्वारा निश्चित की जाती है ;

(घ) क्या सरकार ने कभी यह भी पता करने का प्रयत्न किया है कि उत्पत्ति से संशोधित लक्ष्य की पूर्ति करने में भी यह चितरंजन लोकोमोटिव कर्मशाला क्यों असफल रही है । और यह असफलता किन किन व्यक्तियों एवं किन किन परिस्थितियों में हुई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सभी आवश्यक जानकारी से पूरित वक्तव्य संसदीय पटल पर प्रस्तुत है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २२**]

(ख) चार ब्रिटिश विशेषज्ञों को तो टेक्नीकल सहायता समझौते के अनुसार लोकोमोटिव कम्पनी लि० से, तथा ७ विशेषज्ञों को कोलम्बू योजना के अन्तर्गत लिया गया है । बर्लिन स्थित भारतीय सैनिक मिशन द्वारा जर्मन विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई थी ।

(ग) ये विशेषज्ञ अपने लिये निर्धारित कार्यों को ही करते हैं, प्रायः इनका कार्य परामर्शदाता के रूप में ही होता है । वास्तव में कार्य तो भारतीय कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है । विस्तृत योजनायें तो

चितरंजन के मुख्य प्ररचियता के कार्यालय में बनाई जाती हैं। प्ररचियता का यह कार्यालय रेलवे मन्त्रालय से सम्बन्धित है जो कि चितरंजन कर्मशाला प्रशासन के नाम से स्वतन्त्र रूप से कार्य करता है। इस कार्यालय में कोई विदेशी विशेषज्ञ नहीं है। उन सात ब्रिटिश विशेषज्ञों को जिनको कोलम्बू योजना के अन्तर्गत लिया गया है उनकी नियुक्ति भाड़ा नियन्त्रक निर्देशक और निरूपक के रूप में हुई है।

(घ) सरकार को उन सभी कारणों का ज्ञान है जिनके कारण उत्पादन का संशोधित लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका है। मुख्य कारण विदेशों से आने वाले आवश्यक कच्चे माल में अत्यधिक विलम्ब तथा अत्यधिक असमानता ही रहा है।

श्री नम्बियार : वक्तव्य में बताया गया है कि उत्पादन सलाहकार को ३२५० पौंड प्रतिवर्ष मिलता है अर्थात् ३५५० रुपया प्रति मास। क्या मैं जान सकता हूं कि एक सलाहकार को इतना अधिक रुपया क्यों दिया जाता है जबकि दूसरी ओर रेलवे पद्धति के जनरल मैनेजर को बहुत थोड़ा धन मिलता है ?

श्री अलगेशन : क्योंकि वह इतना विशेष एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य कर रहा है इसीलिए उसे इतना धन दिया जाता है।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि वह परामर्श देने के अतिरिक्त प्रशासन सम्बन्धी भी कोई कार्य करता है ?

श्री अलगेशन : नहीं श्रीमान्।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि संसार के अन्य दूसरे लोकोमोटिव निर्माण कर्मशालाओं में भी ब्रिटिश विशेषज्ञ काम करते हैं ?

श्री अलगेशन : मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। श्रीमान्।

श्री पी० टी० चाको : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि उन भारतीयों को जिन्हें विदेश में शिक्षा पाने के लिये भेजा गया था, इस लोकोमोटिव में कोई स्थान दिया गया है अथवा नहीं ? यदि दिया गया है तो कितनों को ?

श्री अलगेशन : मुझे थोड़ा समय मिलना चाहिए।

श्री नम्बियार : वक्तव्य में बताया गया है कि इन विदेशी विशेषज्ञों को कुछ निश्चित समय के लिए ठेका के तौर पर रखा गया है क्या मैं जान सकता हूं कि वह निश्चित समय कितना है एक वर्ष या दो वर्ष ?

श्री अलगेशन : मैं माननीय सदस्य को समझौते की एक प्रति दे दूंगा। इस समय मेरे पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्पादन मशीन पूरी गति से कार्य कर रही है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

श्री अलगेशन : मैं समझता हूं कि यह पूरी गति से कार्य कर रही है।

दक्षिण रेलवे का विपर्यय

*७१३. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे प्रशासन ने १९५०–५२ के बीच गोल्डन रॉक कर्मशाला तम्बारम कारशेड, मन्दापम सामुद्र कर्मशाला के प्रवीण कर्मचारियों के उत्क्रामण की आज्ञा दी थी ?

(ख) यदि यह ठीक है तो क्या प्रतिवर्तित कर्मचारियों की संख्या के बारे में संसद् को बताया जा सकता है ?

(ग) प्रतिवर्तिता के क्या कारण थे।

(घ) क्या कर्मचारियों के प्रतिवर्तितता के कारण उत्पत्ति की प्रमाण एवं कार्य की विशेषता इन कर्मशालाओं में कुछ बदल गई अथवा वैसी ही रही ?

(ङ) क्या इन प्रतिवर्तित कर्मचारियों की ओर से अभ्यावेदन किया गया था, यदि हां तो उसके प्रति क्या कार्रवाई की गई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). १९५०–५२ के बीच इन संस्थानों में उत्क्रामण की कोई आज्ञा नहीं दी गई थी । किन्तु इस बीच संघटन सम्बन्धी परिवर्तन, तथा निश्चित समय के लिये किये गये स्थानों के व्यपगमन के कारण मन्दापम सामुद्र कर्मशाला के १६ प्रवीण कर्मचारियों तथा तम्बारम कार शेड के १२ कर्मचारियों को प्रतिवर्तित किया गया था । मन्दापम सामुद्र कर्मशाला के इन प्रतिवर्तित कर्मचारियों में से ९ कर्मचारियों को उनके पुराने पदों पर प्रवर्तन कर दिया गया है । यह उत्क्रमण इन संस्थानों के उच्च विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की छंटनी के कारण ही हुआ है अथवा कार्य में किये गये वांछित परिवर्तन या उस कार्य विशेष जहां कि वे काम करते थे, समाप्त किये जाने के फलस्वरूप हुआ है ।

(ङ) हां । इन प्रतिवर्तित कर्मचारियों ने प्रतिवर्तन के विरुद्ध अभ्यावेदन किया था । स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए उन्हें बता दिया गया था कि कार्य की महत्ता को देखते हुए उनको अस्थायी तौर पर रखा गया था, और जबकि काम को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता कि उन को उच्च श्रेणी में रखा जाय ; अतएव उन को आवश्यकता अनुसार ही रखा जा रहा है ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस बीच गोल्डन रॉक कर्मशाला में लगभग ५०० प्रवीण एवं अर्द्ध-प्रवीण शिल्पकारों का उत्क्रमण हुआ है यह कहां तक ठीक है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, यह तो मन्दापम सामुद्र कर्मशाला तथा तम्बारम कार शेड के बारे में है, वहां की मुझे जानकारी है । गोल्डन रॉक कर्मशाला के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री नम्बियार : मेरा प्रश्न तो गोल्डन रॉक कर्मशाला के बारे में भी है ।

श्री अलगेशन : वहां कोई उत्क्रामण नहीं हुआ ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन व्यक्तियों का प्रतिवर्तन हुआ है, उनको जैसे ही और जब कभी भी कोई रिक्त स्थान होगा तो क्या उनकी पद वृद्धि की जायगी ? और क्या ऐसा प्रबन्ध आजकल है ?

श्री अलगेशन : आजकल ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि कार्य को कितना कम कर दिया गया है जिसके कारण इतना उत्क्रामण हुआ है ?

श्री अलगेशन : उनका प्रत्यावर्तन इस कारण किया गया है क्योंकि उनके पदों की अब कोई आवश्यकता नहीं रही और उन पदों को समाप्त कर दिया गया है । जैसा कि मैंने अभी बताया है कि इनमें ९ कर्मचारियों की पदवृद्धि कर दी गई है ।

श्री नम्बियार : क्या इसका उत्पत्ति पर भी किसी प्रकार कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्री अलगशन : नहीं श्रीमान् ।

वनपशुओं के लिये केन्द्रीय परिषद्

***७१४. श्री एल० जे० सिंह** : क्या कृषि एवं खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'वन पशुओं के लिये केन्द्रीय

परिषद्' ने पशुओं के संरक्षण के लिये किन किन कार्रवाहियों का प्रस्ताव किया है ?

(ख) भारत सरकार ने देश के जानवरों एवं चिड़ियों के संरक्षण के लिये अब तक क्या उद्योग किये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). वन पशु केन्द्रीय परिषद् के अपनी पहिली बैठक में पास किये प्रस्तावों तथा उन पर की गई कार्रवाही के विषय में संसदीय पटल पर एक विस्तृत वक्तव्य प्रस्तुत है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २३**]

सदन की सूचना के लिये, संक्षिप्त रूप से, मैं उन उद्योगों का वर्णन करता हूं जो वन पशुओं के सुरक्षा संरक्षण के लिये किये गये हैं। वे निम्न हैं :—

(क) केन्द्रीय एवं प्रान्तीय परिषद् की स्थापना।

(ख) अधिशासी समिति एवं प्रादेशिक समितियों की स्थापना।

(ग) जानवरों तथा वन पशुओं के निर्यात पर नियन्त्रण।

(घ) राष्ट्रीय उद्यानों एवं शरणालयों की स्थापना।

(ङ) प्रादेशिक सरकारों द्वारा विधान बनाना।

श्री एल० जे० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि वन पशु केन्द्रीय परिषद् द्वारा सिफारिश की गई कार्रवाइयों में से भारत सरकार ने कितनी सिफारिशों को मान लिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : लगभग सभी सिफारिशें कार्यान्वित की जायेंगी।

श्री एल० जे० सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा बनाई गई परिषदें पूर्णत: सरकारी होंगी या निजी परिषदें ?

डा० पी० एस० देशमुख : सरकार तो एक परिषद् नियुक्त करेगी।

श्री कास्लीवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन प्रान्तों में यह राष्ट्रीय उद्यान बनाये जायेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो केवल एक सिफारिश है। हम राष्ट्रीय उद्यान बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किसी जगह विशेष के बारे में अभी विचार नहीं किया गया है।

श्री पाटस्कर : क्या सरकार को पता है कि कन्हौटी राष्ट्रीय उद्यान जो बम्बई के निकट है धनाभाव के कारण बन्द होने जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख: अब तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है। वस्तुत: जब परिषद् की स्थापना हो जायगी तो सम्भवत: हमें इसका पता चल जाय।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि जानवरों की कोई जाति विशेष का ह्रास सन्निकट है; यदि ठीक है तो वे कौन से जानवर हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक मुझे पता है गुजरात क्षेत्र की शेर जाति का ह्रास सन्निकट है और आसाम के दरियायी घोड़ाओं का अन्त भी होने वाला है।

श्री अमजद अली : क्या सरकार देश में शिकारी अड्डे बनाने के सम्बन्ध में नियम तथा विधान बनाने का विचार कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, परिषद् की यह भी एक सिफारिश है।

श्री एल० जे० सिंह : जैसा कि वक्तव्य से प्रकट होता है कि केन्द्रीय परिषद् ने एक सिफारिश द्वारा घोषणा की है कि मनीपुर राज्य में पाये जाने वाले बारहसिंघे तथा भूटान की पहाड़ियों की तराई में मिलने वाले बौने सूअर जिनका एक प्रकार से ह्रास

सा हो चुका है, रक्षा की जायगी। क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों की इनकी सुरक्षा के विषय में सलाह ली गई है, अथवा नहीं, यदि ली गई है तो उनकी सिफारिशें क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास उन की सिफारिशें तो नहीं हैं, किन्तु मुझे विश्वास है कि यदि उन जानवरों को सुरक्षा की आवश्यकता हुई तो परिषद् उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उद्योग करेगी।

गन्ने के उत्पादन का परिव्यय

*७१५. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **कृषि एवं खाद्य** मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतवर्ष में गन्ने के उत्पादन परिव्यय का अनुमान लगाने का कोई प्रयत्न किया है ?

(ख) चीनी तथा गन्ने के उत्पादन परिव्यय के ऊपर उत्पादक एवं निर्माता को लाभ देने के बारे में सरकार की नीति क्या रही है ?

(ग) यदि लाभ मात्राओं में कोई असमानता बर्ती गई है तो उसका कारण क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने १९३३–३६ में गन्ना उत्पादन परिव्यय के निश्चित करने के सम्बन्ध में एक विस्तृत योजना तैयार की थी किन्तु विश्लेषण करने के उपरांत पता चला कि सामग्री की सत्यता संदेहजनक है। सन् १९४९ में फिर से एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति गल्ला उत्पादन परिव्यय के विषय में जांच पड़ताल करने के लिये की गई, किन्तु इस समिति ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि उत्पादन परिव्यय के कारण प्रति वर्ष प्रति स्थान, एवं एक किसान से दूसरे किसान के बीच इतनी तीव्रता से परिवर्तित होते रहते हैं कि सही औसत नहीं निकाला जा सकता। एक यह भी कठिनाई थी कि परिव्यय सम्बन्धी विश्वस्त सामग्री उपलब्ध नहीं थी क्योंकि किसानों के पास इस सम्बन्ध में कोई हिसाब किताब नहीं था। किसानों द्वारा दी गई सामग्री के आधार पर उत्पादन परिव्यय के निश्चित करने में जो कठिनाइयां सरकार के सामने आई हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने उत्पादन परिव्यय निश्चित करते समय विस्तृत विचारों को ध्यान में रखा है और उसी आधार पर मूल्य निश्चित किया है। उदाहरणत : यदि एक निश्चित न्यूनतम मूल्य के अन्तर्गत गन्ने का क्षेत्र बढ़ जाता है तो यह इस बात का प्रमाण है कि मूल्य वहां के उत्पादन परिव्यय से अधिक है। गन्ना एवं अन्य दूसरी फसलों की अदल बदल गन्ने की उचित न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने में सहायक हो सकती है।

जहां तक चीनी निर्माताओं का प्रश्न है वहां तक मूल्य निश्चित करने से पूर्व हमें कच्चे माल का प्रचलित औसतन मूल्य, श्रमिकों का वेतन, अन्य सभी ऊपरा व्यय को ध्यान में रख कर उस पर १० प्रतिशत लाभ देना होगा ताकि व्यवसाय करने वालों को उनके धन पर कुछ लाभ और इतनी बड़ी सम्पत्ति लगाने पर जो बाधायें या संकट आ सकते हैं बचाव करने की सुविधा मिल सके। कुछ चीनी मिलें ऐसी हैं जो कई साल पूर्व बनी थीं किन्तु यदि हम उनके पुराने धन के अनुसार अनुमान लगा कर १० प्रतिशत लाभ देते हैं तो इसका अभिप्राय यह होगा कि उनके द्वारा लगाये गये इस समय के धन पर बहुत थोड़ा सा लाभ मिल सकेगा। सरकार की नीति उपभोक्ताओं के हित के विपरीत गन्ना उत्पादकों को, और चीनी निर्माताओं को अयुक्त लाभ देना नहीं है, अपितु सरकार की नीति तो ऐसा मूल्य निर्धा-

रित करने की है जिससे सभी को उचित लाभ हो सके।

श्री झूलन सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि कच्चे माल के मूल्य निर्धारित करते समय गन्ना उत्पादन परिव्यय का कहां तक ध्यान रखा गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह कहना बड़ा कठिन है कि इसका कहां तक ध्यान रखा गया है, जैसा कि मैंने अभी अपने वक्तव्य में बताया था कि गन्ना उत्पादन परिव्यय करना बड़ा कठिन है। किन्तु फिर भी उचित उत्पादन परिव्यय निश्चित करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया गया है और ऐसा करने में, जैसा कि मैंने अभी वक्तव्य में बताया था कि, बहुत सी विभिन्न बातों का ध्यान रखा गया है। सरकार की स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिये ही मैंने जान बूझ कर इतना विस्तृत उत्तर दिया है।

श्री झूलन सिन्हा : उत्तर को दृष्टि में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि किस आधार पर गन्ना उत्पादन व्यय का लगभग मूल्य निश्चित किया गया था, वह मशीन क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसका आधार बड़ा अनिश्चित है। हमें किसानों से कोई सामग्री नहीं मिल सकती क्योंकि वे कोई हिसाब किताब नहीं रखते, अन्य साधनों द्वारा पाना भी बड़ा कठिन है। किन्तु फिर भी हमने इस अनुमान को वास्तविक मूल्य के अधिक से अधिक निकट रखने का प्रयत्न किया है; और इसके निश्चित करने के उपरान्त हम १० प्रतिशत लाभ देकर उसका मूल्य निश्चित कर देते हैं।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि सारा खर्चा गन्ने को पैदा करने का वैसे ही रहते हुए भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ने की कीमत एक रुपये बारह आने मन से एक रुपया मन कर दी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, यह सैंट्रल गवर्नमेंट ने किया है ?

सेठ गोविन्द दास : तो मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने सब चीजों का खर्चा वैसा का वैसा रहते हुए भी एक रुपये १२ आने मन से गन्ने की क़ीमत एक रुपया मन किस हिसाब से की ?

श्री किदवई : मैम्बर साहब को ग़लत इत्तला है कि एक रुपये की गई, एक रुपये ५ आने दाम हैं।

सेठ गोविन्द दास : एक रुपया पांच आने भी किया है तो सात आने का जो फर्क है क्या वह जो गन्ने के उत्पादन करने में खर्च होता है उस को मद्देनज़र रखते हुए ठीक है ?

श्री किदवई : मैम्बर साहब अगर यहां हिन्दुस्तान में रहते हैं तो उन को मालूम होगा कि सन् १९४८ में गन्ने के दाम एक रुपये चार आने थे, जब कि गेहूं वग़ैरह के दाम इस से ज्यादा थे। आज कल गेहूं वग़ैरह सब चीज़ों के दाम चूंकि घटे हैं, उसी हिसाब से गन्ने के दाम भी घटाये गये।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को यह मालूम है कि बिहार में बड़े बड़े काश्तकार गन्ने के सब खर्चे का हिसाब रखते हैं और उनके हिसाब में एक रुपया आठ आने से ज्यादा खर्चा होता है ?

श्री किदवई : अगर यह सही है तो मैं उन को सलाह दूंगा कि वह गन्ने के बजाय चावल बोयें। उस से उन को भी फायदा होगा और कंट्री को भी फायदा होगा।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह सरकार की पालिसी है कि गन्ने की उपज कम की जाय ?

श्री किदवई : सरकार की यह पालिसी है कि सरकार ने देखा कि जब गन्ने के दाम दो रुपये दिये गये, उस वक्त तो गन्ने की काश्त घट गयी, जब दूसरी चीज़ों के दाम ज़्यादा थे और गन्ने की क़ीमत दरअस्ल एक रुपया बारह आने थी तो गन्ने की काश्त ३ लाख एकड़ बढ़ गयी और नतीजा यह हुआ कि पिछले साल गन्ना बहुत सारा खराब हुआ और कुछ जलाया गया। तो ऐसी क़ीमत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि जिससे गन्ने की काश्त ज्यादा बढ़े और कंट्री में उस का कंजम्पशन न हो सके।

श्री सिहासन सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि सरकार खुद गन्ने का निजी फार्म रखती है, उस पर गन्ना पैदा करने की कास्ट आफ प्रोडक्शन पर कितना खर्च आता है ?

श्री किदवई : मैं समझता हूं कि इस हाउस के बहुत से मैम्बरों को यह शिकायत है कि सरकार की तरफ़ से जो काम होता है उस में खर्चा ज्यादा होता है।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि जो क़ीमत गन्ने की सरकार ने कायम की है वह किसानों के हित में ज्यादा है, क्योंकि वह क़ीमत मुक़र्रर नहीं कर देती तो किसानों को मिल से इतनी क़ीमत नहीं मिलती ?

श्री किदवई : वह किसानों के हित में ज्यादा है और मुल्क के हित में भी ज्यादा है, क्योंकि यहां शक्कर के कारखाने चलने हैं तो हालत ऐसी होनी चाहिये कि शक्कर सस्ती मिल सके और वह बाहर भी भेजी जा सके। एक रुपया १२ आने या एक रुपये ५ आने में भी हमारी शक्कर के जो दाम पड़ते हैं वह बाहर की शक्कर से बहुत ज्यादा हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप को बतलाऊं कि अभी पाकिस्तान ने स्पेन से ४१ पौंड पर टन के हिसाब से, यानी २०, २२ या साढ़े इक्कीस रुपये मन पर शक्कर मंगाई है, जब कि हमारे यहां शक्कर के इतने ज्यादा दाम हैं। तो अगर शक्कर के कारखानों को सही काम करना है तो मुनासिब क़ीमत पर शक्कर तैयार होनी चाहिये और उसकी वजह से कम दाम रखना जरूरी है।

श्री गोपाल राव : क्या यह सत्य है कि टैक्नीकल कमेटी काफ़ी छानबीन के बाद इस निर्णय पर पहुंची है कि गन्ने का उत्पादन मूल्य १।।–) प्रति मन रखा जाय ?

श्री किदवई : मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य ने कौनसी कमेटी का हवाला दिया है। किन्तु कुछ वर्ष हुए तब यह मामला प्रशुल्क मंडल (टेरिफ़ बोर्ड) को भेजा गया था और उन्होंने अनुमान लगा कर भेजा था कि सन् १९५३ में गन्ने का उत्पादन मूल्य १=) और १।) के बीच होना चाहिए।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने चीनी उत्पादन मूल्य पर निर्माताओं को लाभ की मात्रा की गणना करने के बारे में भी कोई प्रयत्न किया है अथवा नहीं ?

श्री किदवई : चूंकि चीनी का कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है अतएव निर्माताओं की लाभ मात्रा निश्चित करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु हम जब देखते हैं कि चीनी का स्टाक उस वर्ष की आवश्यकता से अधिक है तो यह आवश्यक हो जाता है कि चीनी का भाव कम हो, और यह भी सम्भव है कि भाव काफ़ी नीचे भी आ जाय। और इस प्रतियोगिता में यह

सम्भव भी हो सकता है कि उनको उतना लाभ भी न मिल सके जितने कि उन्हें आशा हो।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी फार्मों में कुछ जगहों पर १५ आने और १८ आने खर्च गन्ने पर आता है ?

श्री किदवई : यह तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि एक रुपये दस आने भी आता हो।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बारे में तो बजट के समय वाद विवाद किया जा सकता है। केवल एक इसी प्रश्न पर १० मिनट खर्च हो गये हैं।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे यहां मिल मालिक विदेशों की जैसे क्यूबा और पोर्टो रिको भी अपेक्षा किस प्रकार गन्ने का मूल्य देते हैं ?

श्री किदवई : चीनी का ६० प्रतिशत मूल्य तो गन्ने से मिलता है और जैसा कि वे लोग १८ रु० या १५ रुपया प्रति मन के भाव से बेचते हैं अतएव यह निश्चित हो जाता है कि यहां की अपेक्षा वहां के भाव अवश्य ही कम होंगे।

श्रम मंत्री सम्मेलन

***७१७. श्री कास्लीवाल :** क्या श्रम मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम मंत्रियों के ९वें सम्मेलन का क्या निष्कर्ष रहा ?

(ख) क्या उन में से किसी निष्कर्ष को कार्यान्वित भी किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) श्रम मन्त्रियों का ९वां सम्मेलन, जो जनवरी सन् १९५१ में पटना में हुआ था, उसके मुख्य मुख्य निष्कर्ष निम्न हैं :—

(१) औद्योगिक संस्थानों में अनिवार्य भविष्य निधि (प्रोवीडेंट फंड) जारी किया जाय।

(२) औद्योगिक संस्थाओं में कल्याणकारी निधि (वेलफेयर फंड) चालू करने के लिये विधान बनाया जाय।

(ख) उन निष्कर्षों को कार्यान्वित करने के लिये निम्न कार्यवाहियां की गई हैं :

(१) ६ चुनीदा उद्योगों में भविष्यनिधि (प्रोवीडेंट फण्ड) परिनियत आधार पर चालू कर दिया गया है।

(२) औद्योगिक संस्थानों में कल्याणकारी निधि जारी करने के लिये विधेयक की प्रस्तावना तैयार कर ली गई है जिस को अगस्त १९५१ में होने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन के ११ वें अधिवेशन में रखा गया था। अभी तक यह विचाराधीन है।

श्री कास्लीवाल : वे ६ चुने हुये उद्योग कौन कौन से हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : कागज़, कपड़ा, इंजीनियरिंग, बिजली, यांत्रिक एवं सामान्य इंजीनियरिंग, सीमेंट, सिगरेट और लोहा और इस्पात।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता कि इस सम्मेलन ने कृषि सम्बन्धी मज़दूरों के बारे में भी कोई सिफारिशें की थीं ?

श्री वी० वी० गिरि : कृषि मज़दूरों के सम्बन्ध में इस सम्मेलन में कुछ नहीं किया गया।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि इस भविष्य निधि (प्रोवीडेंट फण्ड) योजना में मालिकों द्वारा भी बराबर बराबर रुपया दिया जायगा, यदि हां तो उसका प्रतिशत क्या होगा ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरे विचार से वह ६ १/४ प्रतिशत होगा।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्मेलन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कोई अवधि निश्चित की गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : साधारण रूप से उन सिफारिशों पर उचित ध्यान दिया जायेगा और वे सरकार द्वारा क्रियान्वित की जायेंगी।

श्री रघवय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्मेलन ने ६ उद्योगों म भविष्य निधि चालू करने के लिये ही क्यों सिफारिश की हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : पहिले इन्हीं उद्योगों में सरकार भविष्य निधि चालू करना चाहती ह; इन उद्योगों के अनुभव के उपरान्त ही अन्य दूसरे उद्योगों में भी भविष्य निधि चालू करन का कार्यक्रम तत्परता के साथ प्रारम्भ हो जायगा।

श्री नम्बियार : क्या भविष्य निधि के साथ साथ उपदान का प्रश्न भी लिया जायगा ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं ऐसा नहीं सोचता।

गणराज्य दिवस की सवेतन छुट्टी

*७१८. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या श्रम मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने सरकारी एवं गैर सरकारी औद्योगिक संस्थानों के नाम ऐसे आदेश जारी किये थे कि वे २६ जनवरी सन् १९५३ को अतिरिक्त सवेतन दिवस माना जाय ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : हां। उन सभी औद्योगिक संस्थानों को ऐसे आदेश जारी किये गये थे जिनमें इस दिन को सवेतन छुट्टी नहीं रखा गया था।

श्री तुषार चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को इस आज्ञोलंघन के विषय में भी कोई जानकारी है ?

श्री वी० वी० गिरि : एक दो घटनाओं के विषय में सुना गया है, हमने उन औद्योगिक सस्थानों को प्रतिताड़ित किया है कि वे भविष्य में ऐसा न करें।

श्री तुषार चटर्जी : क्या उन औद्योगिक संस्थानों का नाम जान सकता हूं ?

श्री वी० वी० गिरि : उनके नाम तो मैं अब नहीं बता सकता किन्तु उनको प्रतिताड़ित किया गया है।

श्री नम्बियार : क्या उस दिन रेलवे कर्मचारियों को भी सवेतन छुट्टी दी गई थी ?

श्री वी० वी० गिरि : आप इस विषय में रेल मंत्री से पूछ सकते हैं।

श्री नम्बियार : क्या यह सत्य है कि रेल मंत्री इस बात को भली भांति जानते हैं कि रेलवे कर्मचारी इस सुविधा से वंचित रखें गये थे ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे तो आप ही से पता चला है।

औद्योगिक झगड़े

*७१९. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या श्रम मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सीमा के अन्तर्गत कुल कितने औद्योगिक झगड़े हुए जिन को सन् १९५१ और १९५२ में समझौता समिति, औद्योगिक अदालतों, न्यायाधिकरण तथा अन्य दूसरी समझौता समितियों, एवं पंचायतों को भेजा गया ?

(ख) कितने झगड़ों का निर्णय हुआ और कितने झगड़े विचाराधीन हैं ?

(ग) इस प्रकार के झगड़ों के तै करने में औसतन कितना समय लगता है और कितने समय तक ये निर्णय विचाराधीन रहते हैं ?

(घ) इन न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय में सरकार ने कितने निर्णयों में परिवर्तन तथा पुनरावृत्ति की और क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) सन् १९५१ और १९५२ में समझौता समिति तथा औद्योगिक अदालतों को कोई झगड़ा नहीं भेजा गया। न्यायाधिकरण को सन् १९५१ और १९५२ में क्रमशः ४८ और २९ झगड़े भेजे गये। इसके अतिरिक्त बहुत से झगड़े तो केन्द्रीय स्थायी समन्वय समिति द्वारा निपटाये गये।

(ख) सन् १९५१ और १९५२ में न्यायाधिकरणों को भेजे गये झगड़ों में से ३५ झगड़ों में तो निर्णय दे दिया गया है और ४२ झगड़ों का मामला विचाराधीन है।

(ग) इन झगड़ों को निपटाने में औसतन रूप से लगभग ६ महीने लगे। विचाराधीन मामले १ महीने से लेकर १ वर्ष तक लेते हैं।

(घ) सरकार इनके निर्णय में कभी भी और किसी भी प्रकार से कोई पुनरावृत्ति या परिवर्तन नहीं करती।

श्री पी० टी० चाको : क्या मैं जान सकता हूं कि कोई ऐसा भी मामला है जहां न्यायाधिकरण के फैसले का प्रादेशिक सरकार द्वारा विरोध किया गया हो और उस निर्णय को बदला गया हो ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे जान कर प्रसन्नता होगी।

श्री एम० पी० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि इन न्यायाधिकरणों के निश्चय और निर्णयों को प्रादेशिक सरकारें और संबंधित पक्षों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है ?

श्री वी० वी० गिरि : जी, श्रीमान्।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ मामलों में इन न्यायाधिकरणों के निश्चयों को संबंधित पक्ष नहीं मानते, यदि यह ठीक है तो ऐसी बातों में सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की जाती ह ?

श्री वी० वी० गिरि : ऐसे बहुत कम ही उदाहरण होंगे। सरकार का प्रयत्न यह होता है कि इन निर्णयों एवं निश्चयों का पूर्णतः पालन हो।

श्री एम० पी० मिश्र : क्या यह सत्य है कि श्रमिक अपील अदालत (न्यायाधिकरण) के उस निर्णय के कार्यान्वित न किये जाने के फलस्वरूप विश्वामित्र प्रैस, कानपुर के कर्मचारियों ने भारत सरकार को लिखित अभ्यावेदन किया था जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिसम्बर से स्तंभित कर रखा था ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे इस प्रश्न की जानकारी देने में प्रसन्नता होगी। यदि इसे एक नये प्रश्न के रूप में रखा जाता है तो मैं आवश्यक एवं वांछित उत्तर दूंगा।

कटरासगढ़ निकटवर्तीय कोयला खान दुर्घटना

*७२०. **श्री रघवय्या** : क्या श्रम मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बिहार में कटरासगढ़ के निकट कोयला खान में हाल ही में कोई दुर्घटना हो गई थी ?

(ख) यदि यह सत्य है तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

(ग) कितने अल्पव्यस्कों की मृत्यु एवं कितने घायल हुए ?

(घ) सन् १९४७ से जनवरी सन् १९५३ तक इस कोयला खान में कितनी दुर्घटनाएं हुईं, उनके कारण, अल्पव्यस्कों की मृत्यु एवं घायलों की संख्या। इन सबका विवरण प्रतिवर्ष के हिसाब से वांछनीय है ?

(ङ) कितनी दुर्घटनाओं की जांच की गई और उन जांचों के आधार पर क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(च) इस बीच इन मृत्यु एवं घायलों के लिए कितना रूपया मुआवजे स्वरूप दिया गया ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का प्रश्न सोनारदीह कोयला खान दुर्घटना के सम्बन्ध में है जो २२ जनवरी १९५३ को हुई थी।

(ख) यह दुर्घटना खम्भे के साथ की एक कोयले की चट्टान के ढह जाने के कारण हुई थी।

(ग) चार की मृत्यु हुई और कोई घायल नहीं हुआ।

(घ) एक तो १९४९ में हुई, जो गैलरी की छत से कोयला गिरने और पत्थर फिसलने के कारण हुई। इसमें एक अल्पव्यस्क की मृत्यु हुई।

(ङ) ध भाग में जिस दुर्घटना का वर्णन किया गया है उसके बारे में कोई जांच नहीं की गई। २२ जनवरी को जो दुर्घटना हुई थी उसके बारे में जांच की गई है। निरीक्षक का विवरण आना बाकी है।

(च) सूचना के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है शीघ्र ही संसद् के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

श्री रघवय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि मृतकों एवं घायलों के लिए कितना धन मआवजा स्वरूप दिया गया ?

श्री वी० वी० गिरि : मैंने अभी बताया है कि इसकी सूचना शीघ्र ही संसद् को दूंगा।

श्री विट्टल राव : मृतकों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार गैर सरकारी तौर पर जांच कराती है ?

श्री वी० वी० गिरि : जब कभी कोई दुर्घटना होती है तब बडी अच्छी तरह जांच की जाती है, तथा स्थिति का पूरा पूरा पता लगाया जाता है।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह उपेक्षा सहायक तत्वों में से एक है ?

श्री वी० वी० गिरि : जब कभी भी कोई उपेक्षा होती है तो खदान मुख्य निरीक्षक वहा जाते हैं और जांच कर के अदालत द्वारा उन व्यक्तियों को दंड देते हैं

कोढ़ अनुसंधान केन्द्र

*७२१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) कोढ़ अनुसंधान केन्द्र बनाने के बारे में कहां तक प्रगति हुई है और वह कहां बनेगा ?

(ख) केन्द्र को कार्य प्रारम्भ करने में कितने दिन और लगेंगे ?

(ग) केन्द्र की अन्य विशेषताएं क्या हैं ?

(घ) क्या यह शिक्षितों को सिवाय कोढ़ियों के इलाज करने के अतिरिक्त कुछ और सुविधायें भी देगा ?

(ङ) इस पर आवर्तक और अनावर्तक खर्चा क्या होगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का प्रश्न 'केन्द्रीय कोढ़ शिक्षा और अनुसंधान

शाला' से है । मद्रास सरकार से अभी तक लिखा पढ़ी चल रही है क्योंकि इस शाला को मद्रास में स्थापित करना चाहते हैं ।

(ग) संसदीय पटल पर वक्तव्य प्रस्तुत है । [**देखें परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २४**]

(घ) जी ।

(ङ) अनावर्तक व्यय जो केन्द्रीय कोढ़-शाला के बनाने में व्यय होगा वह अनुमानतः १० लाख है, जबकि आवतक व्यय का अनुमान ३ लाख रुपया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जैसा कि वक्तव्य में उद्धृत परिशिष्ट ५ को देख कर केन्द्रीय कोढ़ अनुसंधान शाला के विकास एवं कार्य के बारे में उल्लेख है तो क्या मैं जान सकता हू कि केन्द्रीय सरकार ने किसी प्रादेशिक सरकारों को कोई आदेश दिया है, और यदि दिया है तो कितने प्रान्तों में ऐसी शालाएं स्थापित की जायेंगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : अनुसंधानशाला के निर्मित हो जाने के उपरान्त ही इस विषय में विचार किया जायगा । अभी तो अनुसंधान शाला भी नहीं बनी है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जैसा कि संसदीय पटल पर प्रस्तुत वक्तय में उल्लेख है क्या मैं जान सकता हूं कि भिन्न भिन्न प्रकार के कोढ़ों के कार्यकर्ताओं को शिक्षा देने के बारे में सरकार ने कोई कदम उठाया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : अनुसंधान शाला के बन जाने के उपरान्त ही यह सब कुछ किया जायगा ।

टेलीफून निर्माणशाला बंगलौर

*७२२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **संचरण** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफून के उन भागों के नाम जो अब भी बंगलौर की टेलीफून निर्माणशाला में नहीं बनाये जाते ?

(ख) इन भागों को इस निर्माणशाला म बनाने के लिये क्या कोई प्रयत्न किया गया है ?

(ग) यदि कोई प्रयत्न किया गया है तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

(घ) निर्माणशाला की अनुसंधान शाला ने टेलीफून प्रौद्योगिकी के विषय में भी कोई प्रयत्न किया है, यदि हां तो क्या ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) डायल और कन्डैन्सर ।

(ख) जी ।

(ग) डायल का बनाना अनुभव के आधार पर तो प्रारम्भ हो गया है तथा कन्डेन्सर्स के बनाने के लिए शालाएं भी खोली हैं ।

(घ) जी :

(१) एक तार वाले टेलीफून प्रणाली के समान दूसरी पद्धति बनाना,

(२) एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार भेजने वाले यंत्र की विभिन्न पद्धतियां,

(३) समाचार भेजने वाले यंत्र की जांच करने के लिए नया यंत्र तैयार करना ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस निर्माणशाला की आयोजित सामर्थ्य कितनी है ? यह अब तक कितने टेलीफून बनाये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : इस निर्माणशाला की आयोजित सामर्थ्य ५०,००० की है और अब तक भारतीय टेलीफून उद्योगशाला ने ४५,६५८ टेलीफून तैयार किये हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस निर्माणशाला के उत्पादित माल की खपत के लिए अड़ौस पड़ौस जैसे मलाया, श्रीलंका, बर्मा आदि आदि देशों में कोई प्रयत्न किया है ?

श्री राज बहादुर : अभी तक हम अपनी आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पाये हैं। किन्तु सरकार इतना अवश्य जानती है कि हमारी निर्माणशाला के उत्पादित माल के लिए पड़ौस के देशों में काफ़ी गुंजाइश है। अतएव हम इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार कर रहे हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि टेलीफून उपकरण तथा अन्य दूसरे एक तार वाले यंत्र की उन्नति के लिए कोई प्रयत्न किया गया है, यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है ?

श्री राज बहादुर : मुख्य प्रश्न के उत्तर में तो मैंने पूर्वतः ही बतला दिया है कि हमने एक तार वाली प्रणाली में उन्नति की है। और इस का गुनतकल सिकन्द्राबाद क्षेत्र में पिछले एक वर्ष से परीक्षण किया जा रहा है। इसमें पूर्ण सफ़लता मिली है। अतएव इस प्रकार के ३० यंत्र और बनाने जा रहे हैं। हम तीन तार वाली प्रणाली, तथा अन्य पारेषण उपकरणों की उन्नति के लिये भी प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस निर्माणशाला में इंजिनियर विदेशी निर्माणशाला के इंजिनियरों की अपेक्षा कैसा कार्य करते हैं ?

श्री राज बहादुर : उनकी तुलना बड़ी अच्छी तरह से की जा सकती है और उन्होंने अनुसंधान क्षेत्र में बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है।

गेहूं का उत्पादन मूल्य

*७२३. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **कृषि एवं खाद्य** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि जनवरी १९५३ में होने वाले वाशिंगटन सम्मेलन में बताया गया है उसके अनुसार क्या गेहूं का उत्पादन मूल्य बढ़ा है या घटा है ?

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में गेहूं का भाव क्या रहेगा ?

खाद्य एवं कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) वाशिंगटन सम्मेलन की कार्यवाही अभी तक हमारे पास नहीं आई है; यह सम्मेलन अभी तक चालू है अतएव हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते।

(ख) प्रस्तावित नवकरण अन्तर्राष्ट्रीय गेंहूं समझौते के अन्तर्गत गेहूं के उत्पादन मूल्य के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतवर्ष को कितना गेहूं खरीदने का अधिकार है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस वर्तमान समझौते के अनुसार हम १५ लाख टन गेहूं खरीद सकते हैं। यही हमारी प्रत्याभूत मात्रा है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : अब तक कितना गेहूं खरीदा जा चुका है और कितना खरीदना शेष है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस वर्ष हम पूरी मात्रा में खरीदना चाहते हैं। अब तक हमने १२ लाख टन खरीदा है। शेष के लिए हम दूसरे देशों से बातचीत कर रहे हैं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या यह सत्य है कि गेहूं का उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है और इसी कारण निर्यात करने वाले देश इस समझौते का नवकरण करना नहीं चाहते ?

कृषि तथा खाद्य मंत्री (श्री किदवई) : निर्यातक ऊंचा मूल्य रखने के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं, हमने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है ।

सिनकोना समिति

***७२४. श्री के० सी० सोधिया :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या सिनकोना समिति ने अपना विवरण दे दिया है, यदि हां तो क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है और किसी निष्कर्ष पर पहुंची है ?

(ख) यदि नहीं तो कब तक यह समिति अपना विवरण देगी ?

(ग) इस समिति के कौन कौन सदस्य थे ? कितना समय लगा ? और इस पर कितना खर्च हुआ ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : अभी तक सरकार के पास विवरण नहीं आया है ; आशा की जाती है कि इस मास के अन्त तक संभवतः आ जाय ।

(ग) (१) निम्न व्यक्ति इस समिति के सदस्य हैं :—

(i) श्री एस० सी० सेन—सरकार के कुनीन मुख्याधिकारी (संयोजक) ।

(ii) श्री पी० एम० नाबर, भेषज नियंत्रक, महासंचालक स्वास्थसेवा, नई दिल्ली ।

(iii) श्री ए० वाई० स्वामी, सिनकोना संचालक, मद्रास ।

(iv) डा० एम० सेन, सिनकोना संचालक, पश्चिमी बंगाल ।

(v) श्री जे० एम० सेन गुप्ता, सांख्यकी विशेषज्ञ, भारतीय सांख्यकी संस्था, कलकत्ता ।

(vi) श्री बी० एस० गांगुली, सहायक लेखाधिकारी, महालेखापाल कार्यालय, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता (लागत लेखापाल और मंत्री) ।

(२) दिसम्बर १९५१ में समिति की स्थापना की गई थी और सितम्बर, १९५२ तक इस समिति ने अपनी जांच पूरी की, प्रारूप विवरण अभी तैयार हो रहा है ।

(३) फ़रवरी १९५३ के अन्त तक कुल व्यय २०,००० के लगभग है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या आयात से हमारी कुनीन की आवश्यकता पूरी हुई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : कुनीन तो बाहर से नहीं मंगाई गई, हां कुनीन बनाने वाले कुछ नमक अवश्य मंगाये गये हैं क्योंकि वे भारतवर्ष में तैयार नहीं होते ।

कोयला खनिकों के मकान निर्माण

***७२५. श्री तुषार चटर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कभी सरकार का ध्यान कोयला खदान कल्याणकारी निधि, सलाहकारी समिति के सदस्य श्री आर० एल० मालवीय के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हालांकि सरकार मकान सहायता योजना को कार्यान्वित हुए ३ वर्ष हो गये हैं किन्तु खदान मालिकों की ओर से मकानों के बनाने के बारे में बहुत थोड़ी प्रगति हुई है ।

(ख) यदि यह ठीक है तो इस बारे में सरकार क्या कार्रवाही करेगी ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी ।

(ख) यह ठीक है इसमें अब तक जितनी प्रगति हुई वह सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती किन्तु फिर भी यह उत्साह-

वर्धक है कि सितम्बर १९५२ से ३० नवम्बर सन् १९५२ तक ६२ खदानों की ओर से १४५० मकान बनाने के लिए प्रार्थनापत्र आये जबकि सितम्बर १९५० से ३१ अगस्त १९५२ तक २६ खदानों की ओर से केवल ९६३ मकान बनाने के लिये प्रार्थना पत्र आये थे। अब तक २४२३ मकान बनाने के लिये सरकार ने स्वीकृति दी है।

मकान निर्माण में सहायता देने के लिये अगस्त सन् १९५२ में सहायता की दर में वृद्धि कर दी गई है। पश्चिमी बंगाल, तथा बिहार सरकारों ने कोयला खनिकों के मकान निर्माण के सम्बन्ध में उपविध में संशोधन करने के लिए प्रयत्न किया था। पश्चिमी बंगाल सरकार ने तो संशोधन कर भी दिया है। मकान निर्माण प्रगति का नियतकालिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है। और ऐसी आशा की जाती है कि यह सहायता योजना का भविष्य में उच्चतम स्तर पर उपयोग किया जायगा।

श्री तुषार चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी अनुमानतः जानकारी है कि कोयला खनिकों के लिये बनाये जाने वाले मकानों में किन किन चीजों की और कितनी कितनी आवश्यकता होगी ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझ ऐसी जानकारी प्राप्त कर के प्रसन्नता होगी। मैं सचना दूंगा।

सियालदह स्टेशन मास्टर के कार्यालय पर आक्रमण

*७२६. **सरदार ए० एस० सहगल** : रेल मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य ह कि ५०० यात्रियों ने सियालदह स्टेशन मास्टर के कार्यालय पर आक्रमण किया था ?

(ख) उस आक्रमण के क्या कारण थ ?

(ग) कितने सामान की क्षति हुई ?

(घ) भविष्य में फिर ऐसे आक्रमण न हों इसके लिए क्या क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

(ङ) क्या सरकार ने इस विषय में कोई जांच की ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) सम्भवतः आपका प्रश्न ६ फ़रवरी १९५३ को उत्तरी सियालदह स्टेशन पर हुई घटना से है, यदि ऐसा है तो यह सत्य है।

(ख) स्थानीय गाड़ी के १८ मिनट देर से आने के कारण हुआ।

(ग) रेलवे की लगभग ६० रुपया की हानि हुई।

(घ) और (ङ) इसकी जांच हो रही है। और इस जांच के आधार पर उचित कार्रवाही की जायगी।

श्री रघुनाथ सिंह : इस में कोई केस चालान भी किया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : नौ आदमियों को गिरफ्तार किया गया है।

श्री रघुनाथ सिंह : उन का चालान हुआ था ?

श्री शाहनवाज खां : पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन्हीं को चालान करना है।

सरदार ए० एस० सहगल : कितने दिनों बाद यह रिपोर्ट शाया कर दी जायगी?

श्री शाहनवाज खां : जब लोग रेलवे स्टेशन पर फ़िसाद करने के सिलसिले में गिरफ्तार होते हैं तब यह ला एण्ड आर्डर की प्राब्लेम होती है जिस को कि पुलिस डील करती है। जब वह खुद फ़ैसला करेंगे तो आप को इत्तला मिल जायगी।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं ने आप से अर्ज़ किया कि कितने दिनों बाद वह रिपोर्ट शाया कर दी जायगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह पुलिस की इन्क्वायरी पर मुन्हसर है, मैं इस के बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री पुन्नूस : मैं नहीं जानता कि वहां क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूं कि जब वहां हमला हुआ था तो क्या पुलिस को बुलाया गया था ?

श्री शाहनवाज़ खां : रेलवे स्टेशन पर उस समय ४ सिपाही थे । लगभग ६०० व्यक्तियों ने स्टेशन मास्टर पर हमला किया और उसके कार्यालय में घुस गये । प्रारम्भ में चार व्यक्तियो ने हल्के रूप में लाठी चलाई, पश्चात् को और पुलिस बुला ली गई ।

श्री पुन्नूस : क्या कोई दुर्घटना हुई थी ?

श्री शाहनवाज़ खां : नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या ये गाड़ियां नियमित रूप से देर से आती हैं या यह पहली ही घटना थी जबकि गाड़ी देर से आई ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह पहली पहली ही घटना थी ।

श्री नम्बियार : गाड़ी का देर से आना और स्टेशन मास्टर पर हमला करना इन दोनों घटनाओं को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है । इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब बहस नहीं करेंगे । चोर और डकैतों के तो अपने अलग अलग ढंग और रास्ते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रश्न यह है कि क्या यह सत्य है कि ये गाड़ियां जिनमें बहुत से क्लर्क आते हैं, देर से आती हैं और देरी से आने के कारण इनमें से बहुत से क्लर्कों को मालिकों की ओर से नोटिस मिल गये हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह पहली ही घटना थी । इस देरी का कारण बीच की गरारी का फेल हो जाना था और उसी के कारण यह गाड़ी १८ मिनट लेट हो गई थी ।

कोयला क्षेत्रों में दुर्घटनाएं

*७२७. **श्री विट्टल राव** : क्या श्रम मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन कोयला क्षेत्रों में सन् १९५२ में कितनी घातक दुर्घटनायें हुईं ?

(ख) इन क्षेत्रों में दुर्घटनाओं की संख्या को घटाने के लिए खदान मुख्य निरीक्षक ने क्या क्या कार्रवाही की ?

(ग) उनमें से कितनी कार्यवाहियों को इन खदानों में कार्यान्वित किया गया ? जिन खदानों में इन कार्यवाहियों को क्रियान्वित किया जायगा उनके क्या क्या नाम हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) ८८ दुर्घटनाएं हुईं ।

(ख) और (ग). खदान विभाग द्वारा इन दुर्घटनाओं की जांच की गई है । इन खदानों में किये जाने वाले सभी कामों की सुरक्षा को खदान विधेयक से नियंत्रित किया जाता है । और इस सम्बन्ध में जो नियम, विधियां एवं उपविधियां बनाई गई हैं वे सभी काफ़ी व्यापक हैं । इन नियमों एवं विधेयक को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिए कई बार परीक्षण किया गया और नियमोलंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाहियां की गईं । अतएव उपरोक्त बातों को देखते हुए हम यह नहीं कह सकते कि खदान मुख्य निरीक्षक की कार्रवाहियों को सुचारुरूप से कार्यान्वित करने और न करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री विट्टल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने खदान मैनेजरों को कर्तव्योलंघन करने के अपराध में अभियुक्त किया गया ?

श्री वी० वी० गिरि : बहुतों को अभियुक्त किया गया है ।

श्री विट्टल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने मामलों में जमीन के भीतर जाकर और सही दुर्घटना स्थल पर पहुंच कर जांच पड़ताल की गई है और कितने मामलों में चित्रों की सहायता से पृथ्वी के ऊपर जांच पड़ताल की गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे थोड़ा समय मिलना चाहिये ।

श्री रघुवय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं अथवा घट रही हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरे विचार से घट रही हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तीसहजारी टेलीफ़ोन एक्सचेंज

*७१६. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **संचरण** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरानी दिल्ली स्थित उस नये टेलीफून एक्सचेंज की जिसका उद्घाटन २४ जनवरी, १९५३ को हुआ था, मूल उत्पादन क्षमता कितने टेलीफून लाइन की है ?

(ख) क्या उस क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकतापूर्ति की क्षमता इस नये टेलीफून एक्सचेंज में है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस समय उस टेलीफून एक्सचेंज में २९०० लाइन हैं। इस चालू वर्ष के मध्य तक लाइनों की संख्या बढ़कर ४,००० हो जायगी।

(ख) पूर्ण रूप से नहीं।

गोरखपुर थथीबारी रेलवे लाइन

*७२८. **श्री एच० एस० प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल एवं यातायात मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव मिला है जिसमें उन्होंने गोरखपुर से महाराजगंज होती हुई थूथीबारी तक रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव किया है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो क्या सरकार यह रेलवे लाइन बनायेगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां, ऐसा प्रस्ताव आया है ।

(ख) इस समय विचार नहीं है ।

प्रावधायी प्रणीवि (प्रोवीडेंट फ़ंड) योजना प्रवर्तन

*७२९. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : क्या **श्रम** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार कसीदा काढ़ने वाली मिलों को कपड़ा बनाने वाली मशीनों का एक भाग समझती है अथवा नहीं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि अमृतसर जिले के छेहरटा स्थान पर दो कसीदा काढ़ने की मिलें स्थित हैं, और भारतवर्ष में यही केवल दो मिलें हैं ?

(ग) कर्मचारियों की बार बार की मांग के बावजूद भी इन दोनों मिलों में प्रोवीडेंट फंड योजना लागू नहीं की गई है ?

(घ) क्या यह भी सत्य है कि कर्मचारियों द्वारा श्रम आयुक्त से किये गये विरोध का भी कोई परिणाम नहीं निकला ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क)

(ख) नहीं। अमृतसर जिले में छेहरटा स्थित दो मिलों के अतिरिक्त एक मिल दिल्ली में भी स्थित है।

(ग) नहीं। बताया गया है कि छेहरटा स्थित इन दोनों मिलों में कर्मचारी प्रोवीडेंट फंड योजना १९५२ के आधार के अतिरिक्त और भी उदार ढंग पर यह योजना क्रियान्वित की गई हैं और नवम्बर १९५२ से इस योजना के लिए अंशदान देना शुरू हो गया है।

(घ) इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

चित्तौड़गढ़ जिले में तार सम्बन्धी सूचना

*७३०. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **संचरण** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तौरगढ़ जिले में तार सम्बन्धी सूचना के विस्तार के लिए क्या क्या कार्रवाहियां की गई हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि बेगन क्षेत्रीय विभाग के निवासियों के लिए निकटतम तारघर ५० मील की दूरी पर है ?

(ग) यदि यह ठीक है, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या करने का विचार है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ग). चित्तौरगढ़ जिले में ४ तारघर काम कर रहे हैं। प्रत्येक तहसील के मुख्य स्थान पर तारघर बनाने का विचार सरकार कर रही है।

(ख) निकटतम तारघर चित्तौरगढ़ में है जो बेगन से ३६ मील दूर है।

जूट अनुसन्धान शाला

*७३१. **श्री बर्मन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूट अनुसंधान शाला ने १९५२ में अनुसंधानों पर कितना रुपया खर्च किया है ?

(ख) किस प्रकार के अनुसन्धान १९५२ में किये गये हैं और उनमें कहां तक सफलता मिली है ?

(ग) पाकिस्तान से आयात पूरक जट की अपेक्षा कृत इन अनुसन्धानों ने कहां तक उच्च स्तरीय जूट बनाने में सहायता दी है ?

कृषि तथा खाद्य मंत्री (श्री किदवई) : (क) जूट अनुसन्धान शाला द्वारा १९५२-५३ में खर्च किया हुआ धन निम्न प्रकार से है :—

आवर्ती व्यय—३,९४,१११ रुपया

अनावर्ती व्यय—८,९१,०४४ (इसमें अनुसन्धान शाला के भवन निर्माण, कर्मचारी निवासगृह निर्माण एवं खेतनिर्माण सम्बन्धी खर्चा भी सम्मिलित है)

(ख) और (ग). १९५२ में अनुसन्धान शाला नें निम्न विषयों पर खोज की और कर रही है :—

(१) जूट का अभिजनन और जनन-विद्या

(२) कौशीय प्रजनन सम्बन्धी अनुसन्धान

(३) दैहिक अध्ययन

(४) जूट क्षेत्र विद्या

(५) मिट्टी एवं अणुजीवविज्ञान सबंधी अध्ययन

(६) बीमारियां और कीड़े

(७) स्थानापन्न रेशे।

खोज का कार्य वस्तुतः बड़ा लम्बा होता है, और किसी वर्ष विशेष में कितनी सफलता मिली इसका सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। किन्तु फिर भी १९५२ में कुछ उच्चस्तरीय वस्तुओं के विषय में जिनके द्वारा रेशों की उत्पत्ति १५ प्रतिशत की अपेक्षा

३९ प्रतिशत बढ सकती है पता चल गया है। लाभदायक परिणाम जिनके प्रयोग द्वारा अधिकतम जूट उत्पादन हो सकता है मिले हैं और वे हैं :—जल्दी बोना, कच्ची फसल उच्चतम जूट बीज का प्रयोग दुहरी फसल और पुटास तथा एमोनियम सलफेट से खाद तैयार करना। अनुसंधान शाला उच्चस्तरीय विभिन्नता उत्पादन के लिए भी खोज कर रही है एवं जूट का स्तर ऊंचा करने के लिये पैत्रिक, खाद्य सम्बन्धी, फ़सल काटना, उसे तर करना, एवं नमी पहुंचाने के सम्बन्ध में भी यह अनुसन्धान शाला खोज कर रही है।

हैदराबाद के पी० एण्ड० टी० कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन

*७३२. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **संचरण** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उसमानिया पोस्ट आफिस के केन्द्रीय पोस्ट आफिस एवं तार विभाग में समन्वय हो जाने के बाद हैदराबाद राज्य में कितने पोस्ट आफिस एवं तारघर खोले गये हैं ?

(ख) क्या हैद्राबाद राज्य के पोस्ट आफिस और तारघर के कर्मचारियों की ओर से अपने मासिक बेतन की वृद्धि केन्द्रीय पोस्ट आफिस एवं तारघर के कर्मचारियों के समान स्तर पर लाने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन किया गया है, यदि हां तो सरकार ने क्या कारवाही की है ?

संचरण उपमन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) पूरी जानकारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण संसदीय पटल पर प्रस्तुत है। [**जानकारी के लिए देखें परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २५**]

(ख) नहीं।

मलेरिया निरोधक केन्द्र

५१०. **श्री भीखा भाई** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १४ फ़रवरी १९५३ को तारांकित ५१वें पूरक प्रश्न का क्या उत्तर दिया गया था ? मलेरिया निरोधक नियंत्रण भारत अमरीकी योजना के अन्तर्गत प्रादेशिक सरकार ने मलेरिया निरोधक केन्द्रों के विषय में अपनी सूची दे दी है ?

(ख) क्या मलेरिया निरोधक केन्द्र वहीं खोले जायेंगे जहां मलेरिया अधिक फ़ैलता है ?

(ग) राजस्थान सरकार ने किन किन स्थानों को मलेरिया निरोधक केन्द्र के लिए चुना है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) प्रादेशिक सरकार से सूचना मांगी है। सूचना आने पर उचित समय पर संसदीय पटल पर प्रस्तुत की जायगी।

(ग) जैसा कि ४ मार्च १९५३ को तारांकित ५१४वें प्रश्न के उत्तर में बताया था कि राजस्थान सरकार इस योजना में भाग नहीं ले रही है।

राजस्थान में टेलीफ़ोन कनेक्शन

५११. **श्री भीखाभाई** : क्या **संचरण** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकट भविष्य में राजस्थान के किन किन स्थानों में टेलीफून लगाने का विचार है ?

(ख) इस सिलसिले में क्या कोई अभ्यावेदन किया गया है ?

(ग) क्या उदयपुर बंसवारा और बंसवारा रतलाम क्षेत्र से गैर सरकारी समितियों ने टेलीफून के लिये प्रार्थना की है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) निकट भविष्य में निम्न स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफून कार्यालय खोलने का विचार है :—

(१) जसवंतगढ़

(२) ककरोली

इनके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर टेलीफून कार्यालय खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) हां ।

(ग) हां । १९५३-५४ में बंसवारा को रतलाम से मिलाने का विचार है और उदयपुर से बंसवारा की टेलीफून लाइन का पुनर्निर्माण करने का भी विचार है । इनके अतिरिक्त इन रास्तों के साथ साथ कुछ अतिरिक्त सार्वजनिक टेलीफून कार्यालय भी खोले जायेंगे ।

प्रावैधिक (टेकनीकल) प्रशिक्षण केन्द्र बनारस

५१२. श्री भीखाभाई : क्या श्रम मंत्री महोदय १५ दिसम्बर १९५२ को तारांकित पूरक प्रश्न संख्या ११७५ के उत्तर का हवाला देते हुए बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रावैधिक प्रशिक्षण केन्द्र बनारस में अनुसूचित वन जातियों के लिए कोई स्थान रक्षित न रखने का क्या कारण था ?

(ख) वहां प्रशिक्षितों पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है ?

(ग) कितने प्रशिक्षितों ने अपनी शिक्षा समाप्त कर ली है ?

(घ) कितने प्रशिक्षितों को सरकार ने नौकरी दी है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : माननीय सदस्य महोदय ने जिस प्रश्न का उल्लेख किया है उस पूरक प्रश्न के उत्तर में जो जानकारी एवं सूचना दी गई है वह गलत थी । वास्तव में अनुसूचित जातियों के लिए ५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं ।

(ख) ९,३७,४०० रुपया व्यय हुआ (प्रशिक्षण योजना के आरम्भ अर्थात् १९४७-४८ से जनवरी १९५३ तक) ।

(ग) १५३८ ।

(घ) इस विषय में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि शिक्षा प्राप्त भूतपूर्व प्रशिक्षितों के व्यक्तिगत जीवन और उनके व्यवसाय के विषय में कोई जानकारी रखने की कोई विधि नहीं है ।

रेलवे प्रशिक्षण शाला उदयपुर

५१३. श्री बलवन्त सिन्हा मेहता : क्या रेल मंत्री महोदय १५ दिसम्बर १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६५७ जिसमें रेलवे प्रशिक्षण स्कूल को स्थायी तौर पर उदयपुर में बदलने के लिये कहा गया था, उत्तर का हवाला देते हुए बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने समय और कितने अवतरणों में यह परिवर्तन पूरा होगा ?

(ख) इसके मूल उत्पादन पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है ?

(ग) जिन इमारतों में यह स्कल अब तक चला है उसके मालिकों को कितना धन किराये के तौर पर दिया गया है ?

(घ) वहां इस स्कूल का स्थायी भवन बनाने के लिए जो भूमि हस्तान्तरित की जायगी उस के लिए कितनी क्षतिपूर्ति (मुआवज़ा) दी जायगी ?

(ङ) इस नये भवन में अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उदयपुर का रेलवे प्रशिक्षण स्कूल अभी निकट भूतकाल में खोला गया

इसका और उद्देश्य अजमेर स्कूल की प्रशिक्षण मात्रा की पूर्ति एवं उसकी वृद्धि करना है ताकि उदयपुर राज्य के भूतपूर्व रेल कर्मचारियों की शिक्षा में और भी अधिक वृद्धि हो सके। आगामी १५ से १८ महीने तक ये दोनों स्कूल साथ साथ कार्य करेंगे ताकि अतिरिक्त कर्मचारियों को शिक्षित करने में शीघ्रता हो सके। इस स्कूल को अजमेर से स्थायी तौर पर उदयपुर के लिए बदलने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) लगभग ९०,००० रुपया।

(ग) ६५० रुपया प्रति मास स्कूल भवन का किराया है जहां कि स्कूल लगता है तथा, क्रमशः १५० रुपया और १०० रुपया उन दो भवनों का किराया दिया जाता है जहां कि प्रशिक्षित विद्यार्थी रहते हैं।

(घ) और (ङ). प्रश्न के उत्तरार्ध भाग के उत्तर में (क) ऊपर, कोई निश्चित आंकड़े नहीं दिये जा सकते।

रेलवे सेवा आयोग (कमीशन) पंडू

५१४. श्री सरमा : क्या **रेल** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रेलों के पुनर्वर्गीकरण के पूर्व पंडू में कभी एक रेलवे सेवा आयोग था जो कि आसाम रेलवे के लिए श्रेणी ३ व ४ के लिए उम्मीदवारों का प्रवरण किया करता था ?

(ख) यदि उपरोक्त (क) प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या वह आयोग अब भी काम करता है, यदि नहीं तो कब और क्यों यह बन्द कर दिया गया ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पंडू में कोई रेलवे आयोग नहीं था। किन्तु एक भर्ती करने की समिति थी, जिसके दो सदस्य थे, जो आसाम रेलवे के लिये कर्मचारियों को भर्ती किया करते थे।

(ख) भर्ती की दरों में गिरावट आ जाने के कारण यह समिति ११-२-५० को बन्द हो गई।

तामलुक शाखा पोस्ट आफ़िस

५१५. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **संचरण** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामलुक शाखा पोस्ट आफिस (पश्चिमी बंगाल) में ३१ दिसम्बर १९४९ और १९५२ (प्रत्येक वर्ष के अलग अलग) को कितने कितने कर्मचारी काम करते थे ?

(ख) ३१ दिसम्बर १९४९ के पश्चात् से इसके अन्तर्गत कितने नये पोस्ट आफिस और आ गये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १३ कर्मचारी ३१ दिसम्बर १९४९ को और ३१ दिसम्बर १९५० को

१६ कर्मचारी ३१ दिसम्बर १९५१ को और

२० कर्मचारी ३१ दिसम्बर १९५२ को।

(ख) २८।

बुंदेलखंड सिंचाई योजना

५१६. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या **कृषि एवं खाद्य** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन सी विभिन्न सिंचाई योजना पूरी हो गई हैं और कौन कौन सी पूरी होने वाली हैं ?

(ख) इन योजनाओं के चालू होने के पूर्व से जितनी एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी अब उसमें कितने अधिक एकड़ भूमि की और सिंचाई होने लगेगी ?

(ग) इस योजना पर कुल कितना धन केन्द्रीय सरकार एवं प्रादेशिक सरकार, संयुक्त रूप से अथवा अलग अलग रूप से खर्च करेंगी ?

(घ) क्या यह केन्द्रीय धन सहायता रूप में है अथवा किसी और रूप में ?

(ङ) कितनी योजनाएं पूर्ण रूप से अथवा कितनी योजनाएं आंशिक रूप में चालू हो गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ङ). इस सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है और संसदीय पटल पर शीघ्र ही प्रस्तुत की जायगी ।

निजी भूमि (बन्धी)

५१७ श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या **कृषि एवं खाद्य** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में निजी भूमि की छोटी छोटी बन्धियों की सरकारी खर्चे पर निर्माण योजना जो परीक्षण में थी, उसमें सफलता मिली है अथवा नहीं ?

(ख) कितनी बन्धियों का निर्माण अब तक किया गया है और इस प्रकार कितना क्षेत्र जलोढ़ किया गया है ?

(ग) क्या इस योजना के अनुसार प्रति एकड़ की उपज में बढ़ोतरी हो जायगी ?

(घ) यदि यह ठीक है, तो जहां जहां यह योजना चल रही है वहां अनाजों की उपज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जायगी ?

(ङ) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वहां की प्रादेशिक सरकार एवं केन्द्रीय सरकार ने इस योजना के लिए अतिरिक्त धन स्वीकृत किया है अथवा नहीं ?

(च) यदि यह ठीक है तो वह धन राशि कितनी है ?

(छ) सरकार ने इस प्रकार के भूमि सुधार के लिए भूमिधर पर क्या क्या शर्तें लगाई हैं ?

(ज) मालगुज़ारी की बढ़ी हुई दर क्या है, अगर मालगुज़ारी बढ़ाई गई है तो ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ज). प्रादेशिक सरकार से जानकारी सूचना मांगी गई है आने पर संसदीय पटल पर प्रस्तुत की जायगी ।

राज्य की पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखंड की बन्धियों की रूपरेखा निर्माण के लिए ४६ लाख रुपया खर्च करने का प्रबन्ध है । इसके अतिरिक्त दक्षिणी उत्तर प्रदेश में बन्धियों के निर्माण पर खर्च करने का भी प्रबंध है तथा राज्य के पहाड़ी ज़िलों में पहाड़ों की दरारों के निर्माण पर भी खर्च किया जायगा । इन सभी बातों पर तथा राज्य की अन्य सिंचाई योजनाओं पर खर्च करने के लिए सामूहिक रूप से यह धन स्वीकृत किया गया है ।

रेलवे लाइन

५१८. डा० राम सुभग सिंह : क्या रेल मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल कितनी नई रेल की लाइनों का निर्माण किया जा रहा है ?

(ख) इनमें से प्रत्येक लाइन पर अनुमानतः कितना खर्च होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). नई रेलवे लाइनों के नाम जिनका आजकल निर्माण हो रहा है तथा उनका अनुमानतः व्यय निम्न है :

रेलवे लाइन के नाम	**अनुमानतः व्यय**
चुनार-राबर्ट्सगंज उत्तर रेलवे	२४९.६९ लाख रुपया
पिहजी-नादिआद पश्चिम रेलवे	१०.५७ लाख रुपया

रेलवे लाइन के नाम	अनुमानतः व्यय
मधेपुरा-मुर्लीगंज उत्तर पूर्वी रेलवे	३५.०० लाख रुपया
क्विलन-इरनाकुलम दक्षिण रेलवे	५४९.४५ लाख रुपया

रेलवे कर्मचारी (भैषजिक सहायता)

५१९. श्री नम्बियार : क्या **रेल** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी ३ व ४ के रेलवे कर्मचारियों के आश्रित व्यक्तियों को रेलवे अस्पतालों से मिलने वाली निःशुल्क सहायता जो उन्हें पहिले मिला करती थी, क्या अब कम कर दी गई है, यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि रेलवे अस्पतालों में कर्मचारियों पर प्रयुक्त दवाइयों के मूल्य भी उनसे ले लिये गये हैं ?

(ग) क्या यक्ष्मा पीड़ित कर्मचारियों को उचित भैषजिक सहायता देने के लिये रेलवे प्रशासन कोई प्रबन्ध कर रहा है, यदि नहीं तो क्यों ?

(घ) क्या यह सत्य है कि इन यक्ष्मा पीड़ित कर्मचारियों को भैषजिक सहायता देने के बजाय रेलवे भेषजिक उच्चाधिकारी इन कर्मचारियों को सेवा कार्य के लिये अयोग्य भी प्रमाणित कर देते हैं ?

(ङ) सन् १९५२ में दक्षिण रेलवे में कितने कर्मचारियों को यक्ष्मा के कारण अयोग्य घोषित किया गया ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं। रेलवे कर्मचारियों के आश्रित, जैसे उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सौतेले बच्चे, जो उनके साथ रहते हैं अथवा पूर्ण रूप से उन पर निर्भर हैं, वे भैषजिक सहायता तथा उपचार के लिए उतने ही अधिकारी हैं जितने कि पहले थे, तथा उनको इन रेलवे अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां एवं उपचार उसी रूप में मिलता है जैसे कि रेलवे कर्मचारियों को मिलता है।

(ख) विशेष दवाइयों का मूल्य, जोकि प्रायः रेलवे अस्पतालों में तथा औषधालयों में नहीं रहतीं, और वर्तमान नियमों के अनुसार उन्हें निःशुल्क नहीं दी जा सकतीं, कर्मचारियों द्वारा देना होता है।

(ग) हां। रेलवे कर्मचारियों के लाभार्थ यक्ष्मा रुग्णालय निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है जिस पर शीघ्र ही विचारा किया जायगा।

(घ) यह कहना सत्य नहीं है कि रेलवे कर्मचारियों को जैसे ही क्षय हुआ तो एकदम उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। रेलवे कर्मचारियों को चाहे क्षय हुआ हो अथवा किसी अन्य रोग से ग्रस्त हुए हो उनकी सभी सम्भव भैषजिक सहायता जो कुछ भी रेलवे प्रशासन दे सकता है एक उचित समय तक दी जाती है। यही नहीं, यदि यह देखा जाता है कि रोगी के ठीक होने का कोई भी आसार नहीं है और वह अपने काम पर नहीं जा सकता तब उसे भैषजिक नियमों के अनुसार अयोग्य घोषित किया जाता है और उसे नौकरी से अलग किया जाता है।

(ङ) ९५।

खाल का उत्पादन

५२०. श्री एन० पी० सिन्हा : क्या **कृषि एवं खाद्य** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि १९४९, १९५०, १९५१ और १९५२ में मृतक पशुओं एवं वध किये गये पशुओं से कितने कितने प्रतिशत वार्षिक खाल उत्पादन रहा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : १९४९-५० वर्षों के आंकड़े अभी तक संग्रहित नहीं हो सके हैं। १९४८ की पिछली सूचना

जोकि उपलब्ध है वह इस प्रकार है :

	उत्पादन (लाख में)	प्रतिशत
वध किये गये	२४.८७	१३.२
मृतक	१६४.४०	८६.८
योग	१८९.२७	१००.०

खाद्य अभावग्रस्त क्षेत्र

५२१. श्री एस० एन० दास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले ६ महीनों में देश के विभिन्न भागों में अभावग्रस्त क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा उनकी संख्या कम हो गई है ?

(ख) भिन्न भिन्न राज्यों में कितने व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ा है ?

(ग) संबंधित राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी और किस प्रकार की सहायता दी गई है । यह धन सहायता स्वरूप, या उधार ऋण स्वरूप अथवा अन्य सहायता स्वरूप दिया गया है ?

(घ) इस सम्बन्ध में उनकी प्रार्थनाओं या मांगों को किस प्रकार पूरा किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) से (घ) संसदीय पटल पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २६**]

उदयपुर बंतवारा टेलीफ़ोन लाइन

५२२. श्री भीखाभाई : क्या **संचरण** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उदयपुर और बंतवारा के बीच टेलीफून की लाइन लकड़ी के लट्ठे लगा कर ले जायी गई है और यह अस्थायी है ?

(ख) क्या सरकार पूरी लाइन को पूर्व स्थिति में लाने पर विचार कर रही है ?

(ग) यदि यह ठीक है तो कब ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां

(ख) हां ।

(ग) १९५३-५४ में ।

बिहार के लिये खाद्यान्न

५२३. श्री एल० एन० मिश्र : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से १९५३ में खाद्यान्न मांगा था;

(ख) यदि ठीक है तो कितना चावल तथा कितना अन्य खाद्यान्न मांगा था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख) जी श्रीमान् । बिहार सरकार ने १९५३ के लिए ५०,००० टन चावल तथा १३०,००० टन दूसरा खाद्यान्न मांगा था ।

कारवां में टलीफ़ून लाइन की स्थापना

५२४. डा० अमीन : क्या **संचरण** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व बड़ौदा राज्य ने बम्बई प्रान्त में मिलने से पूर्व बड़ौदा जिले के कारवां नगर में टेलीफून-लाइन की स्थापना करने के लिए आज्ञा दे दी थी ?

(ख) इस योजना के लिए भूतपूर्व बड़ौदा सरकार ने कितना धन स्वीकृत किया था ?

(ग) इस योजना के लिये यंत्र आदि कब लिये गये और कारवां स्टेशन के निकट कब रखे गये ?

(घ) इस यंत्र का कुल मूल्य कितना है ?

(ङ) क्या यह यंत्र अभी तक कारवां स्टेशन पर ही पड़ा है अथवा उसे वहां से हटा लिया गया है, यदि वहां से हटा लिया गया है तो क्या कारण थे और इस प्रकार कारवां स्टेशन से गन्तव्य स्थान तक ले जाने में सरकार को कितना व्यय करना पड़ा ?

(च) क्या वह यंत्र कहीं लगा दिया गया है अथवा अभी तक बेकार पड़ा है, यदि वह बेकार पड़ा है तो क्यों, कारण सहित स्पष्ट कीजिये ?

सचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) इस योजना के लिये अलग से कोई धन राशि निश्चित नहीं की गई थी । राज्य के विभिन्न स्थानों को, जिनमें कारवां भी सम्मिलित था, टेलीफून सुविधा देने के लिये ४,७४,८१४ रुपया इकट्ठा ही निश्चित किया गया था ।

(ग) विशेषतः इसी कार्य के लिये कोई यंत्र नहीं लिया गया था । लेकिन साधारण तौर र विभागीय भंडार से कुछ सामान लेकर एकाश्रत अवश्य किया गया था । टेलीफून यंत्र बड़ौदा में रखा गया था तथा लाइन का सभी सामान मियागम (कारवां के निकट) रखा गया था । यह सामान १९५१ के अन्त तक आया था ।

(घ) लाइन के सामान का मूल्य ३,३०० रुपया है ।

(ङ) वह यंत्र अभी तक बड़ौदा में तथा लाइन का सामान मियागम में पड़ा है ।

(च) यंत्र की अभी तक स्थापना नहीं की गई है । उसका कारण यह है कि कारवां का शाखा पोस्ट आफिस एक अतिरिक्त विभागीय प्रतिनिधि द्वारा शासित है । अभी निर्णय किया गया है कि सार्वजनिक टेलीफून कार्यालय जहां तक कि ट्रंक काल का मामला है, अतिरिक्त विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा पूरित होंगे, बशर्ते कि उचित व्यक्ति प्रतिभू देने के लिए तैयार हो जाय । कारवां के सार्वजनिक टेलीफून आफिस खोलने का प्रश्न इसी आधार पर विचारणीय है ।

रेलवे अध्यर्थन (दावा)

५२५. श्री के० सी० सौधिया : क्या रेल मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों पर १९५२-५३ के बीच जो माल बुक किया गया था उसमें से कुछ के खो जाने पर कितना मुआवज़ा (क्षतिपूर्ति) देना पड़ा तथा कितने दावे अभी तक अनिर्णीत हैं ?

(ख) क्या इस प्रकार इस बीच सरकारी माल की भी क्षति हुई है, यदि हुई है तो उसकी प्राप्ति किस प्रकार की जाती है ?

(ग) इस क्षति को रोकने के लिए कौन कौन उपाय किये गये हैं ? और इन उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १-४-५२ से ३१-१२-५२ तक भारतीय रेलों द्वारा खोये गये माल के लिए कुल २,३९,३७,६१८ रुपया क्षतिपूर्ति के लिये दिया गया । और इस बीच ६९,८९४ मामले अनिर्णीत रहे ।

(ख) जी हां । सरकारी विभागों को भी अपनी क्षतिपूर्ति पाने के लिए वही नीति अपनानी पड़ती है जो कि साधारण जनता अपने खोये हुए माल के मुआवज़े के लिए अपनाती है ।

(ग) इस क्षति को रोकने के लिए उपाय किये गये हैं जैसे देखभाल करने वाले कर्मचारियों का पुनर्गठन एवं उनकी संख्या वृद्धि करना; रेलवे सुरक्षा पुलिस द्वारा दुर्घटना ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा या गश्त करना, कीमती माल ले जाने वाले डिब्बों की रेलवे

सुरक्षा पुलिस द्वारा रक्षा करना; सरकारी रेलवे पुलिस तथा देखभाल करने वाले कर्मचारियों का मिलकर साथ साथ काम करना; इलियस कम्पनी के विशेष तालों का अधिकतम प्रयोग विशेषज्ञ रिवेट करने वालों द्वारा डिब्बों का नये ढंग के अनुसार रिवेट करना सामयिक निरीक्षणों में भली प्रकार से बंडलों को बान्धने, तथा उनका उचित एवं सावधानी पूर्वक इधर उधर ले जाने पर विशेष ज़ोर दिया गया। इन प्रतिबन्धक उपायों द्वारा यह उत्पात आंशिक रूप में रुक गया है। किन्तु फिर भी अभी बहुत कुछ करना है। जैसा कि गृह मंत्री ने अपने बजट के भाषण में बताया था कि एक उच्चाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है जोकि चोरी की स्थिति का घटनास्थल पर जा कर जांच करेगा ताकि और भी अधिक प्रभावशाली उपायों द्वारा इस बुराई पर प्रकाश डाला जा सके।

औद्योगिक रोग

५२६. **श्री विट्ठल राव :** क्या **श्रम** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला क्षेत्रों में किन किन रोगों को सरकार द्वारा औद्योगिक रोग घोषित किया गया है ?

(ख) सन् १९५२ में कोयला क्षेत्रों में इन बीमारियों से कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई है ?

(ग) क्या सरकार कोयला क्षेत्रों में यक्ष्मा को भी औद्योगिक रोग घोषित करने का विचार कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) सिलीकोसिस, और न्यूमोकोनिओसिस।

(ख) कोई नहीं, जहां तक कि सरकार को इसकी सूचना है।

(ग) नहीं, खदान कार्रवाही और क्रियाशीलता के लिए यक्ष्मा को औद्योगिक रोग नहीं माना गया है।

पुनरोद्धृत भूमि पर खेती

५२७. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ट्रेक्टर संघ द्वारा पुनरोद्धर की गई भूमि पर उत्पादित खाद्यान्न का प्रति टन उत्पादन मूल्य क्या है ?

(ख) साधारण तौर पर खेतों में उत्पादित खाद्यान्न के प्रति टन उत्पादन मूल्य की अपेक्षा यह कैसा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख) सम्बन्धित प्रादेशिक सरकार से सूचना भेजने की प्रार्थना की गई है, आने पर संसदीय पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा खोज

५२८. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ और १९५२-५३ में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने किन किन मुख्य विषयों में खोज की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा की जाने वाली खोजों का वार्षिक लेखा जोखा एवं विवरण उसकी वार्षिक रिपोर्ट (विवरण) में प्रकाशित होता है, जिसकी प्रतियां सदन पुस्तकालय में हैं। सन् १९५१-५२ का विवरण छप रहा है, तथा कुछ महीनों में बांटने के लिए उपलब्ध हो सकेगा, जब कि सन् १९५२-५३ का विवरण अगले वर्ष के प्रारंभ में छपेगा।

इन दो वर्षों में जिनके बारे में प्रश्न किया गया हैं परिषद् ने प्रादेशिक सरकारों के सहयोग से १७८ कृषि सम्बन्धी योजनाओं पर, १३५ पशु पालन योजनाओं, ५ कृषि एवं पशुपालन की सम्मिलित योजनाओं, एवं १३ सांख्यकी योजनाओं के सम्बन्ध में जिनका विवरण नीचे वृहद् शीर्षक में दिया गया है खोज की है ।

(१) कृषि--(क) चावल अभिजनन सहित, बीजोत्पत्ति, चावल के रोग, कीड़े मकोड़े, धान के खेतों में खाद सम्बन्धी अनुभव, धान के ऊसर खेत, इत्यादि इत्यादि ।

(ख) गेहूं तथा अन्य खाद्यान्न--गेहूं में घुन, गेहूं अभिजनन, जुआर अभिजनन, कवक विद्या संबंधी योजना, जौ फसल में सुधार, चरागाहों एवं फलीदार वृक्षों के बीजों में मिश्रज वृद्धि ।

(ग) बाजरा, जुआर, एवं दाल, दालों के बीज सहित, छोटा बाजरा, चना के झुकने की बीमारी, संग्रहित खाद्यान्न में कीड़े मकोड़े, मूलाश प्रजातिका कंगु प्रजाति पर आक्रमण, ज्वार बाजरा अभिजनन, चना में कीड़े मकोड़े आदि आदि

(घ) फल--औद्यानिक, शंतरा कृषि, आम का सूखा पन, जांच आम और केला का साईटोजेवेटिक्स, शंतरे की बीमारियों का नियंत्रण, शंतरा भेदन की खोज, जम्वीरति द्वारा खाद के अनुभव, फल तथा फल देने वाले वृक्षों के कीड़े मकोड़े, केला की खोज, फलों की नस्ल, फलों की परिरक्षण, कवक-विद्या तथा कीटशास्त्र सम्बन्धी खोज, वृक्कफल खज़ूर आदि आदि ।

(ङ) सागभाजी--आलू बीज प्रमाणन जांच, आलू संग्रह, पृथ्वी के भीतर की गांठदार फसलें, टमाटर सम्बन्धी खोज, प्रकड़ एवं मीठे आलू, सागभाजी के सुधार आदि आदि ।

(च) दूसरी फसलें--एलाबीज की खोज, हरिद्रा, दवाइयों के पौदे, लौंग, भेषज पौदे, धान्यक रोग, गोल मिर्च, अदरक, मिर्च, जीरे की बीमारियां इत्यादि ।

(छ) भूमि तथा खाद--भारतीय भूमि में विभिन्न तत्वों का मालूम करना, खाद्य संग्रह, मलखाद, हरी खाद, जांच, भूमि में नाइट्रोजन मालूम करना, लवण खाद, खाद सम्बन्धी अनुभव, भूमि की शीघ्रातिशीघ्र जांच ।

(ज) शास्त्रीय कृषिकला--सूखी खेती, मिश्रित फसलों का प्रचलन आदि आदि ।

(झ) पौदा सम्बन्धी शास्त्र ज्ञान ।

(ञ) कीट शास्त्र डी० डी० टी० परीक्षण सहित तथा कीटघ्न सम्बन्ध, जंगल नियंत्रण, दीमक सम्बन्धी खोज ।

(ट) कवक शास्त्र विषाणु बीमारियों सहित फुंगी को मारने वाली आदि आदि ।

(ठ) साधारण लाभदायक पौदों के परिचय सहित, पोषक लवण में पहिले से डाले हुए ।

(२) पशुपालन --(क) पशु अभिजनन ढोर अनुसंधान सहित, मुख्य मुख्य अभिजनन में सुधार, कृषक पशुओं का स्वास्थ्य बनाये रखना, भारतीय पशुओं की नस्ल बिगड़ने का कारण, ऊंट अभिजनन, योजना के मुख्य मुख्य गांव, बैलों की भार वाहन क्षमता में उचित वृद्धि करना, स्थानीय पशुओं का अच्छा प्रजनन एवं श्रेणी विभाग करना ।

(ख) ऊन के सुधार के लिए भेड़ बकरियों का प्रजनन, अविमांस, नस्लें ।

(ग) पशु पोषण--भारत में प्राप्त घास तथा पत्ती वाले चारा मूल्य सहित, अन्वेषि तत्वों का प्रभाव, राशन का प्रमापीकरण, आदि आदि ।

(घ) **पशु कीड़े** तथा बीमारियां, और उपचार, जानवरों की चिकित्सा सम्बन्धी जांच, भेंड़ और बकरियां, झोन्स रोग, अन्तड़ियों का रोग, पैर और मुंह के रोगों का टीका, पेशे की मरोड़ द्वारा हानि, स्थानीय भेषज, टुबरकुलीन परीक्षण, नियंत्रण, रोग आदि आदि ।

(ङ) **डेरी का काम**—घी की जांच पड़ताल करने के ढंगों का प्रमापीकरण, चर्बी का शीघ्रतम निश्चयीकरण, बाजारू दूध का कीटाणुमय रूप, परीक्षण स्तर, दूध का उत्पादन मूल्य आदि आदि ।

(च) **ऊन**—ऊन का परीक्षण, ऊन का धोना एवं श्रेणीकरण, ऊन की विशेषता के परिमाप के लिए ऊन का नमूना बनाना ।

(छ) **पक्की तथा कच्ची खालें**—गांवों में खाल उतारने के स्थान, खाल उतारने वालों की प्रशिक्षा आदि आदि ।

(ज) **मुर्गी पालना**—मुर्गियों का परीक्षण, अनुसन्धान की क्रिया पर जलवायु का प्रभाव, मुर्गियों के रोग, बत्तक अभिजनन, अंडों की प्रजनन शक्ति का नाश करना, आदि आदि ।

(झ) **मछली**—ग्रामों में मछली पालना, मछली पालन अनुसन्धान ।

(ञ) **शहद की मक्खी पालना**—प्रादेशिक शहद की मक्खी का अनुसन्धान ।

(ट) अन्य अतिरिक्त योजनाएं ।

(३) (क) विकास कृषि तथा पशुपालन योजनाएं जिनमें ग्राम परियोजनाएं, दूध देने वाले पेड़ आदि सम्मिलित हैं ।

(ख) सांख्यकी—जिस में समुद्री मछली पकड़ने के आंकड़े, पशुओं के सुधार के आंकड़े, श्रमजीवी तथा सामग्री अथवा कपास तथा परिवर्तनीय फ़सलों आदि की आवश्यकताएं सम्मिलित हैं ।

थेनी-गुदलूर रेलवे लाइन

५२९. श्री के० एस० गौंडर: क्या रेल मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५२ में मदुरा थेनी रेलवे लाइन के साथ साथ, थेनी-गुदलूर रेलवे लाइन निर्माण का पुनरीक्षण किया गया था ?

(ख) थेनी-गुदलूर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया जायगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां । इस योजना का विचार स्थगित करने का निश्चय किया गया था

(ख) इस समय यह कहना संभव नहीं है कि इस लाइन का निर्माण कब होगा ।

चीनी का उत्पादन

५३०. श्री रामानन्द दास : क्या **कृषि एवं खाद्य** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ में चीनी का कुल उत्पादन कितना हुआ; १९५२ में प्रारंभिक बचत कितनी थी; तथा १९५२ की अन्तिम बचत क्या रही ?

कृषि एवं खाद्य मंत्री (श्री किदवई): १९५१-५२ में चीनी का कुल उत्पादन १४.९७ लाख टन हुआ । १ नवम्बर सन् १९५१ को प्रारम्भिक बचत १.८४ लाख टन थी, और ३१ अक्तूबर १९५२ को अन्तिम बचत ५.०३ लाख टन रही ।

लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज

५३१. श्री पी० सुब्बा राव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) लेडी हार्डिंग मेडीकल कालिज (स्त्रियों के लिये) देहली में कितने विद्यार्थी हैं, तथा भारत के विभिन्न प्रान्तों से कितने कितने विद्यार्थी हैं ?

(ख) सन् १९५२ में भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों से कितने आवेदनपत्र आये तथा

विभिन्न प्रान्तों से कितने कितने विद्यार्थियों की भर्ती की गई ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). वांछनीय सूचना से संबंधित उत्तर संसदीय पटल पर प्रस्तुत है। **[देखें परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २७]** ।

रेलवे अधिकारी

५३२. श्री विट्टल राव : क्या रेल मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार तथा पुनर्वर्गीकरण से पूर्व विभिन्न राज्यों की रेलों में श्रेणी प्रथम एवं द्वितीय के कुल कितने अधिकारी थे?

(ख) ३१ जनवरी १९५३ को इन ६ रेलवे विभागों में कुल कितने प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २२६०. ।

(ख) २३२२। इस का कारण यह है कि पश्चिमी एवं उत्तरपूर्वी रेलवे की वांछनीय व्यवस्था में वृद्धि के अतिरिक्त तीन रेलवे में अस्थायी तौर पर कुछ पद बढ़ाये जाने की स्वीकृति दी गई है, जो कि समयानुसार समाप्त हो जायेंगे।

मछली निर्यात

५३३. श्री बी० एस० मूर्ति : क्या **कृषि एवं खाद्य** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१-५२ और १९५२-५३ में कुल कितनी मछलियों का निर्यात किया गया ?

(ख) किस किस नस्ल की मछलियों का निर्यात किया गया ?

(ग) उनका कितना मूल्य था ?

(छ) मछली निर्यात वृद्धि के लिए क्या क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग). जानकारी से सम्बन्धित सूचना संसदीय पटल पर प्रस्तुत है ।

(घ) ताज़ी मछली के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। लेकिन अपनी आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान उत्पादन प्रगति को ध्यान में रखकर इसके निर्यात को प्रोत्साहन देना वांछनीय नहीं समझा गया । सूखी मछलियों के निर्यात पर भी अब कोई प्रतिबन्ध नहीं है । सूखी मछलियों के निर्यात में सुधार करने के लिये भारतीय मछली की नस्ल में सुधार करना होगा और इसके लिए मछलियों को सड़ने से बचाने के लिए सरकारी मछली सुखाने वाले क्षेत्रों में बहुत से राज्यों में सहायता स्वरूप नमक किया जाता है।

विवरण

१९५१-५२ और १९५२-५३ (अप्रैल जनवरी) में मछली* निर्यात

मात्रा हड्रेडवेट में १ मूल्य '००० रुपया

	१९५१-५२		१९५२-५३ (अप्रैल जनवरी)	
	मा ा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सूखी मछली बिना नमक की	२०१,४७१	१,७८,४९	२१४,१९१	१,९७,४२
सूखी मछली नमक की	२१०,२००	१,३०,७१	१७२,६८०	१,०९,५६
मछली उदर और शर्क फाइन	५,२३४	१६,७२	४,४९१	१४,९८
भीगी मछली नमक की	१५,४७९	१,७४	१२,२८०	१,३९
योग	४३२,३८१	३,२७,६६	४०३,६१२	३,२३,३५

*मछलियों की नस्लों के अनुसार उनके निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

उड़ीसा से चावल निर्यात

५३४. श्री जर्नादन रेड्डी : क्या **कृषि एवं खाद्य** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत के अभावग्रस्त प्रान्तों को उड़ीसा १२०० टन प्रति दिन के हिसाब से चावल का निर्यात कर रहा है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो अब तक कुल कितने चावल का निर्यात हो चुका है, और किन किन प्रान्तों को ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख). नवम्बर १९५२ से फ़र्वरी १९५३ तक इन चार महीनों में उड़ीसा से विभिन्न प्रान्तों को ३४,४६० टन चावल का निर्यात किया गया है, जिससे प्रकट होता है कि उसका दौतिक औसत ३२९ टन है । पाने वाले प्रान्तों के नाम ये हैं :—

मद्रास	६,८४० टन
पश्चिमी बंगाल	३०,५०० टन
चन्द्रनगर	८८० टन
मैसूर	१,२०० टन
बिहार खदान	४० टन
	३९,४६० टन

ट्रैक्टरों का आयात

५३५. श्री सरमा : क्या **कृषि एवं खाद्य** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में भारत में कुल कितने हल्के, बीच के, तथा भारी ट्रेक्टर आये, तथा उनका कुल कितना मूल्य था ?

(ख) क्या भारत सरकार और विदेशी कम्पनियों के बीच जो कि भारत को ट्रेक्टर दे रही हैं कोई समझौता या करार हुआ था कि वे भारतीयों को अपनी अपनी कम्पनियों में ट्रेक्टर सम्बन्धी शिक्षा देगी, यदि हुआ था तो इतने समय में कितने भारतीयों को शिक्षा दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में कुल ट्रेक्टरों की संख्या एवं उनका मूल्य निम्नलिखित है :—

वर्ष	संख्या	मूल्य रुपयों में
१९४९-५०	३,३१८	४,३७,५६,७५०
१९५०-५१	४,९३०	४,०८,७४,२९४
१९५१-५२	७,१४८	५,९८,१३,९२५

ट्रेक्टरों के हल्के, बीच के, तथा भारी श्रेणी के विषय में अलग अलग सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) चूंकि ये ट्रेक्टर अधिकतर निजी तौर पर भारतीय कम्पनियों ने मंगाये हैं अतएव भारत सरकार और विदेशी निर्माताओं के बीच भारतीयों को अपनी कम्पनियों में शिक्षा देने का कोई समझौता नहीं हुआ । किन्तु फिर भी आयात करने वाली कम्पनियों को कहा गया है कि आयात किये गये ट्रेक्टरों की मरम्मत आदि के लिए वे अपने यहां काफ़ी संख्या में प्रशिक्षित चतुर एवं योग्य इंजीनियर रखें । ये आयात करने वाली कम्पनियां साधारण तौर से अपने इंजीनियरों को या तो विदेश भेज कर इन निर्माताओं के यहां प्रशिक्षित करा लेते हैं अथवा निर्माताओं के यहां से उनके इंजीनियरों को बुलाकर अपने कर्मचारियों को यहां भारतवर्ष में शिक्षा दिलवा देते हैं ।

सत्यमेव जयते

गुरुवार,
१२ मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

वृहस्पतिवार, १२ मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

---

३ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है । पहला प्रस्ताव श्री वी० जी० देशपांडे का—"इस विशिष्ट आश्वासन के वावजूद कि निवारक विरोध अधिनियम राजनैतिक दलों के नेताओं के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा, ११ मार्च, १९५३ को निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत श्री स्वामी करपात्री जी, श्री हरदयाल देवगुण, संगठन मंत्री अखिल भारतीय हिन्दू महासभा और हिन्दू महासभा, जनसंघ और राम राज्य परिषद् के अन्य नेताओं की गिरफ्तारी तथा निरोध" के सम्बन्ध में है । और दूसरा बाबू रामनारायण सिंह का —

"इस नगर के लोगों को भयभीत करने के लिए श्री स्वामी करपात्री जी, स्वामी हरिहर-नन्द जी सरस्वती और बहुत से अन्य व्यक्तियों की असामयिक तथा अनुचित गिरफ्तारी..... के सम्बन्ध में है । मैं जानना चाहूंगा कि यह गिरफ्तारी कब हुई ?

श्री वी० जी० देशपांडे : उन्हें कल प्रातः तीन बजे गिरफ्तार किया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : कहां पर ? दिल्ली में ?

श्री वी० जी० देशपांडे : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी है कि उन्हें किस के आदेशानुसार गिरफ्तार किया गया था ।

श्री वी० जी० देशपांडे : अनुमान है कि जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली के आदेश के अधीन ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री ने इस विषय में कुछ कहना है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): इन व्यक्तियों को निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत जो कि देश की एक विधि है गिरफ्तार किया गया है और उन्हें इस लिए निरुद्ध किया गया है ताकि वह सार्वजनिक व्यवस्था को किसी तरह से भंग न कर सकें । मेरा निवेदन है कि ज़िला प्राधिकारियों को विरोध आदेश जारी करने का पूरा अधिकार था और उन्होंने उचित कार्रवाई की है ।

जैसा कि सदन को ज्ञात है इनका मामला अब दिल्ली राज्य के मंत्रणा बोर्ड के सामने जायेगा । यदि बोर्ड की यह राय हुई कि इनके

[डा० काटजू]

निरोध के पर्याप्त कारण नहीं हैं, तो इन्हें रिहा कर दिया जायेगा। यदि उस ने आदेश को न्यायोचित ठहराया, तो वह अधिक से अधिक एक वर्ष तक निरुद्ध रहेंगे।

मेरा निवेदन है कि यह सर्वथा शान्ति और व्यवस्था का मामला है और अधिनियम में दी गई प्रक्रिया इस पर पूरी तरह लागू होती है। अतः इसे स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय गृह मंत्री से सहमत हूं। सामान्य विधि के अन्तर्गत जो भी सामान्य कार्रवाई की जाती है, उसे सदन म वाद विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता। इस प्रश्न को कल भी उठाया जा सकता था, क्योंकि गिरफ्तारियां इतने सवरे हो चुकी थीं। मैं इसे केवल विलम्ब के कारण अनियमित नहीं ठहरा रहा, बल्कि दूसरे आधार पर अर्थात् इस कारण कि संसद् के एक परिनियम के अन्तर्गत इसके लिये एक साधारण उपचार की व्यवस्था है। इन परिस्थितियों में मैं इन स्थगन प्रस्तावों की मंजूरी नहीं दे सकता।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि..........

उपाध्यक्ष महोदय : निर्णय दे देने के बाद मैं इस प्रश्न के बारे में कोई चीज़ सुनने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा निवेदन इस विषय के बारे में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह कोई बिल्कुल नया मामला है, तो मुझे इन की पूर्व सूचना मिलनी चाहिये, ताकि मैं तैयार हो कर आ सकूं।

सदन अब सामान्य आय-व्यय्क पर पुनः चर्चा आरम्भ करेगा। माननीय वित्त मंत्री अपना असमाप्त भाषण जारी रक्खेंगे।

श्री सारंगधरदास : आपने दूसरे स्थगन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने दोनों प्रस्तावों के बारे में अपना निर्णय दे दिया है।

सामान्य आयव्ययक——सामान्य चर्चा

श्री सी० डी० देशमुख : कल मैंने जनता के सहयोग के प्रश्न की चर्चा की थी और कहा था कि दो और विषयों अर्थात् बेकारी और घाटे के बजट की चर्चा भी करूंगा। जनता के सहयोग के बारे में मुझे एक दो बातें और सूझी हैं। मुझे प्रतीत होता है कि योजना में सामाजिक कल्याण के लिये जो चार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है उस की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। यह राशि सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिये विशेषतया स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिये गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा व्यय की जायेगी प्रजा सोशलिस्ट दल के नेता ने शिकायत की है कि योजना में कोई उत्साहजनक चीज नहीं है। मैं उन्हें बतलाना चाहूंगा कि उक्त राशि का उपयोग करने के लिये सबसे पहला प्रार्थना पत्र और प्रस्ताव उनके दल की ओर से है और योजना को मंजूरी दी जाने वाली है। हम केवल राज्यसरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह प्रस्ताव 'सुन्दर ग्राम' योजना को जिसकी ओर श्री टंडन ने निर्देश किया था, कार्यान्वित करने के लिये है। मैं श्री टंडन से बिल्कुल सहमत हूं कि इस आन्दोलन को देश भर में फैलाना चाहिए। यदि प्रत्येक ग्राम स्वयं ही गन्दगी और अव्यवस्था दूर करने का प्रयत्न करे और अपना वातावरण शुद्ध और सुन्दर बनाये, तो ग्रामीण विकास की समस्या आधी हल हो जायेगी।

इस सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि प्रजा सोशलिस्ट दल का रवैया सहायतापूर्ण है । मैं चाहता हूं कि साम्यवादी दल के बारे में भी मैं ऐसा कह सकता ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव) : क्या हम जान सकते हैं कि प्रजा सोशलिस्ट दल के प्रार्थना पत्र का प्रयोजन क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस के अनुसार विश्व विद्यालय के विद्यार्थियों के श्रम की सहायता से और स्वयं ग्रामों के सशक्त लोगों से स्वेच्छापूर्ण श्रमदान से बहुत से ग्रामों का सुधार किया जायेगा और इस काम के लिए सरकार इस राशि में से अनुदान देगी ।

जहां तक साम्यवादी दल का सम्बन्ध है, वह तो कहता है, कि देश में कोई चीज़ भी ठीक नहीं हो रही है, साम्यवादी हमारे कामों में कुछ भी तथ्य नहीं देख सकते । मुझे उनसे केवल यही शिकायत है । उन की विचार धारा के बारे में उन से झगड़ने का कोई अधिकार नहीं ।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सभी महत्वपूर्ण उद्योगों में १९५२ में उत्पादन बढ़ा और इनमें सूती कपड़ा, कोयला, सीमेंट, कास्टिक सोडा, अमोनियम सलफेट, लोहा तथा इस्पात, कागज़, पावर अलकोहल, प्लाइवुड, रीफ्रेक्ट्रीज़, साबुन, सिलाई मशीनें, पावर वायलर, बिजली के लैम्प, विद्युत् संक्रामक तथा बिजली की मोटरों जैसे कुछ मुख्य मूल उद्योग भी सम्मिलित हैं । उपरोक्त उद्योगों के १९५१ तथा १९५२ उत्पादन के आंकड़ों की तुलना की जा सकती है ।

इसमें संदेह नहीं कि कुछ ऐसे उद्योग भी हैं, जिन के उत्पादन में कमी हुई है । और १९५२ के आरम्भिक मासों में पासा विक्रय के बाज़ार से क्रय के बाज़ार में बदल गया था जिसके फलस्वरूप भाव गिर गये थे और क्रयशक्ति निम्नतम प्रतीत होती थी । मांग में इस कमी का तीन उद्योगों पर प्रभाव पड़ा था और उन का उत्पादन गिर गया था । गन्धक की कमी का कुछ एक रासायनिक उद्योगों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था और इस्पात की कमी के परिणामस्वरूप कुछ अन्य का उत्पादन गिर गया था । विद्युत् तांबा की कमी, श्रम की कठिनाई तथा आयात की हुई वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा के कारण जिन्हें कि कुछ मामलों में उपभोग्य वस्तुओं की वरीयता मिली हुई थी, भी कुछ अन्य उद्योगों के उत्पादन में कमी हुई किन्तु मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सारी स्थिति संतोषजनक है ।

डा० जयसूर्य ने इस वक्तव्य पर संदेह प्रकट किया था कि संगठित औद्योगिक क्षेत्र में बेकारी नहीं थी । मैंने इस सम्बन्ध में आंकड़ों की परीक्षा की है और मैं देखता हूं १९५२ में जिसके पूर्वार्ध के केवल अस्थायी आंकड़े उपलब्ध हैं, नौकरी में थोड़ी सी कमी हुई है । किन्तु जब तक कि हम इस थोड़ी सी कमी के ठीक ठीक कारणों का पता न लगायें तब तक मेरे विचार में यह कहना दुस्साहसपूर्ण होगा कि इससे बढ़ती हुई बेकारी या उत्पादन में कमी का पता लगता है ।

इससे पहले कि मैं बेकारी के सामान्य प्रश्न को लूं, एक या दो छोटी छोटी बातें और हैं जिन का मैं उल्लेख करूंगा । इन में से एक राज्य के उपयोगों के सम्बन्ध में ठीक ठीक जानकारी तथा जनता के उत्तरदायित्व का प्रश्न है । जैसा कि आप को स्मरण होगा सार्वजनिक उत्तरदायित्व का यह प्रश्न विधान मंडल में तथा महालेखा परीक्षक द्वारा भी उठाया गया था । और यह प्रश्न इस लिये उत्पन्न होता है क्योंकि राज्य के उद्योगों के लिए यही प्रबन्ध की व्यवस्था अपनाई गई है । सरकार ने सामयिक व्यवस्था को जान बूझ कर अपनाया था जिससे कि वित्तीय व्यावसायिक तथा नौकरी सम्बन्धी नीतियों के

[श्री सी० डी० देशमुख]

निर्माण में व्यापारियों के सहयोग को प्राप्त करने के लिये व्यावसायिक सिद्धान्तों तथा पद्धतियों को अपना कर प्रशासन में लचक लाई जा सके। किन्तु संचालक बोर्ड में सरकारी पदाधिकारियों का बहुमत है। अतः जहां तक आवश्यक और सम्भव होता है इसकी नीति हमारे विचारों के अनुसार ही बनाई जाती है। अब सामवायिक व्यवस्था और सार्वजनिक उत्तरदायित्व की आवश्यकताएं परस्पर मेल नहीं खातीं। तथापि हम ने महालेखा परीक्षक के साथ लेखे का एक तरीका निश्चित कर लिया है जो कि परिषद् के अन्तर्नियम में सम्मिलित कर लिया गया है जिसके कारण कि समवायें के लिये अपने लेखे तथा अन्य सम्बद्ध दस्तावेज़ महालेखा-परीक्षक को निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा के लिये उपलब्ध कराना अनिवार्य हो गया है। यदि महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा से कोई अवांछनीय चीज़ पता लगे तो वह निस्संदेह संसार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये उसे सदन के ध्यान में लायेगा। यह भी सुझाव दिया गया है कि निर्माण की अवस्था में उसके पर्याप्त वित्तीय अधीक्षण तथा लेखा परीक्षा की संतोषजनक व्यवस्था होगी। निर्माण करने से पूर्व व्यवस्था के सामवायिक रूप को स्थापित करने का प्रश्न अलग से विचाराधीन है। यह सुझाव दिया गया है कि समवायों के विधान में प्रारम्भिक अवस्था में बहुत लचक और परियोजना के शीघ्र पूरा करने और इस प्रकार से पूंजीगत व्यय को घटाने की व्यवस्था है। इन कम्पनियों के पास कम्पनियों के लेखे तथा कारबार के ठीक होने को प्रमाणित करने के लिये और इस बात को भी प्रमाणित करने के लिये कि कम्पनी का कारबार कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है, सुशिक्षित लेखा परीक्षक होते हैं। प्रत्येक कम्पनी के नियमित होने के १८ मास के अन्दर रोकड़ पत्र तथा हानि लाभ का लेखा तैयार किया जायेगा और संसद् के सदस्यों को उपलब्ध हो सकेगा और इससे राज्य की व्यवस्था के वित्तीय फल का पता लगेगा। सिन्दरी के मामले में वार्षिक रिपोर्ट तथा हानि लाभ का लेखा और रोकड़ पत्र अप्रैल में मिल सकते हैं और इसी कारण हम आय व्ययक से संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापनों में इन कम्पनियों के सम्बन्ध में ठीक ठीक सामग्री अथवा (प्रोफ़ार्मा) दर्शनार्थ लेखा तथा मामले नहीं दे सकेंगे।

विदेशी कम्पनियों के एकीकरण अर्थात् उनके उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाओं के एकीकरण के प्रति सरकार जो नीति अपनाती है उसके सम्बन्ध में भी कुछ शंका प्रकट की गई थी। मेरे सहयोगी की कुछ बातों का भी उल्लेख किया गया था और मैं समझता हूं कि उन्हें प्रकरण से अलग कर दिया गया है। उनका तात्पर्य यह था कि वे इस प्रकार के किसी एकीकरण में सम्मिलित नहीं होंगे। वस्तुतः इस सम्बन्ध में कोई वैधानिक उपबन्ध नहीं है। किन्तु जारी पूंजी पर नियन्त्रण करने के लिये हमारे पास एक साधन है। जिसकी सहायता से हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि व्यापार की उन शाखाओं में विदेशी पूंजी न लगाई जाये जिनके लिये हमारे पास पर्याप्त साधन या योग्यता है। और इस लिये व्यवहार में जनहित की दृष्टि से एक या दो अपवादों को छोड़ कर विदेशी समवायों को केवल व्यापार करने के लिये पूंजी जारी नहीं करने दी जाती।

इसके बाद विदेशी विशेषज्ञों का प्रश्न उठाया गया था। यह प्रश्न बार बार उठाया जाता है और माननीय सदस्यों के लिये इसकी आलोचना करना या कुछ एक नामों या श्रेणियों की संख्याओं तथा दिये गये वेतन

को उछालना बड़ा सरल है। परन्तु इस बात में विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि सरकार स्वदेशी योग्यता से लाभ उठाने के प्रति कम उत्सुक है और विदेशी विशेषज्ञों का आयात करने के लिये बहुत तैयार रहती है। हम यह नहीं कहते कि यदि कोई इन चीजों की बारीकी से छानबीन करने लगे तो ऐसे मामले नहीं होंगे जिनमें कि कोई ऐसा विशेषज्ञ बुला लिया गया हो जो अपने कार्य में कुशल न हो। परन्तु इस से ऐसा कोई सामान्य परिणाम नहीं निकाला जा सकता कि विशेषज्ञों को अपने कार्य को आगे बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता के बिना ही बुलाया जाता है। उनको जो काम की शर्तें दी जाती हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि क्योंकि वह औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों से आते हैं जहां कि विशेष रूप से निजी क्षेत्रों में पारिश्रमिक बहुत ऊंचा होता है अतः हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम उनके देशों में उन्हें सुलभ पारिश्रमिक के समान ही शर्तें पेश करें तथा इसके अतिरिक्त कुछ प्रतिकर भत्ता भी दें।

अब मैं बेकारी के मुख्य प्रश्न को लेता हूं। पहली बात मैं यह कहूंगा कि हमें भी इस समस्या का बहुत ध्यान है किन्तु हमें इस समस्या के स्वरूप के प्रति स्पष्ट होना चाहिए। देश में कई दशाब्दियों से भयानक अपूर्ण नियोजन फैला हुआ है और यह बहुती हुई जनसंख्या से और भी गया है जिससे कि हमारी अर्थ व्यवस्था का अपूर्ण विकसित स्वरूप पता लगता है। अच्छा, तो यह अपूर्ण नियोजन कम उत्पादन शक्ति का ही दूसरा रूप है जो कि पूंजी सामान तथा टेकनिकल चातुर्य की कमी के कारण हुआ है। इस प्रकार अपूर्ण नियोजन को दूर करना अथवा अधिक ऊंची आय पर सब को काम का अवसर दिलाना एक प्रकार से विकास की समस्या का ही पर्यायवाची है। योजना आयोग ने भी प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति का वचन नहीं दिया क्योंकि इसमें आवश्यक सीमा हमारे तुरन्त उपलब्ध हो सकने वाले संसाधनों के कुल परिमाण पर निर्भर करती है। यह केवल तभी हो सकता है यदि विनियोग की दरों और पूंजी उत्पादन को बढ़ाया जाये। तभी इस समस्या के सम्बन्ध में पर्याप्त सुधार किया जा सकता है।

अस्थायी प्रकार की कुछ समस्यायें जैसें कि अस्थायी बेकारी, भी हमारे ध्यान में आती है। उदाहरणार्थ चाय उद्योग में जैसा कि आजकल है—या नारियल की जटा के उद्योग में अथवा हाथ करघा उद्योग में नौकरी में कमी हो सकती है। ऐसे मामलों में सरकार जो कुछ कर सकती है जैसे शुल्क को घटा कर या आयात घटा कर, या निर्यात बढ़ा कर या हाथ करघे के मामले में कुछ समय के लिये इस के लिए कुछ बाजार निश्चित कर के, करती है।

एक और किसम की बेकारी भी होती है और यह मध्यम श्रेणी के लोगों में होती है। बहुत हद तक यह शिक्षा प्रणाली तथा अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं में सहयोग न होने का दृष्टांत है। जैसा कि मुझे प्रतीत होता है शिक्षित पुरुषों तथा स्त्रियों की निरन्तर बढ़ती हुई बहुत अधिक मांग अर्थ व्यवस्था के शीघ्र विकसित होने के साथ ही हो सकती है और मुझे इसमें संदेह नहीं है कि ज्यों ज्यों योजना का काम आगे बढ़ता जायेगा, त्यों त्यों विभिन्न प्रकार की अर्हताओं और प्रशिक्षण वाले कर्मचरियों की मांग होगी। इस बीच यह आवश्यक है कि हमारी विकसित होने वाली अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रणाली को बदलने और इसे नया रूप देने के लिये पग उठाये जायें।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि शिक्षित नवयुवकों को नौकरी ढूंढने में

[श्री सी० डी० देशमुख]

जो कठिनाइयां पेश आती हैं, उन का एक कारण यह है कि वे ऐसा धंधा नहीं पसन्द करते जिससे हाथ को परिश्रम करना पड़े। या नगरों या ग्रामों के अरुचिकर वातावरण में काम करना पड़े। हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था में इस संकोच को दूर करना उतना ही आवश्यक है जितना कि नौकरी के नये साधन पैदा करना। किन्तु मध्यम वर्ग के शिक्षित लोगों के और जनसंख्या में कई और वर्गों को नौकरी के बारे में, असली समस्या यह है कि पूंजी विनियोग का एक ऐसा आधार स्थापित किया जाये जिससे कि अधिक वास्तविक आय पर काम मिल सके। इस जटिल समस्या के बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूं।

अब मैं घाटे की अर्थ योजना के विवादास्पद विषय के बारे में यह कुछ बातें कहना चाहूंगा। प्रश्न पूछा गया है कि यह घाटे की अर्थ योजना है क्या चीज़, कितने घाटे को अब तक इस तरह पूरा किया गया है और क्या इसका अनुपात योजना आयोग के अनुमान के अनुकूल है। कुछ सदस्यों ने यह भी पूछा है कि इसका मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे भय है कि इस अवस्था पर इन प्रश्नों का ठीक ठीक और पूर्ण उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि जिन बातों से घाटे की अर्थ योजना का प्रभात उत्पन्न होता है, वे स्वयं पेचीदा हैं और हर समय बदलती रहती है। यह एक ऐसा विषय है, जिस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं दिया जा सकता या यों कहिये कि हमारे ज्ञान और अनुभव की वर्तमान स्थिति में यह अन्ति निर्णय अभी तक नहीं दिया गया।

योजना आयोग में की रिपोर्ट घाटे की अर्थ योजना की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि यह तभी होती है जब "सरकार जनता से होने वाली आय से अधिक रुपया खर्च कर दे।" इसका एक मुख्य तरीका यह है कि सरकार अपने रोकड़ बाकी में से रुपया निकाल ले। अतः यह समझना चाहिए कि रोकड़ बाकी में जितनी कमी होगी उतने रुपये सरकार ने घाटे बजट में लगा दिये हैं। जैसा कि मैंने अपने आय व्ययक के भाषण में कहा था केन्द्रीय सरकार के मामले में, पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में यह राशि लगभग ८२ करोड़ रुपये थी। राज्य सरकारों के रोकड़ बाकी में कमी के तुलनात्मक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु जब राज्यों में आय-व्ययकों का, जो कि अब प्रस्तुत किये जा रहे हैं, विश्लेषण हो जायेगा, तब हम कह सकेंगे कि रोकड़ बाकी में से रुपया निकाल कर कुल कितनी घाटे की अर्थ व्यवस्था की गई है। रोकड़ बाकी में से धन निकालने के अतिरिक्त, रक्षित बैंक से ऋण लेकर भी आय से अधिक खर्च कर सकती है। पिछले दो वर्षों में राज्य सरकारें निस्संदेह बजट के घाटों को पूरा करने के लिये समिति में से प्रतिभूतियों का निस्तारण करती रही हैं। श्री तुलसीदास किलाचन्द और श्री बंसल के अनुमान के अनुसार हम ने १९५१ से १९५३ तक लगभग २०० करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ योजना बनाई है। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि राज्य सरकारें तो नकदी के बदले में प्रतिभूतियां रक्षित बैंक को बेच रही हैं, हम प्रतिभूतियां खरीद कर रोकड़ बाकी विनियोग लेखे में वृद्धि कर रहे हैं। इस प्रकार हम एक द्वि-लेखा प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, योजना आयोग पंच-वर्षीय योजना की द्वि-वर्षीय रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस रिपोर्ट में ठीक ठीक बतलाया जायेगा कि इस अवधि में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने कुल कितना घाटे का खर्च किया है। इस समय मैं केवल इस बात पर ज़ोर दे सकता हूं कि १९५१–५२ में बजट का घाटा उस वर्ष में आयात आधिक्य से पूरा हो गया था। १९५२–५३ में यद्यपि निर्यात आधिक्य के

साथ साथ बजट में अधिक घाटे उठाये गये थे फिर मुद्रास्फीति का जोर बहुत बढ़ा नहीं है। इससे यह आशा उत्पन्न होती है कि यदि आगामी वर्ष में आंग्ल-मुद्रा आधिक्य का उपयोग करने के उपाय किये जायें, तो १९५२-५३ में, घाटे के बजट में किन्हीं प्रतिकूल प्रभावों के पड़ने के खतरे के बिना अधिक व्यय किया जा सकता है। यदि यह व्यय विकास योजनाओं पर किया जाये, तो इससे अर्थ-व्यवस्था सुधर भी सकती है। इसी विचार से आगामी वर्ष के लिए घाटे की योजना की राशि अधिक निश्चित की गई है। घाटे की अर्थ योजना के प्रश्न का निर्णय अर्थ व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रख कर और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर के ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं सदन से कहूंगा कि वे सरकार में विश्वास रखें।

राष्ट्रपति की पैप्सु सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब डा० काटजू के संकल्प पर विचार आरम्भ करेगा।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत ४ मार्च १९५३ को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का, जिसके अनुसार उन्होंने पैप्सू के शासन के सब कार्य अपने हाथ में ले लिये थे, सदन अनुमोदन करता है।"

मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इस संकल्प के सम्बन्ध में कुछ मुख्य मुख्य बातों पर विचार करे। पैप्सू की विधान सभा के ६० सदस्य हैं। यदि अध्यक्ष को न गिना जाये, तो ५९ सदस्य रह जाते हैं। पहला मन्त्रिमंडल साधारण निर्वाचनों के बाद मार्च, १९५२ में बना था। किन्तु किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं था। इस लिए मन्त्रि मंडल बनते ही संघर्ष शुरू हो गया था और एक मास के अन्दर अन्दर यह मन्त्रिमंडल टूट गया था। इसके बाद एक नया गठजोड़ हुआ और 'यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट' नाम का एक नया दल बनाया गया था। इस दल के नेता सरदार ज्ञानसिंह राड़ेवाला ने २० अप्रैल, १९५२ को एक नया मन्त्रिमंडल बनाया। इसमें मुख्य मंत्री के अतिरिक्त ३ मंत्री और थे। ४ मई को एक पांचवा मंत्री और दो उपमंत्री नियुक्त किये गये। नवम्बर में छटे मंत्री को, जो कि हरिजन सिखों का प्रतिनिधि बतलाया जाता है, नियुक्त किया गया और एक मंत्री को हटा कर उसके बदले में दूसरा नियुक्त किया गया। बजट सत्र मई, १९५२ में समाप्त हो चुका था और बहुत से महत्वपूर्ण विधेयक सदन के विचाराधीन थे। शान्ति और व्यवस्था की स्थिति भी बहुत गम्भीर थी। चूंकि ६ मासों में सदन की एक बैठक अनिवार्य होती है, अतः १९ नवम्बर को एक सत्र दस दिन के लिये बुलाया गया। सत्र शुरू होते ही मंत्रिमंडल तोड़ने के प्रयत्न शुरू हो गये और मन्त्रिमंडल भी अपने आप को सत्तारूढ़ रखने के लिये हाथपैर मारने लगा। २५ नवम्बर को सदन की बैठक में ही मुख्य मंत्री ने अध्यक्ष को एक निजी नोट भेजा जिसमें उन से कहा कि बैठक को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया जाये। अध्यक्ष ने चुपचाप ऐसा कर दिया और किसी को कोई कारण नहीं बतलाया। इस असाधारण कार्रवाई की विरोधी दलों और समाचार पत्रों ने बहुत आलोचना की। ६ नवम्बर को अध्यक्ष ने अपनी गलती अनुभव करते हुए, सदन के नेता के परामर्श के बिना २२ दिसम्बर को फिर सदन की बैठक बुलाई। मुख्य मंत्री बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने बहुत से उपाय किये। किन्तु २१ दिसम्बर को विचित्र घटनाएं हुईं। एक मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया और विरोध पक्ष के दो सदस्य अपना दल छोड़ कर सरकारी पक्ष से जा मिले। एक को मंत्री बना दिया गया और दूसरे को उपमंत्री। इस

[डा० काटजू]

के फलस्वरूप एक प्रकार का संतुलन कायम रहा और अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। इस के अस्वीकृत होते ही सदन की बैठक स्थगित कर दी गई और बाद में सत्रावसान कर दिया गया। नवम्बर दिसम्बर के सत्र में मंत्रिमंडल सम्बन्धी कशमकश और अविश्वास प्रस्ताव के सिवाय और कोई भी काम नहीं हुआ।

इस बीच बहुत सी चुनाव याचिकाएं विचाराधीन थीं। मेरे विचार में इस मामले में पैप्सू ने एक रिकार्ड स्थापित किया है। ३१ सदस्यों के चुनाव के विरुद्ध कुल ३३ चुनाव याचिकाएं प्रस्तुत की गई थीं। इन में से १६ अभी विचाराधीन है और १४ का निर्णय हो चुका है और ९ सदस्यों के चुनाव अवैध घोषित हो चुके हैं। इन में मुख्य मंत्री भी सम्मिलित हैं। इन ९ में से दो को अयोग्य घोषित किया गया है और इन अयोग्य व्यक्तियों में एक वर्तमान मंत्री भी है। मेरे विचार में इस समय केवल एक मंत्री और एक दो उपमंत्री बाकी हैं। १४ विचाराधीन याचिकाओं में से भी बहुत सी ठीक सिद्ध होंगी और कई सदस्यों का चुनाव अवैध घोषित होगा इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ६० स्थानों में से कम से कम १५ या २० स्थानों के लिए उपनिर्वाचन करने पड़ेंगे। यह एक छोटे पैमाने का सामान्य निर्वाचन ही होगा। और मैं सदन को बतला सकता हूं कि इस समय वहां स्थिति इतनी खराब है कि किसी प्रकार के निर्वाचन में जनता का विश्वास नहीं प्राप्त किया जा सकता। कोई दल संतुष्ट नहीं हो सकेगा और चारों ओर से चुनाव याचिकाएं आने लगेंगी। राष्ट्रपति ने लोक हित में हस्तक्षेप करना और अधिकार अपने हाथ में लेना क्यों आवश्यक एवं अनिवार्य समझा? इस का एक कारण यही है। भारत सरकार के गृह मंत्री के नाते मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे राज्य में कोई भी दल सत्तारूढ़ हो जाये, मुझे इसकी चिन्ता नहीं। हम सब इस बात पर सहमत हैं कि भारत की सुरक्षा और स्वतन्त्रता को बनाये रखना हमारा पहला कर्तव्य है और किसी भाग क या भाग ख राज्य में इस दल का शासन है या किसी और का इस बात से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं इस आरोप का खंडन करता हूं कि यह पग पैप्सू में एक विशेष राजनैतिक दल को मज़बूत करने के लिये उठाया गया है। मैं आश्वासन देता हूं कि यथासम्भव शीघ्र एक साधारण निर्वाचन अवश्य होगा। यह उद्घोषणा सदा के लिये लागू नहीं रहेगी। साधारण निर्वाचन जब भी हो, यह पूर्ण शान्ति, निष्पक्षता और स्वतन्त्रता के वातावरण में होगा और निर्वाचकगण पर किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव नहीं डाला जायेगा।

मैं कहता हूं कि ऐसी कार्रवाई करना अनिवार्य था। कोई स्थिर मंत्रिमंडल नहीं था और विधान सभा उचित ढंग से काम नहीं कर रही थी। बजट सत्र १६ मार्च से शुरू होना था और उस समय तक १५ या १६ सदस्य निकल गये होते।। संघर्ष होना अनिवार्य था। आप अनुमान कर सकते हैं कि इस बदलते हुए वातावरण और निजी राजनैतिक दलों की अस्थिर नीतियों के कारण प्रशासनीय सेवाओं की क्या गति होगी? उच्चतम पदाधिकारियों से लेकर निम्नतम पदाधिकारियों तक किसी को ज्ञात नहीं था कि क्या होने वाला है। आप को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि पैप्सू अन्य सब भाग ख राज्यों की तरह लोकतंत्रीय प्रथाओं से अपरिचित है।

वहां आजकल क्या हो रहा है। मेरे पास रिपोर्टें पहुंची हैं कि तीन जिलों में ७० से ८० तक पंचायतें बना ली गई हैं। मैं स्वयं पंचायतों का पक्का समर्थक हूं, किन्तु

ये पंचायतें तो मुकाबले की शासन संस्थायें हैं। वह किराये और भूराजस्व इकट्ठा करती हैं और मुकद्दमे का निर्णय करती हैं और मुकद्दमे भी साधारण नहीं बल्कि गम्भीर किसम के हत्या के मुकदमे। और यह आग्रह करती हैं कि उनके निर्णय माने जायें। मेरी जानकारी के अनुसार एक हत्या के मामले में पंचायत का निर्णय यह था कि अपराधी पर जुर्माना किया जाये और उसका मुंह काला किया जाये। तीन जिलों में यह पंचायत आन्दोलन फैलता जा रहा है और सरकार चुप बैठी देख रही है। इस विषय में स्वयं मंत्रियों में मतभेद है। आप जानते हैं कि जब तक मंत्रिमंडल में सहयोग और मेल न हो, कोई काम नहीं हो सकता। मेरा तात्पर्य यह था कि शान्ति और व्यवस्था की स्थिति और सेवाओं की मनोवृत्ति बिगड़ रही थी। जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है, हमारा उद्देश्य यह है प्रशासन और सेनाओं में स्वच्छता और ईमानदारी लाई जाये। क्या सदन इस के विरुद्ध है ? कृषि सम्बन्धी कानून बनाये जाने हैं और काश्तकारों और विसवेदारों के सम्बन्ध में कुछ न कुछ कार्रवाई अवश्य की जानी है। लगभग ६ मास पूर्व मैंने पैप्सू का दौरा किया था और वहां के ग्रामों की हालत देखी थी। एक ग्राम में एक स्त्री रोते रोते मेरे पास आई और बतलाया कि उसके पति को गोली मार दी गई है। एक और स्थान पर मुझे एक लड़का दिखाया गया जिसका हाथ काट दिया गया था। पैप्सू एक ऐसा राज्य है जहां छोटी छोटी बातों पर गोली चल जाती है। एक और ग्राम के लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि वह न तो किराया देते हैं और न सरकारी भू-राजस्व। अब आप देखिये भारत गणराज्य में यह एक ऐसा स्थान है जहां के लोग किसी का प्राधिकार नहीं मानते। इसी लिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वह स्थिति पर विचार करें और इसे केवल दलों की राजनीति का विषय न बनायें। यह बात नहीं है कि अब पैप्सू के लोगों का कोई रखवाला नहीं रहेगा और राष्ट्रपति जो चाहें कर सकेंगे। यदि यह संकल्प पारित हो गया, तो कुछ दिनों के बाद आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा और आप उस पर चर्चा कर सकेंगे। कृषि सम्बन्धी कानूनों को हाथ में लिया जायेगा। यह कहना कि राज्य के मन्त्रिमंडल के स्थान पर राष्ट्रपति के आ जाने से तानाशाही स्थापित हो जायेगी, बिल्कुल असत्य है। लोक-सभा और राज्य-परिषद् दोनों में पैप्सू के लोगों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त सारे का सारा विरोधी पक्ष पैप्सू की ओर से लड़ सकता है। अतः आप को संतोष होना चाहिये कि पैप्सू की उपेक्षा नहीं होगी। हम ने विवश हो कर यह पग उठाया है। हम ये सब कुछ अर्थात् शान्ति भंग, डाके, हत्याएं आदि नहीं सहन कर सकते। हम यह नहीं चाहते कि सेवाएं दुविधा में रहें और चारों ओर से ये शिकायतें प्राप्त हों कि चुनाव ठीक तरह से नहीं हो रहा। हम ने यह पग केवल लोगों के हित में, और स्थिति को सुधारने के लिये और लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिये उठाया है। परिसीमन आयोग का काम समाप्त होते ही वहां उचित साधारण निर्वाचन किया जायेगा। अपना स्थान ग्रहण करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि राष्ट्रपति का शासन पैप्सू को पंजाब में मिला देने की दिशा में पहला पग है। यह बिल्कुल कल्पना की बात है और इस तरह का कोई विचार या प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रपति का शासन केवल एक अस्थाई शासन है। हम किसी नीति के बड़े प्रश्न का या राज्य के या किसी जाति के भविष्य का निर्णय नहीं करेंगे। इनका निर्णय स्वयं जनता ही करेगी। हमें केवल शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने की चिन्ता है। और किसी चीज़ की नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री बहादुरसिंह (फिरोज़पुर-लुधियाना रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

मूल संकल्प के स्थान में निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

"यह सदन भारत सरकार के पैप्सू में संविधान का स्थगित करने के कार्य को अच्छा नहीं समझता और पैप्सू सरकार के सभी कृत्यों को राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ में लिये जाने को अवांछित, अलोकतंत्रात्मक तथा असंवैधानिक समझता है।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

संकल्प में—

(१) "अनुमोदन करता है" इन शब्दों के स्थान पर "विचार करता है" यह शब्द आदिष्ट कर दिये जायें, और

(२) अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"और निश्चय करता है कि राष्ट्रपति से पैप्सू के राजप्रमुख को निलम्बित करने की प्रार्थना की जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"और घोषणा करता है कि उक्त राज्य की विधान सभा की शक्तियों का संसद् के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन प्रयोग किया जायेगा और उक्त घोषणा में कतिपय आनुषंगिक तथा परिणामात्मक विस्तृत उपबन्ध कर दिये जायेंगे।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री वल्लाथरास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"और निश्चय करता है कि राष्ट्रपति के लिए उस राज्य में राजप्रमुख द्वारा किसी भी हद तक कार्य करना विधि संगत नहीं होगा और पैप्सू सरकार के सभी कृत्यों तथा संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रचलित किसी विधि के अधीन राजप्रमुख में निहित अथवा उसके द्वारा प्रयोग किये जाने योग्य सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा इस विषय में नियुक्त मंत्रणादाता द्वारा किया जायेगा।"

(२) संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"और निश्चय करता है कि परिसीमन आयोग के अन्तिम आदेशों को ध्यान दिये बिना उक्त राज्य में नई विधान सभा के निर्माण के लिये ३१ जुलाई, १९५३ से पूर्व सामान्य चुनाव किये जायेंगे।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

प्रत्येक सदस्य के लिये १५ मिनट का समय निश्चित किया गया है और वर्गनेताओं के लिय २० मिनट ।

सरदार लालसिंह : पैप्सू के मामले का सम्बन्ध न केवल पैप्सू के लोगों से है बल्कि भारत के उन सब लोगों से है जिनका लोकतंत्र में विश्वास है। यही एक ऐसा राज्य है जहां

सिखों का बहुमत है और जहां कुछ समय से गैर-कांग्रेसी सरकार काम करती रही है। वहां संविधान के स्थगित कर देने के बहुत से कारण दिये गये हैं। मैं संक्षिप्त रूप से इन की चर्चा करूंगा। कहा गया है कि ३० सदस्यों के चुनाव के विरुद्ध याचिकाएं विचाराधीन हैं। किन्तु यह किस का दोष है ? इसके लिए या तो केन्द्रीय कांग्रेस सरकार उत्तरदायी है जिसने चुनाव नियमों में त्रुटियां रहने दी या पैप्सू की कांग्रेस सरकार उत्तरदायी है, जिसने चुनाव अधिकारियों को हर प्रकार की अनियमितताएं या गलतियां करने दीं। यदि ६० सदस्यों की विधान सभा में १५ सदस्यों का चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो भी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। शेष ४५ सदस्यों को जिन के विरुद्ध कोई याचिकाएं नहीं, पुनः चुनाव लड़ने के लिये क्यों बाधित किया जाये ? इससे राष्ट्र का बहुत सा रुपया भी व्यर्थ नष्ट होगा। यदि १९ मार्च को विधान सभा की बैठक होने दी जाती तो ६० में से कम से कम ५१ सदस्य अवश्य उपस्थित होते। क्या यह संख्या कम है ? कहा गया है कि यूनाइटेड फ्रंट दल का बहुत थोड़ा बहुमत था। मैं पूछता हूं कि क्या पैप्सू की स्थिति राजस्थान और उड़ीसा राज्यों की स्थिति से भी खराब है, जहां कांग्रेसी सरकारें चल रही हैं। यूनाइटेड फ्रंट दल के कुछ सदस्यों के चुनाव अवैध घोषित हो जाने के बाद भी, उस में २६ सदस्य थे और कांग्रेस के २० थे। और संविधान स्थगित करने के एक दिन पूर्व ही दो निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ था, जिसमें दोनों सफल उम्मेदवार यूनाइटेड फ्रंट के थे। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात था कि बहुत से कांग्रेसी सदस्य इस दल में सम्मिलित होने के इच्छुक थे। क्योंकि कांग्रेस को २० उप-निर्वाचनों में से थोड़े से स्थान भी प्राप्त करने की आशा नहीं थी और कांग्रेसी सरकार का बनना लगभग असम्भव था, इसलिये वहां संविधान स्थगित कर दिया गया। उस समय यूनाइटेड फ्रंट दल चट्टान की तरह मज़बूत हो चुका था।

शान्ति और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं पूछता हूं कि क्या यह राजस्थान, सौराष्ट्र या पन्जाब से भी अधिक खराब है। मैं दावे से कह सकता हूं कि पंजाब में विशेषकर फीरोज़पुर जैसे ज़िलों में स्थिति पैप्सू से भी कई गुणा अधिक खराब है। क्या इन राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, संविधान स्थगित करने का सुझाव किसी ने दिया है? मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि पैप्सू में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति अब पहिले से कहीं अच्छी है।

(**श्री पाटसकर** अध्यक्ष-पद पर आसीन)

यदि आप देखें कि गत तीन मासों में कितने डाकुओं का अन्त किया गया है, तो आप को आश्चर्य होगा। पिछले कुछ मासों में जितने डाकू मारे गये हैं, उतने कई वर्षों में नहीं मारे गये। यह राज्य का एक ठोस काम है। यह भी कहा गया है कि सेवाओं का नैतिक पतन हो चुका है। पहली बात यह है कि मैं इसे मानता नहीं हूं। यदि कोई नैतिक पतन हुआ भी है, तो इस के लिये कांग्रेस ही उत्तरदायी है। पिछले कुछ मासों में साम्प्रदायिक वातावरण में बहुत सुधार हुआ है और इस समय काफ़ी साम्प्रदायिक सामंजस्य है। यद्यपि यह सिखों के बहुमत का क्षेत्र था, फिर भी अधिक सरकारी पद गैरसिखों को दिये गये हैं। यूनाइटेड फ्रंट दल ने अल्प-संख्यकों में प्रति उदारता का व्यवहार करने में एक आदर्श स्थापित किया है।

जहां तक सामूहिक परियोजनाओं का सम्बन्ध है, पैप्सू ने सारे भारत का पथ-प्रदर्शन किया है, पिछले कुछ मासों में जितनी

[सरदार लालसिंह]

प्रगति पैप्सू ने सामूहिक परियोजनाओं में या कृषि के विकास में की है, उतनी देश के किसी और राज्य ने नहीं की। भूमि सुधारों के मामले में भी पैप्सू किसी से पीछे नहीं रहा। इसके अतिरिक्त पैप्सू मन्त्रिमंडल ने भूस्वामियों और काश्तकारों में सदा समझौता करवाने का प्रयत्न किया है।

संविधान के अनुच्छेद ३५२ में यह उपबन्ध किया गया है कि केवल गम्भीर आपात, बाहरी संकट या आन्तरिक उपद्रव की अवस्था में ही राष्ट्रपति राज्यों के शासन को अपने हाथ में ले सकता है। अनुच्छेद ३५६ के अनुसार, जब राज्य की सरकार न चलाई जा सकती है, तब भी वह ऐसा कर सकता है ; यह स्पष्ट है कि वहां इस तरह का कोई आपात या संकट नहीं था और केन्द्रीय सरकार के लिये पैप्सू का प्रशासन सम्भाल लेना बिल्कुल अनुचित था। वास्तविक कारण यह है कि कांग्रेस किसी भी हालत में भारत के किसी भाग में गैर-कांग्रेसी सरकार को सहन नहीं कर सकती। यह एक तथ्य है। जहां तक मुख्य मंत्री सरदार राड़ेवाला का सम्बन्ध है, उनका चुनाव केवल प्रविधिक आधार पर अवैध घोषित किया गया है, नैतिक दोष के आधार पर नहीं। संविधान के अनुसार वे ६ मास और रह सकते थे, जब तक वे पुनः निर्वाचित न हो जावें। यह सुविधा देश के कुछ और लोगों को, उदाहरणतया श्री मोरार जी देसाई और राजाजी को दी गई है। सभी न्यायप्रिय व्यक्ति यह कहेंगे यह सुविधा राड़ेवाला को भी दी जानी चाहिये थी। किन्तु जब वह दिल्ली आये, तो उन से कहा गया कि वे अब अपने पद पर नहीं रह सकते। न केवल यही, सदन में यूनाइटेड दल का बहुमत होते हुए भी केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय दिया कि राड़ेवाला के स्थान पर एक और नेता के चुन लिये जाने के बा भी मन्त्रिमंडल को नहीं रहने दिया जा सकता।

संविधान को स्थगित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कांग्रेस अपने निरीक्षण में और अपने तरीके से निर्वाचन करा सके, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने पहला निर्वाचन किया था, और केन्द्रीय सरकार ने एक कांग्रेसी मंत्रिमंडल पैप्सू पर ठोंस दिया था।

डा० काटजू ने पंचायतों की ओर भी निर्देश किया था और कहा है कि प्रतिद्वंदी संस्थायें बनती जा रही थीं। इस सम्बन्ध में मैं बतला सकता हूं कि डा० काटजू को अपने दौरे के दौरान में तस्वीर का अरुचिकर रुख बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की चेष्टा की गई थी और ऐसा करने वाले स्वयं कांग्रेसी थे।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर (अमृतसर) : सभापति जी जब ये कान्सटियूशन पैप्सू का खतम किया गया तो वहां पहले रोज़ में एक बड़ा जलूस निकाला गया। जिसमें डैमोक्रेसी का जनाजा निकाला गया। वहां डैमोक्रेसी के बुत को जला कर साबित किया गया और इज़हार किया गया कि वहां डैमोक्रेसी खतम किया गया है। मैं समझता हूं कि डैमोक्रेसी का जनाजा असल में निकालने का वह वक्त नहीं था जिस वक्त वहां कांस्टीट्यूशन स्थगित किया गया। इससे बहुत पहले ही अगर यह कार्यवाही हो जाती तो ज्यादा मुनासिब होता। उस वक्त वहां पर जो जनाज़ा निकाला गया मैं उसे मुनासिब वक्त नहीं कहता क्योंकि दरअस्ल इस वक्त तो वहां डेमो-क्रेसी को महफ़ूज किया गया है। क्योंकि सही मानों में वहां इस बजारत के अहद में डेमोक्रेसी की कोई इज्ज़त नहीं रही थी। अगर आप वाक्यात की तरफ जाएं

तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से वहां मेम्बर को इधर से उधर और उधर से इधर किया जाता था, यानी साठ मैम्बर के हाउस में तेरह ऐसे मेम्बर हैं जिन्होंने कई दफा एक दफा नहीं दो दफा नहीं तीन दफा नहीं बल्कि चार दफा अपने को कभी इधर किया कभी उधर किया तो अगर इसको डैमोक्रेसी कहते हैं तो बात खतम हुई।

दूसरी बात यह है कि अभी मेरे दोस्त सरदार लालसिंह ने ज़्यादा ज़ोर इस बात पर दिया है कि वहां जो गवर्नमेंट आफ इंडिया है या कांग्रेस की जो सरकार है उसकी कोशिश यह थी और वह यह बरदाश्त नहीं कर सकती थी कि वहां यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट कायम हो, इंसाफ की बात यह है और मैं समझता हूं कि मेरे भाई राम नारायण सिंह जो हमारे बड़े पुराने मैम्बर हैं। मेरी बात को सुन कर वह जरूर इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सरदार लाल सिंह जी की बात बिल्कुल ग़लत है। पहली बात यह कि जब वहां कांग्रेस गवर्नमेंट कायम हुई अगर सरकार हिन्द जब कांग्रेस की सैन्ट्रल सरकार की यह नीयत होती कि वहां कांग्रेस गवर्नमेंट बने और दूसरी कोई गवनमेंट न बन सके तो यकीनन कांग्रेस की गवर्नमेंट टूट नहीं सकती थी। और दूसरी कोई गवर्नमेंट बन भी जाती तो वह चल नहीं सकती थी।

मुझे पता है कि जब कांग्रेस मिनिस्टरी वहां कायम हुई तो पांच मिनिस्टर और दो डिप्टी मिनिस्टर बनाए गए। वहां की कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम में यह कमी है कि शड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) का कोई आदमी यहां फुलफ्लैज्ड मिनिस्टर नहीं है इसलिए उन्होंने स्टेट मिनिस्टरी से कई दफा दरख्वास्त की कि उनको इजाज़त दी जाए कि हम एक छटा मिनिस्टर बनाए। ताकि शैड्यूल्ड कास्ट का वहां अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व हो जाए मगर जिसे कांग्रेस की केन्द्रीय सरकार कहते हैं उसने उसको नहीं माना लेकिन जब वहां यूनाइटेड फ्रंट की मिनिस्टरी बनाई गई तो इस मिनिस्टरी को जब यह ख़तरा हुआ मुझे तो यह इतराज़ है स्टेट मिनिस्टरी पर और सरकार हिन्द पर कि जब यूनाइटेड फ्रंट की वहां मिनिस्टरी बन गई तो उसको कायम रखने के लिये उसको मज़बूत बनाने के लिये उनको इजाजत दे दी कि वह छटा मिनिस्टर शैड्यूल्ड कास्ट से बना लें। इन वाकयात को कोई झुठला नहीं सकता। इन्हें कोई गलत नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है कि बाबू नारायणसिंह जी ज़ोर से कहेंगे तुम्हारी बात ठीक है। जैसे जोर से वह दूसरी बातें कहा करते हैं।

दूसरी बात सभापति जी मैं आपकी बिसातत से और मदद से हाउस के सामने यह रखना चाहता हूं कि वहां एक साहब जो बाद में मिनिस्टर बनाए गए यूनाइटेड फ्रंट में उनके ऊपर बहुत से चार्ज़ (आरोप) थे एक दफा यह कोशिश की गई कि वह यूनाइटेड फ्रन्ट की मिनिस्टर बनाए जाएं लेकिन स्टेट मिनिस्टरी ने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ बहुत सीरीयस चार्ज थे और कहा कि वह मिनिस्टर नहीं बन सकते उन पर मुकद्दमा भी चलने वाला था लेकिन यूनाइटेड फ्रन्ट के लीडर के ज़्यादा जोर देने पर हैरान होंगे यह सुन कर स्टेट मिनिस्टरी ने आउट आफ दी वे जा कर इन साहब को यूनाइटेड फ्रन्ट की मिनिस्टरी को मज़बूत बनाने के लिये मिनिस्टर बनाने की इज़ाजत दे दी जिनके ख़िलाफ़ चार्ज थे उनको उन्होंने मिनिस्टर बना दिया।

कुछ माननीय सदस्य : क्या चार्ज थे ?

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर : बहुत सीरियस चार्ज़ थे, जिनके सम्बन्ध में मैं यहां कुछ नहीं कहना चाहता मगर यह एक फैक्ट (तथ्य) है और बिल्कुल सही है कि पहले इंकार किया

[ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर]

गया और बाद में इनको मिनिस्टरी बनाने की इजाज़त दे दी गई इस वज़ह से भी इनको कुछ ताक़त मिल गई।

डा० एन० बी० खरे : इसी को तो करप्शन कहते हैं।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर : कहा जाता है कि कांग्रेस की सरकार इस मिनिस्टरी के खिलाफ़ है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस की जो सरकार है उसका मंशा यह था कि वहां कोई स्टेबल चीज़ बन जाए चाहे किसी पार्टी की बने। किसी ने तजवीज़ पेश की कि जब नया इलैक्शन होगा तो इससे बड़ा ख़तरा होगा शायद कांग्रेस वाले न जीत सकें। तो हमारे नेताओं ने कहा कि चाहे एक कांग्रेसी भी न जीते लेकिन एक पार्टी वहां मौजूद हो जाए। हम तो चाहते हैं कि वहां एक सूटेबल गवर्नमेन्ट बन जाए। हमारा मकसद यह नहीं है कि वहां किसी ख़ास पार्टी की गवर्नमेंट बने।

तीसरी बात मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं यह सवाल छोड़ा जाता है कि इस में सिक्खों को भिन्न किया गया है। एक बात तो मैं यहां भी बतला दूं कि जब से वहां डेमोक्रेसी शुरू हुई है वहां का चीफ़ सेक्रेटरी (मुख्य सचिव) कोई न कोई बाहर से ही जाता रहा है। इस ख्याल से कि पैप्सू में नई नई डेमोक्रेसी शुरू हुई है और वह ठीक तरह से काम चलाए। कहीं बाहर के किसी स्टेट से या सरकारे हिन्द का कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर (प्रशासक) भेजा जाता था। यह पहली दफा है कि वहां के यूनाइटेड फ्रन्ट के चीफ़ मिनिस्टर (मुख्यमंत्री) ने कहा कि मेरा काम ठीक से नहीं चल सकता और अगर आप हमारी मदद करें तो मुझे अपनी मरज़ी से यहां पैप्सू में रहने वाला कोई चीफ़ सेक्रेटरी बनाने दें। अगर आप इसकी इजाजत दे तो मुझे काम चलाने में ज्यादा सहूलियत होगी। स्टेट मिनिस्टरी ने इजाज़त दे दी। पैप्सू के खोडी जयदेवसिंह को चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। वह काबिल हैं अच्छे हैं मुझे इस पर ऐतराज़ नहीं कि उनको क्यों बनाया गया। मेरा कहना यह है कि हमारी हिन्द सरकार की यह ख्वाहिश थी कि पैप्सू में काम अच्छा चले। इसलिये उन्होंने यूनाइटेड फ्रन्ट के लीडर की यह बात मानी और कहा कि जिस तरह से उनका काम अच्छे तौर से चले हम उसको मानने के लिये तैयार हैं।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : उनको तनख्वाह क्या मिलती थी ?

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर : चौथी बात जो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं वह यह है कि हमेशा यह कायदा होता है कि अगर कोई मैम्बर अपनी पार्टी छोड़ता है और दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो उसको चाहिये कि जाने के पहले वह अपना इस्तीफा दे पहले इसका इस्तीफा मंजूर हो तब उसके बाद वह किसी पार्टी में जाकर शामिल हो और कुछ ओहदा (पद) लेना चाहता हो तो ले मगर हाउस को यह बात सुन कर हैरानी होगी—सभापति जी मैं आपकी विसातत से यह कहना चाहता हूं कि वहां के कुछ मैम्बर्स ने अपनी पार्टी छोड़ी तो पहले उनको स्टेट मिनिस्टरी ने इजाज़त दे दी कि वह इस्तीफा मंजूर होने के पहले हल्फ़ (शपथ) ले लें ताकि यूनाइटेड फ्रन्ट को कोई ऐतराज़ न रहे। पहले उन्होंने हल्फ़ ले ली और बाद में उनका इस्तीफा दफ्तर में आया ऐसा मुझे बताया गया है।

इस पार्टी के साथ मेरा भी सम्बन्ध है कांग्रेस संस्था से मेरा सम्बन्ध रहा है। इसलिए मैं पहले से इन बातों को नोट करता रहा हूं और मुझे इन कामों पर बड़ा इतराज़ रहा है। जब कभी डा० काटजू पैप्सू में गए

तो उनके वापिस आने के बाद वहां के जो कांग्रेसी हैं उनकी शिकायत मेरे कानों तक पहुंची कि डा० साहब यहां आकर यूनाइटेड फ्रन्ट की मिनिस्टरी को ज्यादा मज़बूत कर गए हैं क्योंकि उनकी बातों को उन्होंने ज्यादा ध्यान से सुना दूसरों की बातों को उन्होंने ध्यान से नहीं सुना । मैं एक मर्तबा श्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ पैप्सू गया था । भंटिडा में एक बड़ा भारी जलसा हुआ तकरीबन सारा शहर इकट्ठा था वहां मैंने अपने कानों से श्री लाल बहादुर को यह कहते सुना और उन्होंने लोगों को समझाया कि सरकार हिन्द के सामने यह बात नहीं है कि यहां पर किसी जमात की मिनिस्टरी हो । इसलिये सब लोगों को अच्छी तरह से सुन लेना चाहिए कि यहां जो भी मिनिस्टरी होगी उसी का हुक्म चलेगा । हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम किसी ढंग से इस मिनिस्ट्री को कमज़ोर करें । इनकी यह तकरीर मैंने अपने कानों से सुनी । तो मैं समझता हूं कि इन बातों की मौजूदगी में यह कहना कि सरकार हिन्द का कोई मंशा था कि इस मिनिस्ट्री को कमजोर किया जाए या वह किसी ग़ैर कांग्रेसी मिनिस्टरी को सहन नहीं कर सकती थी यह बात बिल्कुल गलत है यह किसी तरह से भी मानने लायक नहीं है ।

ला एण्ड आर्डर (शान्ति और व्यवस्था) के सम्बन्ध में मेरे भाई ने कहा है । हो सकता है कि इससे पहले भी जो हकूमत थी उसके जमाने में भी वारदातें हुई हों मगर यह बात बिल्कुल सूरज की तरह रोशन है कि पिछले दिनों में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिनकी बजह से स्टेट मिनिस्टरी या सरकारे हिन्द जो कि यह चाहती थी कि वहां कोई हलचल न हो वह मजबूर हो गई यह मानने के लिये कि सचमुच वहां ला एण्ड आर्डर की हालत खराब है । चन्द एक मिसालें मेरे पास हैं एक गांव है तलौंडी साबू जिसको दमदमा साहब कहते हैं । वहां दिन के वक्त एक गिरोह आया इसने एक महाजन को पकड़ा और इससे कहा कि हम को पुनकहार का घर बताओ उस को अपने साथ इसके घर ले गए और वहां से इसकी नौजवान लड़की को उठा लिया । इस वाक़ये के दिन एस० पी० और एस० आई० वहां मौजूद थे । और वह लड़की डाकुओं ने सत्तरह हज़ार रुपये लेकर वापिस की इस तरह से कुछ और मिसालें भी मेरे पास हैं । गोनयन, मानसा मंडी, लहरागागा, और शेरगढ़ा ऐसे गांव हैं जहां से दिन के वक्त डाकू लड़कों को उठा कर ले गए और काफी रुपया लेकर वापिस किया ।

जैसा कि हमारे मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि यह बात ठीक है कि इस वक्त भी वहां साठ गांव ऐसे हैं जहां अमली तौर पर कम्यूनिस्टों का राज्य है । ऐसा क्यों है और दावा किया जाता है कि जो यूनाइटेड पार्टी की मैजौरटी थी उसको तोड़ दिया गया है । मैं यकीनन यह कहता हूं कि अगर तीन कम्यूनिस्ट मैम्बर इस तरफ मिल जाते तो शायद हाऊस में बाज़ी मार ले जाते मगर कम्यूनिस्टों का तो यह तरीका है कि एक मिनिस्टरी बनाने में तो वह शामिल हो जाते हैं, मगर उसे कायम रखने में शामिल नहीं होते, वह दूसरी तरफ हो जाते हैं कि इसे तोड़ दिया जाये । इसलिये उनके भरोसे जिन्होंने साठ गांवों पर कब्ज़ा किया हुआ है और लगान वसूल नहीं होने देते किसी मिनिस्टरी को कायम रखना मुझे नामुमकिन सी बात नज़र आती है ।

सभापति जी मैं आपकी इजाज़त से दो तीन मिनट में एक बात और कहना चाहता हूं । कहा गया है कि इससे सिक्खों को नाराज़गी होगी । मुझे इस बात का भी पता लगा है कि कुछ बड़े बड़े सरदार सिक्खों ने कई मौकों पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए यह

[ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर]

कहा है कि सिक्खों को नुकसान पहुंच रहा है उन्होंने इस पर बड़े दुख का इज़हार किया है और जेल जाने की तैयारी की है। सभापति जी मैं कहता हूं कि इस बीसवीं सदी में जरूर एक वक्त सिक्खों पर तकलीफ़ का आया था जिस वक्त कि पंडित जवाहरलाल जाकर नाभा में कैद हुए थे वह सिक्खों पर एक बड़ी मुसीबत और दुःख का वक्त था, जिस वक्त पंडित मोतीलाल जी अपने आनन्द भवन पैलेस (महल) से उठ कर जून जुलाई की गर्मी में अपने लाडले को नाभा की जेल में देखने आए थे। वह वक्त सिक्खों के लिए बड़ी तकलीफ़ और दुःख का वक्त था। वह वक्त वह था जब महात्मा गांधी ने अकाल तख्त साहिब में आकर दुःख के आंसू बहाए थे। वह वक्त था जब पंडित मालवीय जी ने अदालत में जा कर सिक्खों का केस पेश करते हुए अंग्रेज सरकार के बनाए हुए जज की आंखों से आंसू निकलवा दिए थे। वह वाक़ई सिक्खों पर मुसीबत का वक्त था उस वक्त उन बड़े सरदारों को कोई दुःख महसूस न हुआ। सभापति जी मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूं कि उस वक्त कितना दुःख था और यह जो कहते हैं कि इस वक्त हम पर बड़ा दुःख है वह इसके साथ इसका मुकाबिला करें। मेरे एक दोस्त थे जर्नलिस्ट इनका नाम था सरदार अमरसिंह वह एक अखबार निकालते थे जिसका नाम था "लायल गज़ट" आप इस नाम से ही समझ सकते हैं कि वह अंग्रजों के कितनें वफादार थे लेकिन उन्होंने भी अपने बच्चों को बुला कर एक रोज़ कहा कि मैं जेल जाता हूं अब मैं नहीं रह सकता क्योंकि यह सिक्खों पर दुःख का वक्त है। छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने कहा कि हम कैसे गुजारा करेंगे। उन्होंने बच्चों से कहा कि मैं तारीख़ में यह नहीं लिखवाना चाहता कि एक सिक्ख का बच्चा जिसमें सिक्ख का खून था जब सिक्खों पर मुसीबत का वक्त आया वह उस वक्त जेल में नहीं गया, मैं एक सिक्ख बाप का बेटा हूं इसलिये मैं जरूर जेल जाऊंगा।

मैं एक और मिसाल देना चाहता हूं कि वह सिक्खों पर मुसीबत का वक्त था जब कि मास्टर तारासिंह ने लाहौर, गुरुद्वारा डेरा साहब में कहा था कि सिक्खों पर इस वक्त मुसीबत है इस वक्त जो मदद नहीं करेगा वह सिक्ख का बच्चा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस वक्त अगर गुरू हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि वह हमारे गुरू नहीं हैं। यह उनके लफ्ज़ थे कि जो सिक्ख मदद नहीं करेगा वह सिक्ख नहीं है। और अगर गुरू हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम गुरु से भी मुनकिर हो जायेंगे। जो सिक्ख उस वक्त अंगरेज़ के जमाने में चुपचाप बैठे रहे और कोई दुख नहीं हुआ और वह सिक्ख कहते हैं कि हम पर बड़ा दुख है मैं मानता कि उन पर बड़ा दुख है अगर वह उस वक्त अंग्रेज़ के ज़माने में सामने आते और सिक्खों के दर्द में शामिल होते जिस वक्त कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपना दफ्तर अमृतसर में जाकर खोला था सिक्खों की मदद करने के लिये। उस वक्त जिन सिक्खों को जोश नहीं आया आज वह कहते हैं कि सिक्खों को बड़ा नुकसान हुआ है हम कानून तोड़ेंगे। मेरी समझ में यह बात नहीं आई। मैं भी सिक्ख हूं मैं भी चाहता हूं कि किसी ढंग से सिक्ख का भला हो मगर मैं देखता हूं कि यहां पर इस मामले पर कोई भी गड़बड़ पैदा करना किसी ढंग से भी ठीक नहीं है।

मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास और भी बहुत सी बातें कहने को हैं मगर मैं सभापति जी आपकी इज़ाजत न होने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इन

शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कहना कि कांग्रेस सरकार वहां किसी की दूसरी वज़ारत को सेन्ट्रल सरकार देखना नहीं चाहती थी बिल्कुल गलत है इस बात का किसी को कोई ख्याल नहीं है। मेरा जो कुछ कांग्रेस संस्था से सम्बन्ध है उसकी जानकारी की बिना पर मैं कहता हूं कि कांग्रेस हाई कमाण्ड की तरफ से कोशिश की गई कि वह वज़ारत कायम रहे और वह सूबा भी अच्छे ढंग पर आ जाए और दूसरे सूबों के साथ हो जाए चाहे वह वहां वज़ारत किसी भी पार्टी की हो यह बातें मैं अपनी जानकारी से कहता हूं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : गृह मंत्री ने इस बात पर बार बार ज़ोर दिया है कि सरकार ने यह असाधारण पग किसी दलबन्दी की भावना से नहीं उठाया। परन्तु यह तो तथ्य है कि सारे भारत में केवल पैप्सू का मन्त्रिमंडल ही एक ऐसा मंत्रिमंडल था जो कि गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल था। इस लिए सरकार के लिए यह और भी आवश्यक था कि वह संविधान के आपातिक उपबन्ध लागू करने में अत्यन्त सावधानी से काम ले। ऐसे गम्भीर मामले में सरकार के लिये आवश्यक था कि वह वे सब तथ्य और सामग्री हमारे सामने रखती, जिससे प्रकट हो सकता कि राष्ट्रपति की सम्मति में उस राज्य में संविधान का प्रवर्तन असम्भव था।

मुख्य कारण क्या दिया गया है? यही कि चुनाव याचिकाएं विचाराधीन हैं। परन्तु क्या अन्य स्थानों पर ये विचाराधीन नहीं हैं? कहा गया है कि निर्वाचन न्यायाधिकरण ने मुख्य मंत्री का चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। परन्तु क्या यह इतनी गम्भीर घटना है कि संविधान को स्थगित करना पड़े? यह उनका कोई दोष नहीं था। उन्हें कहा जा सकता था कि वे एक मास या इतनी ही अवधि में पुनः चुनाव के लिये खड़े हों। यदि आप का तर्क यह है कि भारत सरकार या राष्ट्रपति की नीति यह है कि भारत के किसी राज्य में ऐसा मन्त्रिमण्डल नहीं होना चाहिए जिसका सदन में स्पष्ट और पर्याप्त बहुमत न हो, तो बात समझ में आ सकती है। किन्तु मुझे इस बात में सन्देह है कि ऐसे मामले में संविधान के उपबन्ध लागू किये जा सकते हैं। यदि आप ऐसा समझते हैं, तो पहले अपने घर की ओर दृष्टि डालिये उड़ीसा में कांग्रेस दल का बहुमत नहीं था। वहां उन लोगों को जो कि कांग्रेस के विरुद्ध खड़े हुए थे बहला फुसला कर बहुमत पैदा किया गया है। मद्रास की ओर देखिये। वहां बहुमत कैसे बनाया गया है और श्री राजगोपालाचार्य को कैसे मुख्य मंत्री मनोनीत किया गया है? राजस्थान में क्या हुआ था जहां मन्त्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत भी नहीं होने दिया गया था? त्रावनकोर कोचीन की क्या स्थिति है? क्या वहां कांग्रेस मंत्रीमंडल का पर्याप्त बहुमत है? यदि भारत सरकार का वास्तव में यह सिद्धांत है कि प्रत्येक राज्य में ऐसा मंत्रिमंडल होना चाहिए जिसका विधान सभा में पर्याप्त बहुमत हो तो आपको ये सब उदाहरण ध्यान में रखने चाहियें और इस सिद्धान्त को समान रूप से सब राज्यों पर लागू करना चाहिए।

मैं सदन का ध्यान संविधान के अनुच्छेद ३५२ और ३५३ की ओर दिलाता हूं। आप के लिये यह आवश्यक नहीं कि आप अनुच्छेद ३५६ का आश्रय लें और मंत्रिमंडल को जिसे बहुमत प्राप्त है पदच्युत कर दें। इन अनुच्छेदों के अनुसार गृह मंत्री डा० काटजू शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने का कार्य भार स्वयं संभाल सकते थे। पैप्सू मंत्रिमंडल को इस पर कोई आपत्ति न होती। आपने इतने मासों तक प्रतीक्षा की है। आप कुछ देर और रुक सकते थे और उन सब स्थानों को जो चुनाव याचिकाओं के परिणामस्वरूप खाली हो गयीं थीं उपनिर्वाचन करके

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

भर सकते थे। इस बीच संविधान के उपबन्धों के अनुसार शान्ति और व्यवस्था गृह मंत्री अपने हाथ में ले लेने। किन्तु आपने ऐसा नहीं किया और इस से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आप उस एक मात्र राज्य से जहां गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल को हटाना चाहते हैं और ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि अगले निर्वाचनों में वहां आप की पसन्द का मंत्रिमंडल बन सके।

गृह मंत्री ने साम्यवादी दल के कार्यों की ओर भी निर्देश किया है। यदि साम्यवादी दल का पैप्सू के कुछ क्षेत्रों में प्रभाव है, तो इसका उपचार राष्ट्रपति का शासन नहीं, बल्कि यह है कि आपके दल को अधिक सक्रिय होना चाहिये और उनकी दुष्कृतियों को मिटाना चाहिये। यदि साम्यवादी दल ने कोई अवैध या खतरनाक काम किया है, तो आप उस पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। गृह-मंत्री ने कहा है कि कुछ क्षेत्र सरकार के अधिकार से बाहर हो चुके हैं। ये लोग कौन हैं, आप इन पर अभियोग क्यों नहीं चलाते? आप यहां से सेना भेज कर उन क्षेत्रों पर नियंत्रण क्यों नहीं करते? आप कहते हैं कि वहां सरकार ठीक तरह से नहीं चल रही है। मैं समझता हूं कि इस में पैप्सू मंत्रिमंडल का उतना दोष नहीं जितना कि डा० काटजू का है, जो उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। केवल पैप्सू मंत्रिमंडल पर दोषारोप करने से सरकार अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती। एक ऐसे राज्य के मामले में, जिसमें एक गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल सत्तारूढ़ था, सरकार के लिये यह और भी आवश्यक था कि वह सब तथ्य और सामग्री सदन के समक्ष उपस्थित करती और सदन को विश्वास दिलाती कि उसके लिये अन्य सब तरीके अपनाने के बाद अब अनुच्छेद ३५६ का आश्रय लेने के सिवा और कोई चारा नहीं था इस कारण मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन नहीं कर सकता।

श्री सारंगधरदास (ढेंनकनाल–पश्चिम कटक) : सब लोग जानते हैं कि सामान्य निर्वाचनों के पश्चात् कुछ राज्यों में विशेषतया मद्रास और उड़ीसा में कांग्रेस अल्पमत में थी। किन्तु वहां विधान को स्थगित नहीं किया गया। वहां ऐसी आवश्यकता नहीं उत्पन्न हुई। और न ही ऐसी आवश्यकता उन राज्यों में उत्पन्न हुई है जहां डाकों, हत्याओं आदि की भरमार है। उदाहरणतया मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में और भूपत के राज्य सौराष्ट्र में कई मासों से हर प्रकार की घटनाएं हो रही हैं किन्तु भारत सरकार ने इन राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं किया। इसलिये गृह तथा राज्य मंत्री के मुख से यह सुन कर आश्चर्य होता है कि शान्ति और व्यवस्था में गड़बड़ के कारण पैप्सू में संविधान स्थगित कर दिया गया है वास्तव में भारत सरकार की इच्छा यह है कि पैप्सू मंत्रिमंडल और यूनाइटेड फ्रन्ट दल का अन्त कर दिया जाये और राष्ट्रपति के शासन काल में कांग्रेस को मज़बूत किया जाये, ताकि वह बहुमत प्राप्त कर सके और वहां एक कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन सके।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजप्रमुख ने राज्य की स्थिति के बारे में जो पत्र भेजा है, वह हमारे सामने नहीं है। इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बिना यह समझना असम्भव है कि वहां संविधान को स्थगित करना क्यों आवश्यक है।

राज्य मंत्री ने शान्ति और व्यवस्था की स्थिति की ओर निर्देश किया है। मैं उनसे पूछता हूं कि उन तीन सालों में जबकि यह स्थिति अच्छी नहीं थी, क्या कर रहे थे? वास्तव में इन छोटे छोटे भाग ग राज्यों में

शान्ति और व्यवस्था की बात करना व्यर्थ है। आप भाग क या भाग ख राज्यों की स्थिति देखिये। राजस्थान, मध्य भारत और दिल्ली में क्या हो रहा है? मैं समझता हूं कि गृह मंत्री इस पग की आवश्यकता सिद्ध नहीं कर सके। अतः मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : हम जानते हैं कि पैप्सू में स्थिति खराब ही होगी। इसमें कोई सन्देह नहीं। किन्तु यदि सरकार वास्तव में इसे सुधारना चाहती तो वह अन्य पग उठाती। उदाहरणतया सब से पहले तो पैप्सू के राजप्रमुख को हटा देना चाहिए था और पैप्सू के बिखरे हुए टुकड़ों को मिला कर एक सुदृढ़ राज्य बना देना चाहिए था। कृषि सम्बन्धी सुधारों के मामलों में भी बहुत प्रगति की जा सकती थी। सरकार ने इसमें से कोई चीज़ नहीं की, बल्कि संविधान के एक अनुच्छेद का आश्रय ले लिया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुच्छेद ३५६ केवल तभी प्रवर्तन में लाया जा सकता है जब कुछ आवश्यक औपचारिक बातें पूरी कर ली गई हों और यह सिद्ध हो गया हो कि सब संवैधानिक उपाय, अर्थात् निदेश देना, चेतावनी देना, निर्वाचनों की आज्ञा देना आदि असफल रहे हैं। किन्तु ऐसा कोई काम नहीं किया गया। हमें यह भी ज्ञात नहीं कि राजप्रमुख ने क्या रिपोर्ट भेजी है।

निस्संदेह पैप्सू की स्थिति कुछ समय से बहुत शोचनीय रही है और माननीय मंत्री ने कहा है कि वे सुन्दर शासन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। यद्यपि यह बात वांछनीय है, तथापि इसके लिये संविधान के अनुच्छेद ३५६ की सहायता उचित नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था के असफल हो जाने के बाद ही ऐसा पग उठाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। डा० काटजू ने यह भी कहा है कि वे कृषि सम्बन्धी सुधारों के लिए बहुत उत्सुक हैं। इस सम्बन्ध में मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि स्वयं कृषि सम्बन्धी सुधारों के मामले में ही सरकार ने जनता के हितों के विरुद्ध कार्रवाई की है। जहां तक पैप्सू में हमारे दल का सम्बन्ध है, इसकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हमें न तो राड़ेवाला और न रघुबीरसिंह से कोई लगाव है। जहां तक लोक हित का सम्बन्ध है दोनों ने अत्यन्त निन्दनीय व्यवहार किया है। इन परिस्थितियों में हम से जो कुछ हो सकता था, हमने किया है। हमने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति का लाभ उठाते हुए राड़ेवाला मंत्रिमंडल को बाधित किया था कि वे लोगों के हित में कोई न कोई पग उठाये और हम कह सकते हैं कि हम ने थोड़ी बहुत सफलता भी प्राप्त की है। कुछ ऐसे विधेयक पारित किये गये हैं जिन से किसानों की दशा में सुधार हुआ है। उदाहरणतया इस विधेयक को लीजिये जो इच्छाधीन कृषकों के बारे में है। बटाई निश्चित करने और उन्हें स्वामित्व प्राप्त करने के कुछ अधिकार देने से ५०,८३८ परिवारों को लाभ पहुंचा है और पैप्सू की लगभग ४० प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर इसका प्रभाव पड़ता है। यह हमारी सफलता का एक उदाहरण है।

सरकार को यह बात बिल्कुल पसन्द नहीं है। राज्य मंत्री ने पूरी कोशिश की है कि किसानों के हितों के लिये किये गये कामों में बाधा डाली जाए। ऐसा करने से ही उनके उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इस क्षेत्र में उन्होंने यह चाहा है कि दो स्पर्धी भूमिपतियों के दलों को आपस में भिड़ाया जाय। पैप्सू में यह उथल पुथल इसलिये हुई कि राड़ेवाला और रघुवीरसिंह मिल जाएं। इसके पीछे राजप्रमुख का हाथ है।

यदि आप उसे इस संदर्भ में देखेंगे तो षड्यन्त्र की गहराई का पता चलेगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य २ मिनिट और बोल सकते हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : दूसरी बात यह है कि कांग्रेस स्वयं को तानाशाही के विरुद्ध घोषित करती है परन्तु व्यवहार में बात दूसरी है । जिन विधान सभाओं में कांग्रेस दल निर्बल है वहां पर सदैव राष्ट्रपति के शासन होने का भय रहता है । शायद आंध्र में भी यही हो ।

एक कांग्रेसी समाचार पत्र अमृतबाजार पत्रिका, कलकत्ता ने ७ मार्च के अग्रलेख में पैप्सू में राष्ट्रपति के शासन की प्रशंसा करते हुए आंध्र के बारे में लिखा है कि यदि वहां की विधान सभा में कांग्रेस दल का बहुमत न हुआ तो पैप्सू की तरह वहां पर भी राष्ट्रपति का शासन होगा । यही बात हैदराबाद और त्रावणकोर-कोचीन के बारे में कही जा रही है । जिन राज्यों की विधान सभाओं में कांग्रेस दल का पर्याप्त बहुमत नहीं है वहां सदैव इस बात का भय बना रहता है । यदि कांग्रेस ने कोई रचनात्मक कार्यक्रम बनाया होता, राजप्रमुखों को हटाने का प्रयत्न किया होता । उपचुनावों की शीघ्रता कराई होती तथा क्षेत्र सुधार करने में शीघ्रता की होती तो यह शासन ठीक समझा जा सकता था परन्तु इसके अभाव में इस शासन द्वारा लोगों के अधिकारों को मिटाया जा रहा है ।

श्री जोशिम अलवा (कनारा) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । पेप्सू में शान्ति तथा सुरक्षा नहीं थी अतएव अनुच्छेद ३५६ के अनुसार राष्ट्रपति को घोषणा करनी पड़ी ।

डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने प्रश्न यह उठाया था कि राष्ट्रपति की घोषणा होने से पहले राजप्रमुख या राज्यपाल की रिपोर्ट क्या राष्ट्रपति को सदन के समक्ष रखना चाहिए । मेरे विचार में वह नहीं रखी जानी चाहिए । मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय अथवा सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर अपना निश्चय दे ।

सदन में सिक्खों की स्थिति के बारे में कुछ कहा गया है । मेरे विचार में भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है तथा किसी जाति विशेष के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है । हमें सिक्खों के प्रति बड़ी श्रद्धा है । वे बड़े शूरवीर हैं परन्तु कोई भी जाति राज्य के शासन पर उससे अधिक प्रभाव नहीं डाल सकती जितना कि उसकी संख्या के अनुसार उचित रूप से डाला जा सकता है । यही बात ईसाइयों और मुसलमानों पर लागू होती है । इस सिद्धांत के अनुसार ही देश का शासन चलाया जा सकता है । जब तक हिन्दुओं का बहुमत रहेगा तब तक उनका प्रभाव भी अधिक रहेगा परन्तु वे धर्म निरपेक्ष राज्य के आदर्शों की अवहेलना न कर सकेंगे ।

पेप्सू में हालत बड़ी खराब है । आये दिन मनिस्ट्रियां बदलती रहती हैं । सदस्य एक दल छोड़ बड़ी सरलता से दूसरे दल से जा मिलते हैं । मैंने पेप्सू नहीं देखा है परन्तु मैं वहां के प्रमुख लोगों से मिल चुका हूं । हम नहीं चाहते कि वहां पर अशान्ति और कुव्यवस्था हो । इसलिये यदि वहां के शासन को राष्ट्रपति ने अपने हाथों में ले लिया है तो अच्छा ही किया है । मैं संकल्प का समर्थन करता हूं । आशा है छः महीने अथवा एक साल में वहां लोकतंत्रात्मक राज्य स्थापित किया जा सकेगा ।

प्रो० अग्रवाल (वर्धा) : पेप्सू में बड़ी विचित्र बातें हो रही हैं । वह राज्य राजनीतिज्ञों की स्वार्थता का क्रीड़ा क्षेत्र बन गया है । लोग अपने दल को छोड़ दूसरे दल में सरलता से मिल जाते हैं । इस तरह से लोकतन्त्रात्मक राज्य नहीं चलाया जा सकता । युनाइटेड फ्रंट पार्टी में पहले २३ अकाली सदस्य तथा २ स्वतन्त्र सदस्य थे । इसके पश्चात् सात सदस्य उससे जा मिले । इन सातों को मंत्री, उपमंत्री तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि बना दिया गया । कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया । पेप्सू में दल बदलने वाले सदस्यों को देख

जनता को यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि वह सुसंगठित दलों के व्यक्तियों को ही चुने।

यह सत्य नहीं है कि पेप्सू में राज्य मंत्रालय ने कांग्रेस दल की सहायता की है। कांग्रेस का ध्येय नहीं है कि किसी भी तरह से शक्ति अपने हाथों में ले ले। लोकतन्त्र के नाम पर आज पेप्सू में जो बातें हो रही हैं वे नहीं होने देना चाहियें।

पैप्सू में शान्ति तथा सुरक्षा नहीं है। पिछले कुछ महीनों से वहां बड़ा आतंक छाया हुआ है। ६० अथवा ८० गांवों में इस सरकार के सिवाय वहां दूसरी सरकार भी शासन कर रही थी; वह कर वसूल करती थी तथा लोगों को दंड देती थी। उनके विरुद्ध मंत्रियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। सीमान्त राज्य का शासन इस प्रकार नहीं होना चाहिये। अतएव वहां अब जो शासन स्थापित किया गया है वह बहुत आवश्यक था।

शिकायतें सुनने में आई हैं कि पिछले चुनाव में सरकारी कर्मचारियों ने खुली तौर पर कुछ दलों के साथ पक्षपात किया था। राज्य मंत्री इस विषय की जांच करें तथा जो पदाधिकारी अपराधी सिद्ध हों उन्हें दंड दिया जाए। यदि उन्हीं अधिकारियों को वहां रखा जाएगा तो वहां न्याय चुनाव न हो सकेगा। डा० मुखर्जी ने यहां कुछ तीखी बातें कही हैं। कानून बनाने वालों को चाहिए कि वे कानून तोड़ने वालों को प्रोत्साहन न दें। संसद् सदस्य देश में शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करने के पक्ष में रहें।

श्री नामधारी (फाजिल्का सिरसा) : राष्ट्रपति का शासन वहीं होता है जहां शान्ति और सुरक्षा नहीं होती तथा वहां जहां स्थायी मिनिस्ट्री नहीं होती। पंजाब में कांग्रेस दल का बहुमत था परन्तु जनहित का ध्यान रखते हुए केन्द्र ने उसकी चिन्ता न कर उस मिनिस्ट्री को समाप्त कर दिया। अतएव यह कहना झूठ है कि पैप्सू में कांग्रेस मिनिस्ट्री नहीं थी इस कारण उसे समाप्त किया गया।

पैप्सू में अशान्ति है तथा सुरक्षा नहीं है। वहां डाकुओं और लुटेरों का आतंक छाया हुआ है। मुझे स्वयं दो पुलिस कांस्टेबिलों को साथ लेकर यात्रा करनी पड़ी थी।

जिस राज्य में जिस जाति के लोगों का बहुमत है उसमें उनका प्रभाव रहेगा। हैदराबाद में हिन्दू, काश्मीर में मुसलमान तथा पैप्सू में सिक्ख। परन्तु धर्म के नाम पर पाप करने की क्या आवश्यकता? कुछ सरदार जनता को भड़का रहे हैं। वास्तव में अकाली खराब नहीं हैं, अकालियों के नता अच्छे नहीं हैं। कांग्रेस सब लोगों की रक्षक है तथा सिक्खों को कोई भय नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने अकाली आन्दोलन का समर्थन किया है। कुछ लोग कहते हैं कि सिक्खों के धार्मिक अधिकारों को नष्ट किया जा रहा है। ननकाना हुतात्मा दिवस अमृतसर के गुरुद्वारों में २१ फरवरी को मानाया गया था फिर २२ फरवरी को आम जगह में उसे मनाने की क्या आवश्यकता थी? धारा १४४ वहां पहले से ही लागू थी। वह खास तौर से सिक्खों के विरुद्ध नहीं लगाई गई थी। सिक्खों को गुरुओं के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना चाहिए।

हम सिक्खों के सेवक हैं तथा हम सदैव उनका साथ देंगे। हुतात्मा दिवस मनाने में सब कोई हमारा साथ देंगे। परन्तु उस दिन वह दिवस जनता को भड़काने के लिये मनाया गया था।

पैप्सू में कोई असंवैधानिक बात नहीं की गई है। पटियाला के महाराजा ने सबसे पहले अपना राज्य भारत में मिलाया था अभी उन्हें कुछ लोगों ने भड़का दिया है।

मुझे मालूम नहीं डा० मुखर्जी इतने अधिक नाराज़ क्यों हुए।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यासीन]

मैं चाहता हूं कि पप्सू की जनता अच्छे लोग चुने जो ठीक प्रकार से शासन चला सकें। वे ही स्थायी सरकार स्थापित कर सकेंगे।

श्री चिनारिया (महेन्द्रगढ़) : मैं तो यह समझने लगा था कि पैप्सू की डिमाक्रेसी तो डिस्टर्ब हुई ही है, यहां की भी डिस्टर्ब हुई है। पैप्सू पर डिस्कशन होता है, पप्सू के चार पांच मेम्बर बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक उन को मौका नहीं दिया गया। उन की कोई आवाज ही नहीं है। हमारी जिन्दगी का सवाल हमारे सामने है फिर भी पैप्सू के रहने वालों को वक्त नहीं मिला। खैर, यह शुक्र है कि हमारे घर में खराबी हुई तब एक साल बाद मुझे खड़े होने का मौका मिला, वर्ना शायद किसी को मालूम भी नहीं कि पैप्सू का भी कोई यहां बैठा हुआ है। यहां पर लोग कहते हैं कि यह गवर्नमेंट कांग्रेस को सपोर्ट करती है, लेकिन हाल यह है कि यहां पर हमारी पैप्सू का कांग्रेस को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। घर की बातें तो बाद में कहूंगा। उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर हम कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगायें कि वह हमारी मदद नहीं कर रही है तो एक बात है, लेकिन मुझे तो दुख होता है कि बिल्कुल इस की उल्टी बात कही जा रही है। अगर इस हाउस में मैं एक एक बात बतलाने लगूं तो वह एक घंटे में एक भी खत्म न होगी। यहां की मिनिस्ट्री ने, यहां की गवर्नमेन्ट ने और यहां की कांग्रेस ने कांग्रेस वालों के खिलाफ क्या क्या काम किये हैं। आज कांग्रेस वालों के लिये यह कहा जाता है कि उन्हों ने यह कर दिया या वह कर दिया। हमारे दिलों से पूछिये कि वहां के आदमियों को क्या क्या शिकायतें हैं।

वह लोग कि जिन्होंने क्रास फ्लोर किया है उन्होंने आज नहीं किया बल्कि सन् ४८ में किया था। इसके लिये आप पहले की हिस्ट्री देखिये। मुझे दुख है कि पैप्सू में डिमाक्रेसी फेल हुई। क्या आप समझते हैं कि इस से कांग्रेस वालों को खुशी हुई थी, ऐसा नहीं है। हमें रंज है कि पहले हमारे यहां पैप्सू में डिमाक्रेसी फेल हुई। कौन चाहता है अपनी बदनामी। मैं कांग्रेस से ताल्लुक रखता हूं और हमारा हाई कमान्ड और दुनिया जितना वहां की कांग्रेस को कमजोर समझते हैं उतनी कमज़ोर नहीं है। और हम दिखा देंगे जब इलेक्शन आयेंगे कि कौन जीतता है। मुझे सिर्फ दुःख इस बात का है कि गलत इल्जाम लगाया जाता है। इस हाउस में कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने कांग्रेस की मदद की है। मैं तो इस हाउस को मुल्क की सब से बड़ी पंचायत समझता था। मैं बचपन में देहात में यह सुना करता था कि पंच परमेश्वर होता है। परमेश्वर जहां होता है वहीं सचाई और अक्ल होती है। सत और चित के मिलने से परमेश्वर होता है। इसलिये पंचायत में सच्ची बात कहनी चाहिये। लेकिन यहां क्या है। इधर वाले एक बात को चाहे वह सही हो या गलत ही सही कहेंगे और उधर वाले इधर की बात को गलत कहेंगे। तो सचाई पर तो नहीं रहे। अगर डिमाक्रेसी के माने पंचायत राज के हैं तो इसको सच्ची पंचायत बना दीजिये। किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। सच्ची बात कहिये। मेरे दिल में जो सच्ची बात मालूम होती है उसे मैं मान लूं आपके दिल में जो बात सच्ची मालूम होती है उसको आप मान लें। लेकिन वाकया यह नहीं है। मुझे कांग्रेस में आज तीस बरस हो गये हैं। लेकिन खैर यह दिल की आग थी। हमारे सरदार लाल सिंह जी इस वक्त बहुत सी बातें कर रहे हैं, वह मुझे शाबाशी दे रहे हैं लेकिन शायद

आगे नहीं देंगे। यह तो दिल की आग थी वह निकल चुकी अब दूसरा आदमी बोल रहा है।

मुझे तो खुशी होती अगर आज सरदार हुकुमसिंह जी बोलते। मैं उनको जवाब देता। उनके लिये मेरे दिल में इज्जत है आप के लिये भी है। लेकिन उनसे अपनायत थी। उनको मैं अपना बुजुर्ग समझता हूं। आपने भी एक लफ्ज़ कह दिया कि वह सिख मैजारिटी का इलाका है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सभापति को सम्बोधन करें सरदार लालसिंह को नहीं।

श्री चिनारिया : तो सिख इलाका है, यह एक बड़ी अजीब सी बात बन गयी है। अंग्रेजों के जमाने में अगर हम हिन्दू और मुसलमान और सिख की बात कहते तब तो कोई बात थी। अंग्रेज ने ही हमको अलग अलग होना सिखाया था। आज हिन्दुस्तान हमारा है। यह कहने से क्या बनता है। सिख कब बने थे जब मुल्क ने यह समझा कि एक फारेन गवर्नमेंट यहां राज कर रही है उस वक्त सिख बने, काली पगड़ियां बांधी और फौज खड़ी की उनसे लड़ने के लिए। अब वह लोग नहीं रहे। उनके बाद आने वाले भी निकल गये लेकिन आज भी वह फौज कहती है कि हम कुछ अलग चीज़ हैं। तुम तो मुल्क की हिफ़ाज़त के लिये थे। अगर मेरा एक भाई आज फौज में भरती हो जाय तो वह खाकी वरदी पहनेगा। लेकिन पेंशन लेकर जब वह घर आये तो उस वक्त भी क्या उस को कहना चाहिए कि मैं तो तुम से अलग हूं मैं खाकी पहनता हूं। तो वही बात सिखों की है। कोई नयी बात नहीं है सिख मज़हब की मैं उतनी ही इज्जत करता हूं जितनी कि सरदार लाल सिंह या श्री मुसाफिर साहब करते हैं। मैं गुरु गोविन्द-सिंह जी की उतनी ही इज्जत करता हूं। और ग्रन्थ साहब में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि मैं हिन्दू रहते हुए भी न मान सकूं। इसलिये आज के हिन्दुस्तान में तो सिख के कोई मानी ही नहीं हैं। जो लोग आज सिखिज्म का नारा लगाते हैं वह यह नहीं समझते कि हम सब हिन्दुस्तान के हैं हिन्दू सिख वगैरह का कोई सवाल आज नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में सिख थे, हिन्दू थे, मुसलमान थे, जैनी थे, लेकिन वह चीज़ तो आज बिल्कुल बदल गयी है।

अभी मेरे दोस्त सरदार लाल सिंह यहां ठंडी हवा में यह बात कह गये कि पैप्सू में तो राड़ेवाला ने स्वर्ग ला दिया था। मिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी कह दिया कि डाके तो बम्बई में भी पड़ते हैं पहले पड़ते थे और अब भी पड़ते हैं। ठीक है। डाके पड़ते हैं, अब भी पड़ रहे हैं और आगे भी पड़ेंगे लेकिन डाके मालदारों पर ही पड़ते हैं पर पैप्सू में क्या हालत है। आप जाकर एक जट्टी से पूछिये कि क्या उसमें इतनी हिम्मत है, कि वह दोपहर को रोटी लेकर खेत पर अपने आदमी को दे आवे। उसके गले में एक पचास रुपया का कंठा है, तो उसको डर है कि अगर वह रोटी देने गयी तो यह कंठा लौटेगा या नहीं, हो सकता है कि उसका कंठ भी दबा दिया जाय। उस किसान को पूछिये जिसे वक्त बेवक्त खेत पर जाना पड़ता है, खेती के काम से रात को भी जाना पड़ता है, रखवाली के लिये खेत पर रहना पड़ता है। वक्त बेवक्त बैल लेकर जाना पड़ता है। उसको डर है कि वह बैल लेकर लौटेगा भी या नहीं। यही नहीं उसे यह भी डर है कि मेरी जान भी बचेगी या नहीं। किसान खेती करने खेत पर नहीं जा सकता। यह हालत है। वहां आदमी घर से बाहर नहीं जा सकता। यह हालत तो किसान की है। दुकानदार और पैसे वालों की तो मजाल क्या है कि इधर से उधर भी जा सके। मेरे दोस्त

[श्री चिनारिया]

लाल सिंह जी चाहते हैं कि फाईव इअर प्लान भी आ जाय, सेल्फ सफीशेंसी भी हो जाय, लेकिन वहां यह हालत है कि किसान को यह पता नहीं कि वह खेत से वापस भी आ सकेगा। कैसे व्यापार हो सकता है, कैसे कोई सनअत वहां हो सकती है। उसे अपनी जान का डर है, इस तरह कैसे कोई काम हो सकता है। यह चीज़ें वह नहीं देखते यही नहीं बसें ठहरा कर लूटली जाती हैं।

श्री जी० एस० सिंह (भरतपुर सवाई माधोपुर) : सरकारी कर्मचारी तो वहीं रहेंगे।

श्री चिनारिया : अंग्रेज ने दो चीज़ें ही तो यहां छोड़ी हैं। आज भी हम उन्हें चला रहे हैं, एक तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और दूसरा यह निकम्मा एजूकेशन का सिस्टम जिससे आदमी के हाथ पैर ही निकम्मे हो जाते हैं। वह किसी काम का नहीं रहता। यही दो चीज़ें अंग्रेज़ छोड़ गये हैं। पर हमारे पैप्सू में तो एक तीसरी चीज़ है जिसे काकाक्रेसी कहते हैं। अभी कल मिस्टर मोरे ने दो चीज़ें बताई थीं, एक देशमुख क्रेसी और एक दूसरी मोरो क्रेसी। मगर हमारे यहां एक तीसरी काकाक्रेसी है। इधर मालूम नहीं काका से क्या समझते हैं पर हमारे पंजाब में काका से बेटा समझा जाता है। हम बेटे को काका कहते हैं। तो पेप्सू में बड़े बड़े फ्यूडल लैंड-लार्डस के लड़के बड़े बड़े ओहदों पर और पुलिस में काम करते हैं। इसीलिये कहने को तो वहां डेमाक्रेसी थी लेकिन वहां तमाम सरविसेज़ पार्टीज़ के साथ शामिल थी। कोई काम हो यह पूछा जाता था कि तुम किस पार्टी में हो, अगर पुलिस में रिपोर्ट भी लिखना है तो यह पूछा जाता था कि तुम किस पार्टी में हो किस पार्टी से ताल्लुक है। यह डिमाक्रेसी वहां पर वर्क कर रही है।

मेरे दोस्त यह कहते हैं कि गलत चीज़ कर दी गयी है, कांग्रेस की रिआयत की गयी है। अगर रिआयत की गयी है तो उस जनता के साथ की गयी है जो कि उस गवर्नमेंट से दुःखी थी। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस गवर्नमेंट हो या कोई और हो। हमारे यहां के नेताओं को तो शायद ख्याल भी नहीं होगा कि वहां कांग्रेस थी भी। मुझे तो शक है कि उन्हें आया ख्याल भी है कि नहीं कि कांग्रेस वहां थी। मगर उन्हों ने आजादी आते ही इन्हीं राड़ेवाला साहब को प्राईम मिनिस्टर बनाया जो आज अमृतसर में जा कर सत्याग्रह कर रहे हैं, वरना उन को कौन जानता था, एक सरकारी अफसर थे। राजप्रमुख के रिश्तेदार थे लेकिन पालिटिक्स से उनका क्या वास्ता था। यह वही कांग्रेस गवर्नमेंट है जिसने कांग्रेस को भुला कर राड़ेवाला को आगे रख कर चीफ मिनिस्टर बनाया, और एक बार नहीं, तीन चार दफा उसी तरह से बनाया। तो आज अगर वहां कहा जाय कि कांग्रेस कमज़ोर है और कांग्रेस को मज़बूत करने के लिये यह किया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। "ई ख्यालस्तो महालस्तो जनू" मैं तो यही कहूंगा।

अभी तो असली बात मैंने कही ही नहीं, बहुत सी बातें कहनी थीं।

उपाध्यक्ष महोदय : पैप्सू के दो सदस्य श्री रणजीतसिंह और अजीतसिंह भी बोलना चाहते हैं।

श्री चिनारिया : अगर दो साहबान न बोल रहे हैं तो उनका वक्त भी मुझ को ही दे दिया जाय।

श्री रणजीतसिंह (संगरूर) : पैप्सू में सिक्खों का बहुमत है। १९४७ के पहले वहां दो बड़े दल थे ––कांग्रेस और अकाली। सामान्य निर्वाचन के बाद वहां कांग्रेस की

मिनिस्ट्री हुई तथा अकालियों की अवहेलना हुई।

कांग्रेस ने अपने पोलिंग आफीसर और रिटर्निंग आफीसर नियुक्त किये थे। बहुत से लोगों के नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार किए गए थे। अतएव ३१ चुनाव प्रार्थनाएं हुईं तथा १० सदस्यों को अपनी सीटें छोड़नी पड़ीं। सरदार ज्ञानसिंह राड़ेवाला को भी अपनी सीट छोड़ देनी पड़ी। छः महीने तक शासन चलाने की उन्हें अनुमति नहीं दी गई। युनाईटेड फ्रंट दल के सदस्यों ने दूसरे दल नेता चुनने की अनुमति मांगी परन्तु वह नहीं दी गई। कांग्रेस दल के लोगों को भय था कि उपनिर्वाचन में युनाईटेड फ्रंट पार्टी के लोग ही चुने जायेंगे तथा बाद में उन्हें निकालना कठिन होगा। अतएव वहां राष्ट्रपति का शासन घोषित कर दिया गया। युनाईटेड फ्रंट दल के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया।

दिल्ली से एक परामर्शदाता भेजा गया है। क्या इस काम के लिये पेप्सू का कोई व्यक्ति नहीं लिया जा सकता था। मेरी समझ में यह शासन छः सात मास में समाप्त हो जाएगा तथा चुने गए मंत्रियों के हाथ में शासन आ जाएगा।

परामर्शदाता ने कहा है कि वह अराजकता समाप्त करने, भूमि सुधार करने तथा साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिये भेजा गया है।

हम भी चाहते हैं कि वहां भूमि सुधार हो। अराजकता वहां पर तब ही मिटेगी जब धन के असम वितरण का अन्त कर दिया जाएगा। पैप्सू में चने की नियंत्रित दर ९ से लेकर ११ रुपये मन है। यह मूल्य वहां के किसानों को मिलता था। यही चना १५ से लेकर ३५ रुपये मन के भाव से बाहर भेजा जाता था। यह लाभ दुकानों में बैठे हुए लोगों को होता था। इनका व्यापार के ऊपर पूर्ण नियंत्रण है। ऐसे लोग ही वहां पर कांग्रेस के पतन होने के कारण हैं।

पैप्सू के कुछ भागों में पंजाबी बोली जाती है तथा शेष में हिन्दी। ४४ निर्वाचन क्षेत्रों में सिक्खों का बहुमत है। मैं उनसे अपील करूंगा कि वह ऐसी कोई बात न करें जिससे कि सरकार को कठिनाई हो। साम्प्रदायिकता के आधार पर पंजाब और पैप्सू में कोई सरकार स्थापित नहीं की जा सकती।

सरकार को चाहिए कि वह सिक्खों की मांगें पूरी कर दे, उनकी शिकायतें दूर कर दे तथा उन पर विश्वास करे। मुझे विश्वास है कि देश को सबल बनाने में वे बड़े सहायक होंगे।

श्री अजीतसिंह (कपूरथला-भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां): पैप्सू के बारे में मेरे मुअज़्ज़िज दोस्तों ने बहुत कुछ कहा है और आनरेबुल मिनिस्टर ने भी हमको बतलाया है कि यूनाइटेड फ्रंट पार्टी के मेम्बरों की तादाद भी कम थी, दूसरे वहां लालेसनेस बहुत ज्यादा है और वहां कोई कानून और कायदा नहीं चलता है, इसलिये उन्होंने राड़ेवाला मिनिस्ट्री को तोड़ दिया और प्रेसीडेंट का शासन स्थापित करने पर मजबूर हो गये। लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि बात सिर्फ इतनी सीधी नहीं है जितनी कि बतलाने की कोशिश की जा रही है। हक़ीक़त यह है कि श्री तख्तमल जैन कांग्रेस के कार्य और संगठन के बारे में जो जांच पड़ताल करने और चैक करने पैप्सू गये ताकि कोई टीका वगैरह लगा कर हो सके तो कांग्रेस को वहां फिर से शक्तिशाली बनायें, लेकिन उन्होंने वहां पहुंच कर कांग्रेस की हालत देखी तो पता चला कि यह तो मुर्दा हो चुकी है और यहां कांग्रेस संस्था जिन्दा नहीं हो सकती चाहे नश्तर लगाया जाय या और कुछ किया जाय तब लाचार होकर उन्होंने

[श्री अजीतसिंह]

वहां से वापिस आने पर हमारे गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर साहब को बतलाया कि पैप्सू में कांग्रेस खत्म हो चुकी है और यह सोचा गया कि अभी और कोई तरीक़ा अपनाना चाहिए जिससे कि हम ज़िन्दा रह सकें। उन्होंने जो यह राजप्रमुख रूल स्थापित किया है, यह लोगों के साथ कोई रिआयत नहीं है बल्कि उनका गला घोंटा गया है। राजप्रमुख का राज्य सरमायेदारी का राज्य है और वहां पुलिस को अनरिसट्रिक्टेड पावर है कि जाकर वह लोगों की बहू बेटियों को बेइज्जत करे और यह वाक़या है कि पुलिस लोगों पर जुल्म और ज्यादतियां कर रही है और जब राजप्रमुख ही स्वयं राजा है तो पुलिस जुल्म और सख्तियां करने से क्यों हिचकेगी।

मिनिस्टर साहब ने लालेसनेस का जिक्र किया तो मैं उनको बतलाऊं कि राड़ेवाला मिनिस्ट्री से पहले जब पैप्सू में कांग्रेसी मिनिस्ट्री थी तो मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं खुद उन गाड़ियों में सफर करता रहा हूं जो गाड़ियां लूटी गयीं। कांग्रेस की हुकूमत में वहां गाड़ियां लूटी गयी हैं। आज हुआ यह है कि युनाइटेड फ्रंट मिनिस्ट्री को बदनाम करने के लिये और उसको भंग करने के लिए गलत गलत प्रोपेगंडा किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि मानसा के श्री देशराज जो पहले मिनिस्टर थे उन्होंने पांच छः दिन के लिए एक लड़के को कमरे में बन्द कर दिया और अखबारों में यह लिख दिया कि डाकू उठा ले गए, और पांच छः रोज के बाद बच्चे को बाहर निकाल लाया गया, हमें इसका पता लगा और मालूम हुआ कि यह लोग किस तरह प्रोपेगेंडा करके युनाइटेड फ्रंट को बदनाम कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि लालेसनेस का जिक्र किया जाता है, तो क्या दूसरे सूबों में लालेसनेस नहीं हो रही। भूपत डाकू को लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी से भी ज्यादा जानते हैं। पैप्सू के लिये कोई मेम्बर खड़ा होकर मुझे बतलाये कि वहां का ऐसा कौन सा डाकू है जिसे लोग नेहरू जी से ज्यादा जानते हैं। इसके अलावा मैं आपको बतलाऊं कि मेरे गांव के साथ ही फीरोजपुर का इलाका लगता है, वहां के दो आदमियों को मार कर पुलिस वालों ने हमारी हद्द में फेंक दिया और उनको हमारी हद्द में छोड़ कर कह दिया कि पैप्सू में वारदातें ज्यादा होती हैं और आये दिन कत्ल व लूट मार होती है, वहां लालेसनेस बहुत है, अस्ल में अपराध तो उन्होंने किया और बदनाम हमको किया जाता है।

दूसरी बात मैं जनरल इलेक्शन के बारे में कहना चाहता हूं। उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी पीछे जो जनरल इलेक्शन हुआ था, उस वक्त वहां पर कांग्रेस की मिनिस्ट्री तो नहीं थी, केयर टेकर गवर्नमेंट बनायी गयी थी। मैं आनरेबिल मिनिस्टर के सामने यह बात रखना चाहता हूं तथा प्राइम मिनिस्टर से भी यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आयन्दा इलेक्शन पैप्सू में प्रेसीडेंट और राजप्रमुख के रूल के अन्डर होंगे तो इलेक्शन फेयर नहीं होंगे और पार्शियेलिटी होगी, इसलिये मेरा सुझाव है कि लास्ट गवर्नमेंट को इलेक्शन के वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट बना दिया जाय तो ठीक होगा।

अब मैं रिजेक्शन आफ़ पेपर्स के बारे में आपको बतलाना चाहता हूं। और नाम लेकर बतलाऊंगा कि वहां पर कांग्रेस के दो भूतपूर्व मिनिस्टर श्री जैलसिंह और सम्पूर्णसिंह ने डिप्टी कमिश्नरों के सामने बैठ कर मुख़ालिफ पार्टी के कई आदमियों के नामिनेशन पेपर्स रिजेक्ट करवाये और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के मंजूर करवाये।

मुझे एक इन्स्टेन्स याद है। हमारी पार्टी के कैन्डिडेट के मुकाबले में एक नक्षत्र

सिंह को कांग्रेस टिकिट मिला हुआ था। उस आदमी की उम्र मुझ से भी चार पांच साल कम है। जब वह नामिनेशन पेपर ले कर आया तो आबजेक्शन हुआ कि उस की उम्र तो सिर्फ साढ़े बाइस है। वह है तो मेरा रिश्तेदार मैं जानता हूं कि पैप्सू के मिनिस्टर सरदार सम्पूर्णसिंह धौल कहने लगे कि उस की उम्र बहुत ज्यादा है और उस डिप्टी कमिश्नर को धमका कर उम्र ठीक करवा दी और उसका नामिनेशन पेपर भी ऐक्सेप्ट करवा दिया। इसी तरह एक इन्स्टेन्स ज्ञानी जैलसिंह का है। फरीदकोट में उन के पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं लेकिन केटकपुरा में ऐक्सेप्ट हो जाते हैं। यह है उन लोगों का इन्साफ। आपने कहा है कि पैप्सू वालों को डिमाक्रेसी का पता नहीं है कि वह क्या चीज है। लेकिन मैं कहता हूं कि पैप्सू वालों को डिमाक्रेसी का पता लग गया है। पहले पैप्सू वाले न जानते हों लेकिन अब उन के साथ और पंजाब वालों की कुछ थोड़ी थोड़ी बातें होने लगीं, हैं और यह लोग इकट्ठा हो गये हैं, और इकट्ठा हो कर उन में अक्ल आने लगी है।

जहां तक पार्ट सी और और पार्ट बी स्टेट्स की बात है वह तो आप जाने या आपकी सरकार लेकिन उन लोगों को इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ पाने के लिये यहां आये हैं। आप के लिये हंसी की बात हो तो हो क्योंकि आप मेजारिटी में हैं जो चाहे कीजिये।

एक और बात है। हमारे यहां जो प्रेजिडेन्ट्स रूल किया है उस से मुझे तो यह शक होता है कि पैप्सू का जो आने वाला बजट सेशन था उस में वहां की यूनाइटेड फ्रंट पार्टी ने दो रेजोल्यूशन रखे थे। एक तो यह था कि जो राज प्रमुख हैं उन की प्रीवी पर्स कम कर दी जाय और दूसरी वहां लिंग्विस्टिक प्राविन्स बनाये जायें। यह दोनों रेज़ोल्यूशन एसे थे जिन से कांग्रेस हुकूमत जरा मुश्किल में पड़ जाती थी। इसलिये उन लोगों ने यह समझा कि यही अच्छा होगा कि वहां की हुकूमत को ही खत्म कर दो। आखिर उन लोगों ने क्या कुसूर किया था। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उन लोगों ने दिन दिन रात रात बीस बीस चौबीस चौबीस गांवों का दौरा किया, जिन के खिलाफ पिटिशन भी नहीं हुई, वह लोग मैजरिटी से जीते फिर भी आप ने उन को निकाल दिया। आखिर क्यों? हम इंसाफ चाहते हैं और मैं पैप्सू वालों की तरफ से इंसाफ मांगता हूं कि आप वहां जेनरल एलेक्शन करावें पिछली सरकार को केअर टेकर गवर्नमेंट बना दें तो अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं और किसी को न बोलने दूंगा। पैप्सू के तीन सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जा चुका है। माननीय मंत्री को मैं कुल २० मिनिट का समय दूंगा।

डा० काटजू : दक्षिण पूर्व कलकत्ता के माननीय सदस्य का भाषण सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। यदि सरकार चाहती तो संविधान के दूसरे अनुच्छेद की सहायता ले सकती थी। अनुच्छेद ३५२ में लिखा है कि

"यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि गम्भीर आपात विद्यमान है जिससे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशान्ति से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा कर सकेगा।"

मैं मानता हूं कि पप्सू में बाह्य आक्रमण तथा आभ्यन्तरिक अशान्ति का भय न था। बात यह है कि वहां सरकार चल नहीं सकी। सरदार लालसिंह ने कहा कि पैप्सू में कुछ खराबी नहीं थी वहां पर बहुमत वाला दल था तथा कांग्रेस का पक्षपात कर सरकार ने वहां पर कार्यवाही की है। दूसरे लोगों ने अकाली और सिक्खों के लिये चिन्ता प्रकट की है।

[डा० काटजू]

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का नाश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पंचायतें यह सब कर रही थीं तो कार्यवाही पहले की जा सकती थी। बात यह है कि राज्य मंत्री को प्रति सप्ताह रिपोर्टें मिलती रहती हैं। उसके पास परामर्शदाता भी हैं। जब बात बहुत बढ़ जाती है तब कार्यवाही की जाती है।

मैं सिक्खों को चाहता हूं। वे भारतीय हैं तथा बड़े बहादुर और परिश्रमी हैं। उन्हें दबाने के लिये कोई बात नहीं की गई है। मैं चाहता हूं कि पैप्सू में सिक्ख फलें तथा फूलें। वहां वे बहुमत में हैं। उनसे सम्बन्धित सारी बातें उनकी सहमति से की जाएं। वहां सुरक्षा हो। जब मैं वहां गया तब लोगों ने कहा कि लाकानूनी बढ़ गई है। मैंने कुछ करना आवश्यक समझा। इस कार्यवाही से उन्हें इस बात का अवसर मिल जाएगा कि वे अपनी इच्छाएं प्रकट करें। लोग एक दल छोड़ दूसरे दल में मिल जाते हैं। यह बात अच्छी नहीं है। मुझे इससे कुछ मतलब नहीं कि ऐसे लोग कांग्रेस के हों अथवा अन्य दलों के। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लोगों का दल छोड़ देना ठीक है परन्तु यदि दल छोड़ने के पश्चात् वह व्यक्ति मंत्री बना दिया जाए तो लोग उसका और कुछ अर्थ लगायेंगे। जनता उसका तथा उस दल का सम्मान नहीं करेगी। पिछले दो तीन मास में पैप्सू में जो बातें हो रही थीं वे बड़ी आपत्तिजनक थीं। वहां ६० सदस्यों के सदन में ६ सीटें रिक्त हैं। तथा ५-६ सीटों के और रिक्त हो जाने की सम्भावना है। क्या उस सदन को सदन कहा जाएगा जिसकी २५ प्रतिशत सीटें रिक्त हों? जब मुख्य मंत्री अपदस्थ हो गये तब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री का अस्तीफा दे दिया तथा राजप्रमुख को मंत्रणा दी गई कि अस्तीफा मंजूर किया जाये। राज्य मंत्री इसमें क्या कर सकता था? अस्तीफा पाने के बाद राजप्रमुख क्या कर सकता था?

श्री एस० एस० मोरे : विधान मंडल का विघटन कर सकता था।

डा० काटजू : क्या हम दूसरे लोगों से मिनिस्ट्री बनाने के लिये कहते? उस समय आयव्ययक पर चर्चा होनी थी, अराजकता की शिकायतें थीं तथा सुरक्षा नहीं थी।

श्री बहादुर सिंह : आपने कोई प्रेशर तो नहीं दिया उन पर?

डा० काटजू : किस पर।

श्री बहादुर सिंह : राड़ेवाला पर।

डा० काटजू : आप राड़ेवाला साहब को खूब जानते हैं! क्या वह किसी प्रेशर में आने वाले हैं। मैं तो सिखों को बड़ा बहादुर समझता हूं, वह बड़े मुस्तकिल मिज़ाज़ होते हैं। आपने कह दिया कि प्रेशर में आ गये। बहस के लिए अपनी बुराई भी खुद ही करने लगे।

मैं तो सीधा सादा आदमी हूं। वे मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। मेरे माननीय मित्र ने सबकी भर्त्सना की तथा केवल उन लोगों की तारीफ की जिन्होंने पैप्सू में दूसरा तैलंगाना बना रखा था। राजप्रमुख के विरुद्ध हमें कुछ नहीं कहना। वह तो राज्यपाल के समान एक संस्था है। मेरा निवेदन है कि पैप्सू के साथ किए गए बुरे व्यवहार की शिकायत उचित नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या राजप्रमुख संविधान के अनुच्छेद १७४ के अधीन विधान मंडल का विघटन नहीं कर सकता था?

डा० काटजू : मुझे समझ में नहीं आता।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : फिर क्या?

डा० एस० पी० मुखर्जी : मंत्री बने रहते तथा निर्वाचन हो सकता था।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जब मंत्री अपदस्थ हो गए तब वे कैसे मंत्री बने रहते।

श्री वी० जी० देशपांडे : फिर कब चुनाव होगा ?

डा० काटजू : विधान मंडल का विघटन राज्य प्रमुख मंत्रियों के परामर्श पर ही कर सकता था। यदि उन्होंने अस्तीफा दे दिया हो तो वह विधान मंडल का विघटन नहीं कर सकता।

डा० एस० पी० मुखर्जी : उसके पहले।

डा० काटजू : वह यह कर सकता था कि मंत्रियों का अस्तीफा स्वीकार न करता और उनसे कहता कि पहले मुझे विधान मंडल के विघटन का परामर्श दो। क्या अपदस्थ मंत्री अपने पद पर बने रह सकते थे ?

डा० एस० पी० मुखर्जी : वे छः मास तक बने रह सकते थे।

डा० काटजू : मेरा निवेदन है कि हमने उचित मार्ग का अनुसरण किया है। सदन का विघटन कर दिया गया है तथा परामर्शदाता नियुक्त कर दिया गया है जिससे कि वह आप सबके निरीक्षण में कार्य करता रहे। उसके प्रत्येक कार्य के लिये हम सब जिम्मेवार हैं।

डा० एस० पी० मुकर्जी : सब राज्यों के विधान मंडलों का विघटन कर दीजिए तथा अपने हाथों में शक्ति ले लीजिये।

डा० काटजू : चलिए पहले यह काम बंगाल से आरम्भ करें।

डा० एस० पी० मुखर्जी : वहां से आरम्भ कीजिये जहां कांग्रेस का अल्पमत है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तथा आप कृपया सभापति को सम्बोधन करें।

श्री सारंगधर दास : राड़ेवाला के अस्तीफे के बाद क्या युनाइटेड फ्रंट दल ने नया दल नेता नहीं चुना ?

डा० काटजू : मैंने पत्रों में पढ़ा कि उस दल का विघटन हो गया है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

डा० काटजू : उस पद के लिये दो व्यक्ति थे अतएव कुछ निश्चय नहीं हो पाया था। राड़ेवाला भी खुद कठिनाई में पड़ गये थे।

मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि पप्सू में राष्ट्रपति का शासन सदैव के लिये नहीं है। हम उसे समाप्त करना चाहते हैं। यदि परिसीमन आयोग न होता तो हम चार मास के अन्दर वहां पर निर्वाचन करवा देते। उसकी रिपोर्ट आने के पहले फिर से निर्वाचन नहीं हो सकते। परन्तु हम चाहते हैं कि जनता के चुने गए व्यक्तियों द्वारा शासन हो। इस बीच में हम वहां शान्ति और सुरक्षा स्थापित कर देंगे जिससे कि वहां निर्बाध निर्वाचन हो सकें। मैं सबको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं।

बहुत से संशोधन किए गए हैं मैं उनका विरोध करूंगा। केवल ठाकुरदास भार्गव का संशोधन——

डा० एस० पी० मुखर्जी : आप उनका नाम लेकर क्यों चर्चा करत हैं।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मैंने आपत्ति नहीं की।

डा० एस० पी० मुखर्जी : सिद्धान्त की बात है।

डा० काटजू : वे यह चाहते हैं कि संकल्प में इस बात की घोषणा हो कि उस विधान मंडल की शक्ति संसद् द्वारा प्रयोग की जाएगी। यदि पंडित ठाकुर दास इस बात को रखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले पंडित ठाकुरदास भार्गव का संशोधन प्रस्तुत करूंगा

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रश्न यह है कि :

संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :

"और घोषणा करता है कि उक्त राज्य की विधान सभा की शक्तियों का संसद् के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन प्रयोग किया जाएगा और उक्त घोषणा में कतिपय आनुषंगिक तथा परिणात्मक विस्तृत उपबन्ध कर दिये जायेंगे ।"

उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने सरदार लालसिंह, श्री एच० एन० मुखर्जी और श्री वल्लाथरास के संशोधन प्रस्तुत किये तथा वे अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधित रूप में संकल्प को सदन के समक्ष मत विभाजन के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है कि : .

"संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अंतर्गत, ४ मार्च, १९५३ को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का, जिसके अनुसार उन्होंने पैप्सू के शासन के सब कार्य अपने हाथ में ले लिये थे, सदन अनुमोदन करता है और घोषणा करता है कि उक्त राज्य की विधान सभा की शक्तियों का संसद् के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन प्रयोग किया जाएगा और उक्त घोषणा में कतिपय आनुषंगिक तथा परिणात्मक विस्तृत उपबन्ध कर दिये जायेंगे ।"

ध्वनि से कुछ निश्चय न हो सका इसलिए उपाध्यक्ष महोदय ने मत विभाजन का आदेश दिया । मत विभाजन हुआ । "हां" पक्ष वाले २०८ और 'ना' पक्ष वाले ६० थे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात सदन की बैठक शुक्रवार, १३ मार्च, १९५३ के २ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।

G PD – C of S – 244 PSD — 21-12-53 — 285